संलग्न क्र.4

(1)

कार्यवाही विवरण

ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट ऑफ ऑयरन ओर पैलेटाईजेशन प्लांट (9,00,000 टी.पी.ए.), स्पंज ऑयरन (2,31,000 टी.पी.ए.), एम.एस. बिलेट्स (2,04,000), रोलिंग मिल (1,98,000 टी.पी.ए.) विथ केप्टिव पॉवर प्लांट (24 मेगावाट) बाई मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, लोकेटेड एट विलेज–कुनकुनी (नियर आर.ओ.बी. रेलवे स्टेशन), तहसील–खरसिया, डिस्ट्रीक्ट–रायगढ़, छत्तीसगढ़ की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 20 जनवरी 2023 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट ऑफ ऑयरन ओर पैलेटाईजेशन प्लांट (9,00,000 टी.पी.ए.), स्पंज ऑयरन (2,31,000 टी. पी.ए.), एम.एस. बिलेट्स (2,04,000), रोलिंग मिल (1,98,000 टी.पी.ए.) विथ केप्टिव पॉवर प्लांट (24 मेगावाट) बाई मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, लोकेटेड एट विलेज–कुनकुनी (नियर आर.ओ.बी. रेलवे स्टेशन), तहसील–खरसिया, डिस्ट्रीक्ट–रायगढ़, छत्तीसगढ़ की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 20.01.2023, दिन–शुक्रवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–परियोजना स्थल, ग्राम–कुनकुनी, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30. 09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। आज हम सब छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा आयोजित मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के लोह अयस्क पैलेटाईजेशन प्लांट, स्पंज ऑयरन, एम.एस. बिलेट्स प्लांट, रोलिंग मिल के साथ एफ.बी. पॉवर प्लांट की ग्रीन फिल्ड परियोजना जो कि ग्राम–कुनकुनी, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है उसकी पर्यावरण स्वीकृति के लिये पर्यावरण एव वन संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनिवार्य जनसुनवाई के लिये इकट्ठे हुये

है। जनसुनवाई को स्थान है जो कि परियोजना स्थल ही है। इस परियोजना की ई.आई.ए. स्टडी जी.आर.सी. इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा की गई है जिसे नैबिट द्वारा मान्यता प्राप्त है और एक्रेडिटेशन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। पर्यावरण एवं वन संरक्षण मंत्रालय के अनुसार ये परियोजना श्रेणी 'ए' में आती है तथा इसे अनुसूची 3'ए' जो कि धातुतम उद्योग और 1'डी' जो कि थर्मल पॉवर प्लांट होता है उसके उसमें रखा गया है। परियोजना की कुल लागत 385 करोड़ रूपये की है। इस परियोजना में कुल 38 मेगावाट बीजली की आवश्यकता होगी जिसमें 24 मेगावाट इनहॉउस पॉवर प्लांट के द्वार लिया जायेगा और शेष बीजली छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ली जायेगी। पानी की कुल आवश्यकता 1776.5 किलोलीटर प्रतिदिन होगी जिसका श्रोत भू–जल या सतही जल होगा। इस परियोजना से 300 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आज की जनसुनवाई के लिये पूर्व में अखबारो पर विज्ञापन द्वारा लोगो को बताया जा चुका है। परियोजना में कुल जो भूमि की जरूरत है वो 50.11 एकड़ यानि 20.28 हेक्टेयर की है। परियोजना की सामग्री के परिवहन के लिये एस.एच. 1 जो कि 19 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर है तथा रायगढ़–खरसिया मार्ग जो परियोजना स्थल से लगा हुआ है उसके द्वारा की जायेगी। साथ में रेल्वे साईडिंग भी है जिसके द्वारा सामग्री का परिवहन किया जायेगा। निकटमत सड़क की बात करे तो रायगढ़ शहर 24 किलोमीटर दूर दक्षिण–पूर्व दिशा की ओर स्थित है, वही निकटतम नदी में मांड नदी 2.8 किलोमीटर की दूरी पर है। परियोजना क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जंगली जानवरो का परिवासी आदि नहीं है। परियोजना के 85 किलोमीटर की दूरी पर वीर सुरेन्द्र साय हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा उपलब्ध है। परियोजना में जो कच्चे माल की आवश्यकता होगी इसमें लौह अयस्क कंसनट्रेट, चूना पॉउडर, चुर्णित कोयला आदि है, कच्चा लोहा ये सब स्थानिय बाजार और खान से उपलब्ध किया जायेगा जिसे रेल या सड़क मार्ग से ढके हुये ट्रको द्वारा परियोजना स्थल तक लाया जायेगा। परियोजना में जो प्रोडक्ट बनेंगे उसकी भी परिवहन ढके हुये ट्रको द्वारा ही होगी या रेल्वे द्वारा की जायेगी। कुल 1776.5 किलोलीटर पर दिन के हिसाब से पानी की आवश्यकता होगी जिसके लिये अनुमति प्राप्त की जा चुकि है, साथ ही मांड नदी से सतही जल की संभावना का पता लगाया जायेगा। परियोजना में जो अपशिष्ट जल उत्पन्न होगा उसे ई.टी.पी. द्वारा ट्रीट किया जायेगा और उसे परियोजना के क्षेत्र में ही इस्तेमाल किया जायेगा, कोई भी अपशिष्ट जल परियोजना के बाहर प्रवाह नहीं किया जायेगा। जो ठोस अपशिष्ट उत्पादन होंगे उसमें स्पंज ऑयरन प्लांट से डी.आर.आई. चार निकलेगा जिसका बीजली उत्पादन जो की इनहॉउस पॉवर प्लांट है उसमें किया जायेगा और जो राख, धूल आदि निकलेंगे उन्हे ईट निर्माताओं को दिया जायेगा। एस.एम.एस. यूनिट में से जो लावा निकलेगा उससे लोहा बरामद किया जायेगा जो की गैर चुंबकिय प्रणाली द्वारा लोहा बरामद किया जायेगा, शेष जो अपशिष्ट होंगे उसे सीविल निर्माण इकाईयों के लिये किया जायेगा। रोलिंग मिल में से जो एंड कटिंग्स होंगे उसे एस.एम.एस. इकाई में पुर्नउपयोग के लिये दिया जायेगा, बीजली संयंत्र में से जो फ्लाई ऐश निकलेगा उसे ईट निर्माता इकाईयों को दिया जायेगा। इसके साथ प्रदूषण के नियंत्रण उपाय हेतु वृक्षारोपण और हरित पट्टी विकास किया जायेगा, पुरे भू–खण्ड क्षेत्र के 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्ष

लगाये जायेंगे। सड़को पर पानी का छिड़काव बार–बार किया जायेगा जिससे परिवहन के दौरान जो धूल का उत्सर्जन नहीं होगा। सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली स्थापित की जायेगी जो सी.पी.सी.बी. के सर्वर से जुड़ी होगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिये भी पर्याप्त उपाय किये जायेंगे। कंपनी डी.जी. सेट की खरीद करेगी। साईलेंशर, मफलर जहां भी आवश्यकता होगी उचित रूप से उसका उपयोग किया जायेगा, डी.जी. सेट का उपयोग अपात की स्थिति में ही किया जायेगा। ट्रक जो उपयोग होंगे उन्हे ध्वनि उत्पादक के रूप में मानक सीमा के भीतर ही रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के द्वारा पर्याप्त पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ का निर्माण किया जायेगा जिसको प्रोजेक्ट कार्पोरेट लेबल के हेड उस प्रोजेक्ट को हेड करेंगे और उसका छः मासी अनुपालन रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालयों को प्रस्तुत की जायेगी। पर्यावरण प्रबंधन योजना में कुल लागत 16.8 करोड़ की होगी वो पूंजीगत लागत होगी इसके साथ ही आवर्ती व्यय 3.66 करोड़ प्रतिवर्ष इसका उपयोग किया जायेगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना में वायु उत्सर्जन प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित पट्टी विकास, अग्नि सुरक्षा प्रणाली, पर्यावरणीय निगरानी एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ये सब शामिल है। इसके साथ ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान हमने आस–पास के क्षेत्रों में वायु, जल, मृदा और ध्वनि के स्तर की जॉच की है, कुल 8 जगहो पर वायु की गुणवत्ता की जॉच की गई है, उसी तरह 8 जगहो पर ध्वनि के स्तरों की भी जॉच की गई है, उसी तरह परियोजना के आस–पास कुल 8 जगहो पर सतही जल एवं भू–जल की गुणवत्ता की भी जॉच की गई है और परियोजना क्षेत्र के साथ–साथ कुल 5 जगहो पर मृदा की निगरानी की गई है। सभी वायु, जल एवं ध्वनि एवं मृदा की गुणवत्ता की जॉच में पाया गया है कि हवा की गुणवत्ता भू–जल, सतही जल और मिट्टी की गुणवत्ता तय मानको के अंदर ही पाये गये है। उचित प्रदूषण नियंत्रण अपनाये जायेंगे जिससे प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावन नहीं होगी। परियोजना के क्रियान्वयन से स्थानिय लोगो को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनो तरीसे से रोजगार सृजित होंगे। यह परियोजना क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को भी गति प्रदान करेगी जिससे तेजी से बढ़ोत्तरी होगी जिससे ना केवल रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि बुनियादी ढाचे का भी विकास होगा। इसके साथ ही कंपनी के सी.एस.आर. योजना के तहत जो की पर्यावरण एवं वन संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है उसके तहत पुरे परियोजना की लागत का 01 प्रतिशत सी.एस.आर. प्रकोष्ठ में खर्च किया जायेगा जिसमें आस–पास के चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास और जो भी आपके सुझाव होंगे उसका अमल किया जायेगा। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है।

उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है :–

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. मदन लाल डनसेना, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। कंपनी आने पर ही रोजगार का साधन बढ़ेगा। सरकार भी चाहती है उद्योग लगे लेकिन कुछ कारणवश लोग विरोध करते है जिससे लोगो का रोजगार छिन जाता है। हम चाहते है कि जब उद्योग लगेगा तो रोजगार युवाओं को मिलेगा इसके लिये मै समर्थन करता हूँ।
2. मनोरंजन निराला, कुनकुनी – धन्यवाद।
3. लीलेश्वर, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
4. दिनेश, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
5. नारायण भारद्वाज, कुनकुनी – युवाओं को रोजगार मिलेगा इसलिये मैं समर्थन करता हूँ।
6. खेलसिंह नौरंग – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
7. परदेशी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
8. बेचे तो हम लोगो को नहीं पुछा अभी बुला रहा है। कंपनी तो बैठेगा
9. राजेश निराला – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
10. भारत – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
11. पंचराम वर्मा – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
12. भागीरथी बंजारे, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
13. मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
14. महेशी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
15. मालती बाई सारथी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
16. बुधियारिन – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
17. योगेश्वरी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
18. सुनिता सारथी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
19. फुलेश्वरी चौहान – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
20. कौशिल्या भारद्वाज – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
21. संतोषी यादव – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
22. मानमती यादव – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
23. भुवनेश्वरी बाई यादव –
24. माला बाई चौहान – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
25. तोरण राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

26. कविता राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
27. यादमती राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
28. पुष्पा – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
29. रामायण बाई राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
30. अंजना राठिया – कंपनी का विरोध है।
31. राठिया – कंपनी का विरोध है।
32. रोहणी राठिया – कंपनी का विरोध है। कंपनी नहीं चाहिये, धरती माता चाहिये।
33. सुमित्रा – कंपनी का विरोध है।
34. कंपनी का विरोध है।
35. कमला राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
36. गुरबारी राठिया – कंपनी का विरोध है।
37. धनकुंवर राठिया – कंपनी का विरोध है।
38. साधमती – कंपनी का विरोध है।
39. रामकुमारी चौहान – कंपनी का विरोध है।
40. प्रेमबाई राठिया – कंपनी का विरोध है।
41. विमला राठिया – कंपनी का विरोध है।
42. चंपा राठिया – कंपनी का विरोध है।
43. ईतवारिन, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
44. मोहरमति राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
45. सुमित्रा राठिया – कंपनी का विरोध है।
46. श्याम बाई, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
47. आनंदकुंवर, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
48. सुषमा, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
49. रमेश्वरी राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
50. कुंती राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
51. गुलाबो राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
52. शिला राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
53. अंबिका राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
54. रूखनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

55. लक्ष्मीन राठिया – कंपनी का विरोध है।
56. फुसमति, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
57. कुष्मीलता राठिया – कंपनी का विरोध है।
58. प्रिति राठिया – कंपनी का विरोध है।
59. संतकुमारी राठिया – कंपनी का विरोध है।
60. भोजकुमारी राठिया – कंपनी का विरोध है।
61. सोनमती महंत – कंपनी का विरोध है।
62. फुलमती राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
63. फुलकुंवर यादव – कंपनी का विरोध है।
64. गायत्री राठिया – कंपनी का विरोध है।
65. बसंती राठिया – कंपनी का विरोध है।
66. चमेली राठिया – कंपनी का विरोध है।
67. समारिन – कंपनी का विरोध है।
68. जवंधा राइिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
69. रथमति राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
70. गायत्री राठिया – कंपनी का विरोध है।
71. फुलमति राठिया – कंपनी का विरोध है।
72. यशोदा राठिया – कंपनी का विरोध है।
73. भोजकुमारी राठिया – कंपनी का विरोध है।
74. श्याममति राठिया – कंपनी का विरोध है।
75. रामकुमार – कंपनी का विरोध है।
76. शिवकुमारी – कंपनी का विरोध है।
77. लक्ष्मीन राठिया – कंपनी का विरोध है।
78. हेमलता राठिया, कुनकुनी –
79. मधुकुमार – मैं गोबर लिपता हूँ, 200 रूपये में काम करता हूँ। यहां कंपनी नहीं चाहिये जितना पैसा लगा है समाधान करना चाहिये।
80. प्रेमलाल चौहान, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
81. कमल डनसेना – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
82. रूपेश – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

83. अलेख कुमार पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
84. सुखदेव पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
85. देवचरण जायसवाल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
86. अजय डनसेना – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
87. शिवकुमार – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
88. विरेन्द्र डनसेना – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
89. सुखदेव चौहान – गरीब आदमी है हम लोगों को काम दिया जाये।
90. निलांबर चौहान – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
91. कौशिल्या – कंपनी का विरोध है।
92. रेशमबाई – कंपनी का विरोध है।
93. श्रावणमति – कंपनी का विरोध है।
94. राजमति – कंपनी का विरोध है।
95. नेतमति – कंपनी का विरोध है।
96. राजकुमारी – कंपनी का विरोध है।
97. रूकमणी राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
98. सुधाकुमार – कंपनी का विरोध है।
99. गुड्डी राठिया – कंपनी का विरोध है।
100. लीलावति राठिया – कंपनी का विरोध है।
101. गणेशराम साहू – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
102. अग्घन लाल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
103. अमर सिंह राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
104. विजय – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
105. सुभाष – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
106. आनंदराम बंजारे – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
107. हरिश कुमार राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
108. कन्हैया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
109. लक्ष्मीप्रसाद साहू – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
110. दीपक कुमार चौहान – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
111. हेमकुमारी – कंपनी का विरोध है।

112. शीला राठिया – कंपनी का विरोध है।

113. समारीबाई यादव – कंपनी का विरोध है।

114. मालति – कंपनी का विरोध है।

115. रमिला राठिया – कंपनी का विरोध है।

116. भगवति राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

117. बरावति राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

118. रामकुमारी, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

119. ईतवारिन राठिया – कंपनी का विरोध है।

120. टीना राठिया – कंपनी का विरोध है।

121. गरिमा राठिया – कंपनी का विरोध है।

122. सावित्री राठिया – कंपनी का विरोध है।

123. रामवति राठिया – कंपनी का विरोध है।

124. सरिता राठिया – कंपनी का विरोध है।

125. सुरूज राठिया – हमारा खेत गया है इसमें और हमको कोयला तक नहीं देता है, लकड़ी में जलाते है इसलिये कंपनी का विरोध है।

126. मालति बाई डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

127. रीता चौहान – कंपनी का विरोध है।

128. रमशिला चौहान – कंपनी का विरोध है।

129. कमला – कंपनी का विरोध है।

130. गंगा बाई – कंपनी का विरोध है।

131. पितबाई – कंपनी का विरोध है।

132. कौशिल्या राठिया – कंपनी का विरोध है।

133. कन्हाई राठिया – कंपनी का विरोध है।

134. देवकी बाई – कंपनी का विरोध है।

135. सम्मतिन राठिया – कंपनी का विरोध है।

136. लक्ष्मीन बाई – कंपनी का विरोध है।

137. रसमति नौरंग – कंपनी का विरोध है।

138. गुलापी राठिया – कंपनी का विरोध है।

139. सूरज राठिया – कंपनी का विरोध है।

140. मांगमति राठिया – कंपनी का विरोध है।

141. कैलाश बाई – कंपनी का विरोध है।

142. कंपनी का विरोध है।

143. पुर्णिमा राठिया – कंपनी का विरोध है।

144. फुलमति नौरंग – कंपनी का विरोध है।

145. सुंदरी बाई सारथी – कंपनी का विरोध है।

146. हम लोग गरीब है, रोजी मजदूरी करते है।

147. भगवती पटेल – कंपनी का विरोध है।

148. मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

149. लक्ष्मीनबाई पटेल, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

150. कंपनी का विरोध है।

151. वृंदाबाई पटेल, सेंदरीपाली – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

152. ताराबाई पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

153. नानबाई पटेल, सेंदरीपाली

154. कुशुमबाई पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

155. रामबाई पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

156. संतोषि बाई पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

157. मालति बाई – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

158. अशिल कुमार पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

159. मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

160. गंगा बाई पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

161. पार्वती पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

162. मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

163. समारबाई पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

164. संतोषि बाई पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

165. मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

166. सुदामाप्रसाद पटेल, सेंदरीपाली – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

167. चमार सिंह, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

168. टीकालाल पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

169. नेतराम डनसेना, बड़ेडुमरपाली – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

170. युवराज पटेल, चपले – कंपनी हर किसी को चाहिये। जिस जगह में जिसका जो प्रभावित हो रहा है, जिस गांव में जो आदमी प्रभावित हो रहा है जिस एरिया में जो प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है उन लोगो को पुछो आप कि क्या चाहिये। आप 10 किलोमीटर से आदमी लेकर आये हो, आप उनको पुछोगे कि आपको क्या चाहिये तो क्या बोलेंगे उनको तो पैसा मिल चुका है। मैं कानुनी तौर पर एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, खरसिया थाना के अंदर मेरे को 110 लगाते है मैं तड़ीपार निगरानी मुजरिम हूँ, लेकिन मेरे को मुजरिम करार देने में ये पब्लिक है उनका हाथ भी है, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात समझो, क्योंकि मेरे को कोई समझने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। जो परेशानी है मैं बता रहा हूँ। यहा से बगल वाला मेरा मोहल्ला है जिसमें मेला होता है उस मेला में मेरा पुरा जमीन रहता है, मैं चपले का निवासी हूँ और वही पर मेला होता है दीपावली का काली पूजा का। मेरे पुरे मोहल्ले वाले प्रभावित हो रहे है डस्ट में। पहले एस.ई.सी.एल. आया था एस.ई.सी. एल. से पुरा परेशान है हम लोग सुबह जाकर देखना आप 07 बजे तालाब में आपको कितना डस्ट मिलेगा?, नहाने के समय कितना प्राबलम आता है, कपड़ा सुखाते है धोकर कितना परेशानी आता है वो हमको पता है और यहा पर आ रहे है और बोल रहे है कंपनी चाहिये, उनको पुछो, उनका आधार जमा करवाओं आप वो कौन से गांव से है, कैसे है। छत्तीसगढ़ में जो भी हो रहा है या हमारे गांव के आस–पास जो भी हो रहा है, गांव समर्थन है राईट है लेकिन आप किराये में आदमी लेकर क्यो आ रहे हो यहा पर, जवाब चाहिये मरे को। मैं आज तक गलत नहीं हूँ मै मानता हूँ चाहे कोई माने या ना माने। मैं कंपनी का विरोध कर रहा हूँ। अगर कंपनी चाहिये तो जिन–जिन को चाहिये वो अपना घर और जमीन दे, हम अपना जमीन नहीं देंगे। मेरे को धमकी मिल रहा है। ये जो हो रहा है गलत है। हमारा जमीन जा रहा है, हम प्रभावित हो रहे है तो हमारे लिये निर्णय करो कि हम कैसे रहे, क्या खाये, क्या पीये। हमारे नेता लोग सच्चाई के लिये मर गये तो मैं क्या जेल नहीं जा सकता, मैं परेशान हूँ लाईफ से, खाली कंपनी–कंपनी, हमको पुछो साधारण आदमी से, थोड़ा कही दारू बेच लेते है तो पुलिस वाले पकड़ लेते है, छत्तीसगढ़ तो दरूहा लोगो का ही है। आप जमीन को खरीद लो और जमीन को उठा कर ले जाना जे.सी.बी. में और जितना बचेगा वो हमारा है, कंपनी को फीर मैं सपोर्ट करता हूँ। कंपनी जितना पैसा दे रहा है वो जमीन को ले जाये और हमारा जमीन छोड़ दे। मेरे जमीन, जंगल, घर में कंपनी कल घेराव कर रही है और कल मेरे को घुसने भी नहीं देगा, पैसा मेरे जमीन का दिया है तो क्या मेरे को गुलाम बनाकर रखेगा। आज कंपनी पैसा दे देगा, एकड़ कितना देगा 10 लाख और हर साल उरद होता था, धान होता था तो हर साल मुआवजा दिलाओगे। हमको काम नहीं चाहिये, हर साल किसान जितना कमाता है खेती से हर साल मुआवजा देगा हमको तब कंपनी बसेगा। कंपनी नहीं चाहिये, अगर कंपनी आयेगा तो डस्ट मेरे मोहल्ला में आना नहीं चाहिये। तालाब है, नाला है, कपड़ा सुखाते

है नहा कर तो काला हो जाता है, सुबह साफ करते है साम तक काला हो जाता है, प्रदुषण तो हमको झेलना होता है

171. योगिता रात्रे, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है। हमको नहीं चाहिये कंपनी। कंपनी बैठने के बाद बाल–बच्चे किसी को नहीं पुछते है। अगर कंपनी जबरदस्ती यहा बैठती है तो आप सभी चिजो जिम्मेदार होंगे। बहुत एक्सिडेंट हो रही है। कंपनी हमें नहीं चाहिये चाहे हमको जेल जाना पड़े हम मंजुर है
172. किशन यादव – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
173. गणेश पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
174. रामकिशन – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
175. करमुराम, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
176. लोहरसिंह राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है। मैं खेती किसानी करने वाला हूँ मैं जमीन नहीं दूंगा।
177. देवधर, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
178. मनीराम यादव, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
179. श्याम कुमार राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
180. दूधराम राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
181. दयाशंकर राठिया – कंपनी का विरोध है।
182. वृंदा राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
183. कुमार सिंह राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है। जमीन का घोटाला पड़ा हुआ है आज तक डिसाईड नहीं हुआ है और कंपनी बैठ गया है।
184. संतराम, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
185. मोहनलाल राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
186. विजय कुमार डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है। यहा जितना भी प्लांट बैठेंगे इंग्लिस में बोल देते है स्पंज ऑयरन है, एम.एस. बिलेट है और बोलते है हर बेरोजगार को रोजगार देंगे लेकिन कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही ज्यादा डस्ट वाला प्लांट है। जितने समर्थन किये है प्लांट में काम करने वाले है और दबाव में किये है।
187. लक्ष्मी राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
188. रामसिंह राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
189. कंपनी का विरोध है।
190. सार्थीराम, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
191. फुलसिंह राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

192. परदेश राठिया – कंपनी का विरोध है।

193. इश्वरी डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

194. रूकमणी डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

195. सरस्वती डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

196. बाबूलाल राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

197. कोटवार, कुकरीझरिया – कंपनी का विरोध है।

198. गुलशन पटेल, चपले – ये कंपनी हमारे पर्यावरण को विनाश की ओर लेकर जायेगी। 02 किलोमीटर का सी. एच.पी.आर. यानि कोयला संग्रहण केन्द्र बनने वाला है तो जो 02 किलोमीटर के अंदर में कोयला रखा जायेगा उसका डस्ट कहा जायेगा बताईये, कंपनी से मैं ये पुछना चाहता हूँ मेरा भाई यहा पर एक्सिडेंट हुआ था 02 साल पहले उसके पिछे में एक 02 साल का लड़का, उसका पत्नी, कुछ नहीं मिला उनको कौन देखेगा, कौन परवरिश करेगा उनका, ये कंपनी करेगा क्या? कंपनी सिर्फ आयेगी 02–04 लाख रूपये दे देगी बात खतम हो जायेगी इतने में क्या? हमारा कुछ है कि नहीं यहा पर? हमारा जमीन, हमारा सब चिज और हमको ये 02–04 हजार रूपये देकर खरीद लेंगे, तो हम क्या बिक जायेंगे, हम ऐसे इंशान नहीं है, हमारे पिढ़ी के लिये ये कत्ल के समान है, हमारी पिढ़ी खतम हो जायेगी इसमें, कुछ नहीं बचने वाला और मैं कंपनी का पूर्ण तरीके से विरोध करता हूँ। बसने नहीं देंगे हम ये कंपनी, क्योंकि हम प्लांट में खुद काम कर चुके है। हमें सिर्फ 15000 से ज्यादा की नौकरी नहीं दी जायेगी, यू.पी. बिहार से बड़े–बड़े इंजिनियर बुलाये जायेंगे, हम भी बी.एस.सी. करके बैठे है, लेकिन हम क्या कर रहे है सिर्फ 15000 की नौकरी कर रहे है। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला हम लोगो को, तो मैं यह चाहता हूँ हमारे आस–पास के जितने भी गांव है, जितने भी लोग है वो यहा पर आकर सक्त विरोध करें इस कंपनी का, कंपनी हमें नहीं चाहिये।

199. सुखदेव कुमार पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है इससे मेरा गांव विनाश की ओर जा रहा है, इस कंपनी के आने पर और यहा के आस–पास जो गांव है वो पुरा विनाश हो जायेगा इस कंपनी के आने पर। इस कंपनी के लिये मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ, और मेरो को जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसको मैं उठाउंगा इस कंपनी को आने से रोकने के लिये।

200. अजय बंजारा, कुरूभाठा – कंपनी का विरोध है। कंपनी बैठा रहे हो और हम लोगो को काम नहीं दे रहे है, बिहारी लोगो को ला रहे है।

201. भोजकुमार पटेल, खैरपाली – कंपनी का विरोध है। हमारा जमीन गया है डी.बी. पॉवर प्लांट में और हम लोग अभी तक बेरोजगार घुम रहे है, कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिये मैं कंपनी का विरोध करता हूँ क्योंकि यहा पुरा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, लोगो का नुकशान हो रहा है तो क्या फायदा है कंपनी बैठालने का। यहा राजनिती करवा रहे है, बड़े–बड़े आदमी को पैसा दे दे रहे हो, यहा 5–5 सौ रूपये में आदमी ला रहे हो

किराये से, क्या मतलब है इसका। यहा पर कंपनी के नाम पर घोटाला हो रहा है, इस बात को कोई समझ नहीं रहे है मैं समझ रहा हूँ कि यहा जितने भी सहमति हुये है एक लाईन में खड़े हो जाये और जो सहमति नहीं है वो एक लाईन में खड़े हो जाये उसके बाद जितने भी जनसंख्या है उसके आधार से कंपनी बैठाना है या नहीं बैठाना है ये पूर्ण रूप से सहमति हो जायेगा इसलिये मे। विरोध करता हूँ क्योंकि जितने भी आये है बेरोजगार घुम रहे है, हम लोग भी पढ़े–लिखे आदमी है लेकिन उस हिसाब से नहीं मिल रहा है।

202. गंगाराम, आमापाली – मेरा जमीन है उसको ले लेगा तो पुरा पैसा मेरे बेटे को दे देगा और खर्च कर देगा तो मेरा नाती का क्या होगा। मेरे को जमीन देना नहीं है। कंपनी का विरोध है।
203. संजू, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
204. खेलकुंवर – कंपनी का विरोध है।
205. रजनी, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
206. रथमती डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
207. मोहरवती राठिया – कंपनी का विरोध है।
208. गणेशी राठिया – कंपनी का विरोध है।
209. घसनीन बाई राठिया – कंपनी का विरोध है।
210. पार्वती, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
211. वासुदेव डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है। हमारे गांव में पैसा बटवारा कर रहे है कंपनी वाले।
212. दिनदयाल पटेल, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है। यहा पर जो वोटिंग टाईप का चल रहा है सपोर्ट और विरोध का इसका हमें रिकार्ड चाहिये क्योंकि हमारे यहा के नवयुवक समिति और महिला समिति के लोग कोर्ट किये है जो कोर्ट में इसका कॉपी हमे चाहिये इसलिये हमको कॉपी देने की कृपा करेंगे और इस कंपनी का मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ।
213. यहा बहुत एक्सिडेंट हो रहा है और आस–पास के गांव बहुत प्रभावित हो रहे है डस्ट से इसलिये कंपनी का विरोध कर रहा हूँ। इसमें जो लिखा है चपले, रजघटा, कुनकुनी तो केवल यही के लोग वोट नहीं कर सकते है क्या, क्योंकि जितने भी बाहर से आये है पैसा ले लिये है उनका क्या जा रहा है, जमीन तो मेरा जा रहा है। कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे है केवल उन्हीं लोग समर्थन किये है बाकि कोई भी लेडिस लोगो को पुछ लीजिये कि कोई एक भी समर्थन किये है तो और किये है उनको पैसा मिला है। यहा रोड में बहुत ज्यादा एक्सिडेंट हो रहा है और एक्सिडेंट होने का कारण केवल प्रदूषण है, यहा रोड में इतना डस्ट है फिर भी रास्ता में ये लोग पानी नहीं मरवाते है और ना ही झाडु मरवाते है।
214. भवर सिंह राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
215. चंदनसिंह राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

216. सविता रथ, जन चेतना मंच – जो लोकसुनवाई ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट ऑफ ऑयरन ओर पेलेटाईजेशन प्लांट की जो जनसुनवाई करवा रहे है इस जनसुनवाई को मैं भरपुर विरोध करते हुये निम्न तकनिकी बिन्दुओं के आधार पर जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और समाज प्रभाव आकलन को आपके इस जनसुनवाई में मैं रख रही हूँ और इस जनसुनवाई का संपूर्ण विरोध क्यों होना चाहिये इस बात को, सबसे पहला पाईंट है कि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के अनुसार किसी भी पर्यावरणीय जनसुनवाई के आवेदन के 45 दिवस के अंदर राज्य सरकार जनसुनवाई का आवेदन करवाती, अगर किसी कारणवश ये जनसुनवाई नहीं करवापाती तब उस स्थिति में राज्य अपना एक समिति गठन करेगा और जनसुनवाई करवायेगा। चुंकि इस जनसुनवाई को कराने का आपको वो अधिकार ही नहीं रहा है, आप आवेदन के 45 दिवस के बाहर ये जनसुनवाई करवा रहे है इसलिये यह जनसुनवाई पूर्ण रूप से अवैध है और ये जनसुनवाई को तत्काल अभी खड़े–खड़े निरस्त कर दिया जाये। केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय के 14 सितम्बर 2006 के आदेश अनुसार इस जनसुनवाई हेतु परियोजना के 10 किलोमीटर परिधि के अंदर आने वाले प्रभावित हर ग्रामपंचायत को आपके द्वारा व्यापक पैमाने पर प्रचार–प्रसार करना था लेकिन आप 10 किलोमीटर के अंदर में उस तरीके से व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं होना, उनको जानकारी नहीं होना तकनिकी रूप से कि क्यों आज ये जनसुनवाई आज आयोजन हो रही है इस बात की जानकारी खास करके महिला वर्गो को तकनिकी रूप से किसी भी किसम का नोटिफिकेशन आपके प्रशासन के द्वारा, कंपनी के द्वारा और राज्य के द्वारा जानकारी ग्रामपंचायतों को नहीं होने के कारण इस जनसुनवाई को तत्काल अवैध घोषित करके जनसुनवाई तत्काल निरस्त कर दीजिये। आपके यहा किसी भी किसम की कोई सूचना चुंकि खरसिया विधानसभा अनुसूची पेशा 05 के तहत आता है और यहा पेशा ग्रामसभा की महत्वता है और 33 प्रतिशत महिलाओं की हर भागिदारी हर ग्रामसभा में होनी चाहिये और उस जनसुनवाई को आपके द्वारा किसी भी किसम की ग्रामसभा को अनुमति नहीं मिली है जिसके कारण यह जनसुनवाई अपने आप में पेशा कानुन के नियम के अनुसार जो 28 अधिकार ग्रामसभा को छत्तीसगढ़ राज्य ने दिया है उस आधार पर यह जनसुनवाई अवैध है और इस जनसुनवाई को जिला प्रशासन अपनी जिद के कारण जबरदस्ती संपन्न कराने की भूल ना करे और यह जनसुनवाई को निरस्त कररे आज की जनसुनवाई को तत्काल खतम किया जाये। उक्त परियोजना खैरपाली, कुनकुनी, पामगड़, नवागांव, कुर्रूभाठा, बड़े डूमरपाली, रानीसागर, दर्रामुड़ा, चपले, रजघटा, बसनाझर आदि सभी ग्रामपंचायत प्रभावित होगा, ऐसी उनकी ही रिपोर्ट है जबकि कंपनी द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में परियोजना स्थल के 10 किलोमीटर के आस–पास जंगल का नहीं होना बोलके झुठा रिपोर्ट साबित किया है आपके सामने ई.आई.ए. में, आपको बता दूं रहवास का ना होना, जमीन को बंजर बताकर तथा ऐतेहासिक स्थल रामझरना एवं अन्य बसनाझर पहाड़ पर लिखे हुये पुरातत्विक शैल चित्रों को भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में छिपा दिया गया है, सही जानकारी ई.आई.ए. में नहीं दी गई है, पुरी ई.आई.ए. फर्जी और कॉपी पेस्ट है।

फर्जी ई.आई.ए. कॉपी पेस्ट के अनुसार यह जनसुनवाई मे जो गलत जानकारी दिया गया है राज्य सरकार को तत्काल ई.आई.ए. बनाने वाले कंसलटेंशी एजेंसी के ऊपर तत्काल आप आदेश करके एफ.आई.आर. दर्ज कराये कि क्यों सरकार को, आस–पास के लोगों को गलतफहमी में डालकर उन्होने यह जनसुनवाई में झुठा रिपोर्ट किया है। यह इकाई विशालकाय है जिसमें आपका 09 लाख टन प्रतिवर्ष, 24 मेगावाट विद्युत उत्पादन इकाई है, इसका माल उत्पादन करने में कई हजार टन कोयला प्रतिदिन जलेगा, इसमें भारी मात्रा में उष्मा, गर्मी, राख, फ्लाई ऐश, अपशिष्ट जो औद्योगिक कचड़ा एवं चिमनी से सल्फर कार्बन जैसे अन्य ग्रीन हाउस जैसे गैसे उत्सर्जित होंगी। सर्वविदित है कि पूर्व से ही जिले में सैकड़ो विशाल क्षमता वाले कोयला आधारित तापीय उद्योग स्थापित है और इसकी आपको स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ी है, रायगढ़ जिले के अंदर ये काफी खतरनाक होगा और यह सोचनिय है कि रोज एक नया जनसुनवाई करवा के रोज बड़े–बड़े पुरे रायगढ़ जिले में तापीय विद्युत करके क्या रायगढ़ शहर को खतम कर देना चाहते है। आलरेडी 165 से ज्यादा छोटे–बड़े उद्योग है फिर किस नये उद्योग को आप ग्राम–कुनकुनी जो वास्तव में 170ख के तहत आदिवासी क्षेत्र में विवादित जमीन के अंदर ये जो जनसुनवाई हो रही है, ये जो जनसुनवाई स्थल है ये भी 170ख के तहत आने वाले जगह में आपने यह जनसुनवाई करवाया है। क्या आपने यह जनसुनवाई करवाने से पहले अनुसूची पेशा के नियम के अनुसार आपने ग्रामसभा से अनुमति ली है कि ये जनसुनवाई करवाना चाहिये, जनसुनवाई स्थल यह होगा, यहा पर इतना हमारी तैयारी होगी, अगर नहीं तो तत्काल यह अवैध जनसुनवाई को खतम करके आज की जनसुनवाई को अवैध करार देते हुये जनसुनवाई तत्काल खतम कर दिया जाये। सर्वविदित है कि लाखो टन कोयला जलने से हानिकारक एस.ओ.2, एन.ओ.2, सी.ओ.2 और कार्बनडाई आक्साईड जैसे गैसेस निकलेंगी, चुंकि कोयले में 0.5 प्रतिशत 05 प्रतिशत सल्फर की मात्रा रहती है और इसके अनुसार अम्लीय वर्षा का कारण बनेगी जिसमें सल्फर एसीड, न्यूट्रिस एसीड की अम्लीय वर्षा हो सकती है इसके कारण इतनी बड़ी उद्योग को यहा पर और खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी उद्योग होगी तो बहुत सारे वायु प्रदूषण होंगे, बहुत सारे पेड़–पौधे प्रभावित होंगे, स्थानिय महिला, पुरूष शरीर में स्थानिय जो होगा वो होगा यहा के जितने फौना, फ्लोरा में भी यहा दूनिया भर का आब्जेक्शन होगा, यहा पर बहुत सारी चिजे उनके सेहत पर अस्तित्व में खतरा होगा इसलिये इस जनसुनवाई को यही पर तत्काल खत्म कर दिया जाये। अम्लीय वर्षा के कारण जैव विविधता के जमीन के वन्य प्राणी, एतिहासिक ईमारतो, मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष रूप से हानी पहुचती है वही अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारी जमीनों की गुणवत्ता में व्यापक पैमाने पर गलत असर होगा अगर आप इस जनसुनवाई को निरस्त नहीं करते है। वायुमंडल में कार्बनडाई आक्साईड और कार्बन मोनो आक्साईड जैसे ग्रीन हाउस गैसो से ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण से लोगो के स्वास्थ्य पर दूषप्रभाव पड़ेगा। एक डॉक्टर के डेटा के अनुसार अगले तीन साल में रायगढ़ के अंदर स्कीन कैंसर प्रतिव्यक्ति को होने की आशंका दर्शाई गई है। डॉक्टर सागरधारा के अध्ययन

को आप देखे और उस आधार पर इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करें। आपको बता दूं कि प्रस्तावित उद्योग स्थल आदिवासी जमीन 170ख के मामले में एस.डी.एम. कार्यालय, तहसील–खरसिया में मामला लंबित है तथा जितने भी गांव इस योजना में प्रभावित है वे सभी ग्राम वन उपजाउ जमीन रहवासी इलाके है घोषित औद्योगिक क्षेत्र नहीं है तथा प्रस्तावित क्षेत्र भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में आती है। आपको बता दूं कि आज की इस जनसुनवाई में सबसे महत्वूपर्ण बात आप नोट करे चाय बाद में पीना मेरा बात सुन लो, गिरता हुआ जल स्तर के बावजुद प्रस्तावित उद्योग में 17 लाख 76 हजार 500 सौ लीटर पानी उपयोग करेगा इसके लिये मसर्स वेदांता वाशरी एण्ड लाजिस्टिक साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड से लीज में लिया गया अनुमति पत्र क्रमांक 818 जो दिनांक 31.05.2022 को समाप्त हो जायेगा और इस जनसुनवाई को आज आप करा रहे है 20.01.2023 को तो ये ये पानी कहा से लेगा आलरेडी इस क्षेत्र का भूमिगत जल पुरी तरह 133 से 150 फीट तक गहरा पानी नीचे चला गया है, तो इनके पास इस उद्योग को चलाने के लिये चुंकि पानी नहीं है और इनका पूर्व का एम.ओ.यू. जो है वो निरस्त हो चुका है इसलिये भी इस उद्योग को भूगर्भ जल का अंधाधुन दोहन करेगा अगर ये इस क्षेत्र में स्थापना करेंगे तो और पुरे क्षेत्र में पानी के लिये हाहाकार मच जायेगा इसलिये इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करना चाहिये। वही पर प्रस्तावित रिपोर्ट के ई.आई.ए. रिपोर्ट के अनुसार 2011 की जनगणना अनुसार प्रभावित क्षेत्र में कुल 11 गांव की जनसंख्या 97 हजार 646 बताई है जिसकी निस्तारी हेतु भू–जल संकट पैदा हो जायेगा, इतनी बड़ी जनसंख्या को आप पानी कहा से देंगे पीने के लिये। प्रभावित स्थल के 01 किलोमीटर के बुड़ा पहाड़, बसनाझर, ढोलपहरी जंगल है जहां पर विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियां एवं अन्य प्राणियों का निवास करते है। फौरा और फ्लोरा उद्योग से निकलने वाले जहरिली गैसों तथा उच्च तापमान से परागण पाल्यूशन करने मधुमक्खी, पतंगा, तितली, पक्षी तथा छोटे–छोटे सूक्ष्म जीव मर जायेंगे जिससे जैव विविधता पर बुरी तरह से असर होगा। रानीसागर जो प्रस्तावित उद्योग स्थल के आस–पास स्थित है उसके अंतर्गत आने वाले तमाम जो पूर्णतः प्रस्तावित उद्योग से प्रभावित होकर नष्ट हो जायेगी और वन सम्पदा डोरी, चार, तेंदू, महुआ, काजू जो भी वन्य उपज है वो कंदमूल है वो नष्ट होंगे, लोगो के खासकर आदिवासी महिलाओं के हाथों से रोजगार पुरी तरह से खतम हो जायेगा इस उद्योग के स्थापना से। इसलिये भी इस उद्योग का स्थापना और रायगढ़ के अंदर नही होना चाहिये। यहा की जैव विविधता, यहा का सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, यहा के पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुये आज की जनसुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाये। प्रस्तावित उद्योग के ई.आई.ए. रिपोर्ट में 41 किस्म के वृक्षो तथा वनस्पतियों की प्रजाती का अध्ययन का उल्लेख है तथा 10 जलीय वनस्पति के प्रजाती का उल्लेख है, 16 प्रजातियों का मैसल्स है और 11 प्रजाती रेप्टाईल्स की है, 57 प्रजातियां पक्षियों की तथा 11 प्रजातियां बटर फ्लाई का उल्लेख है जो उद्योग के निकलने वाले जहरिली गैसो से प्रभावित होकर मर जायेंगी और उनकी प्रजनन क्षमता खतम होने से उनकी प्रजातियां खतम हो जायेगी, इस धरती से ही वो खतम हो जायेगा।

प्रस्तावित उद्योग स्थल से 01 किलोमीटर के अंदर लोहाखान बांध तथा दन्तार नाला प्रस्तावित उद्योग स्थल के मध्य स्थित है जिससे पानी से पुरे क्षेत्र टेमटेमा, खैरपाली, रजघटा, पामगढ़, चपले, कुनकुनी, बेंदोझरिया, पंडरीपानी रहवासी दैनिक जीवन में उपयोग करते है जो प्रस्तावित उद्योग से प्रदूषित होगा और पास में स्थित कुरकुट नदी भी प्रदूषित होगी इसलिये भी इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाये। तहसील खरसिया, कार्यालय नगरपालिका, शासकीय चिकित्सालय, शासकीय महाविद्यालय प्रस्तावित आज की वो उद्योग स्थल से 06 किलोमीटर के रेडियस में है जिसे ई.आई.ए. रिपोर्ट में अधिक दूरी बताकर फर्जी ई.आई.ए. आज की इस जनसुनवाई को कराया गया है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में फ्लू गैस से सल्फर डाईआक्साईड और नाईट्रोजन डाईआक्साईड को कम करने हेतु ई.एस.पी. का प्रावधान है। पुरे जिले में जिला पर्यावरण अधिकारी समझते है कि वो ई.एस.पी. कितने चलते है, कितने नहीं चलते है। चुंकि सल्फर डाईआक्साईड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, पूर्व में जो शिकायते है रायगढ़ जिले के औद्योगिक उनका अभी तक संपूर्ण रूप से निपटान नहीं हुआ है, उन शिकायतों पर अभी कार्यवाही नहीं हुई है तो फिर एक नया उद्योग स्थापित करने का कोई तुक नहीं बनता इसलिये आज की जनसुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाये। प्रस्तावित उद्योग स्थल एन.एच. 46 से लगा हुआ है, लगभग 100 फीट की दूरी पर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग का सीधा उल्लंघन है, जब इतने सारे कानुन है, पेशा है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का उल्लंघन है, इतने सारे कानुनों को ओवरलेपिंग करके एक नया उद्योग स्थापित करने का कोई तुक नहीं बनता है और वहीं माण्ड नदी प्रस्तावित उद्योग स्थल से 01 किलोमीटर के अंदर में है और ई.आई.ए. रिपोर्ट में ज्यादा दूरी बताया है जो प्रभावित है। आपको बता दें कि ये जो दूरी सेटेलाईट से खीची हुई तश्वीर से लिया जाना चाहिये ना की सड़क मार्ग से सेटेलाईट के हिसाब से फोटो लगायेंगे तो यह 02 किलोमीटर के आस–पास ये पूरी तरीके से जो जल श्रोते है, माण्ड नदी जैसे जो जीवन दायिनी है और महानदी की सहायक नदी है ये नदी सीधी प्रभावित हो रही है। सरकार द्वारा सीचाई हेतु महत्वपूर्ण हसदेव बांगो परियोजना के तहत मुख्य एवं शाखा नहर खरसिया नगर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है जो पूर्णतः प्रभावित एवं प्रदूषित होंगी। चुंकि यह क्षेत्र बेहतर उपजाउ और फल–फूल, अनाज के लिये यहा हसदेव बांगो परियोजना के तहत मुख्य शाखा से पानी दिया जा रहा है, कल को इस उद्योग से निकलने वाले औद्योगिक कचरा, वायु प्रदूषण और फ्लाई ऐश से वो जाकर उसी हसदेव बांगो मे शामिल हो जायेगा और हमारे खेतो तक आयेगा, और खेतो से हमारे फसलो तक, और फसलो से हमारे पेट तक तो पुरे तरह से ये जाल बिछ जायेगी इस उद्योग की स्थापना से अतः इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त कर इसकी पुरे तरीके से जॉच की जाये पर्यावरणीय कमियों को देखा जाये, समाज में प्रभाव को देखा जाये पेशा कानुन के तहत ग्रामसभा से पहले चर्चा रखीये इसके बाद ही ये जनसुनवाई होनी चाहिये। प्रस्तावित उद्योग स्थल में कोई घोषित औद्योगिक क्षेत्र नहीं आता अपितु क्षेत्र में 72 बस्तियों में 97649 जनसंख्या रहवास करती है और फिर भी इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर के अंदर में एस.के.

एस. पॉवर, मोनेट इस्पात, स्काई पलांट, रूकपणी पॉवर प्लांट, एथेना पॉवर, डी.बी. पॉवर जैसे कई छोट–बड़े उद्योग पहले से ही पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे है जिसमें आपके द्वारा अभी तक किसी किसम की मजबूत जांच कमेटी या उनके ऊपर कार्यवाही उनकी शिकायतों में नहीं किया गया है। इसके बाद इसका एक नया आप जो स्थापना करने जा रहे है इस कंपनी को तत्काल निरस्त करे और इस क्षेत्र में हमे उद्योग नहीं चाहिये, ऑलरेडी जो यहा पर है आप उसको नहीं सम्हाल पा रहे है जिला प्रशासन ना जिला पर्यावरण अधिकारी। प्रस्तावित उद्योग से लगभग 03 लाख प्रतिटन अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा जिसको डिस्पोज करना एक बड़ी समस्या होगी। विगत कई वर्षो से बनी हुई है रायगढ़ जिले के अंदर। उद्योग से निकलने वाला धुलकण और उसमें जो कार्बन की मात्रा वर्तमान स्तर में कई गुना बढ़ जायेगा जिससे जैव विविधता के साथ–साथ भारी क्षति होगी और मानव शरीर को कई किसम की बीमारिया होंगी जिसमें महत्वपूर्ण जो अस्थमा है आपका अलग–अलग डिसिस है ये तमाम बीमारिया होंगी, महिलाओं के गर्भाशय से लेकर कैंसर जैसे जीव जन्तु तक बीमारी होगी। निवेदन है कि उपरोक्त कारणों को देखते हुये उक्त परियोजना का सीधा–सीधा हम बहिस्कार करते है तथा संबंधित विभाग से परियोजना की जनवसुनवाई को निरस्त करने का निवेदन करते है, मांग करते है। यद्यपि देश में आपको विकास करना ही है तो आप फुड प्रोसेसिंग, टैक्स टाईल्स, नवीन उर्जाकरण, सूचना प्रोद्योगिकी अन्य उद्योग काहे नहीं लगा लेते, खाली कोयला चाहिये आप लोगो को तो इस तमाम चिजो को देखते हुये आपको इस जनसुनवाई का हम सीधा–सीधा विरोध करते है, इसका लिखित और मौखिक हम आपको शिकायत करते हुये आज की इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करें। इसमें मुझे लिखित में पावती दे दीजिये।

217. दूकालू यादव – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। परिवार इस कंपनी से चलता है मैं सेमीपाली का हूं।
218. पंचोबाई, बेंदोझरिया – कंपनी का विरोध है। कंपनी नहीं चाहिये।
219. रतिबाई – कंपनी का विरोध है।
220. दुर्गा, बेंदोझरिया – कंपनी का विरोध है।
221. सकुन बाईन, बेंदोझरिया – कंपनी का विरोध है।
222. बेंदोझरिया – कंपनी का विरोध है।
223. मुन्नीबाई, बेंदोझरिया – कंपनी का विरोध है।
224. सावित्री बाई, बेंदोझरिया – कंपनी का विरोध है।
225. शांतिबाई, बेंदोझरिया – कंपनी का विरोध है।
226. बुधियारिन बाई – कंपनी का विरोध है।
227. कंपनी का विरोध है।

228. वेदकुमारी, सेंदरीपाली – कंपनी का विरोध है।

229. गोमती, सेंदरीपाली – कंपनी का विरोध है।

230. गुरबारी बाई, सेंदरीपाली – कंपनी का विरोध है।

231. सेंदरीपाली – कंपनी का विरोध है।

232. –

233. सेंदरीपाली – कंपनी का विरोध है।

234. कमला – कंपनी का विरोध है।

235. रतिबाई – कंपनी का विरोध है।

236. भूमिका – कंपनी का विरोध है।

237. कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

238. कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

239. कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

240. सेंदरीपाली – कंपनी का विरोध है।

241. सदाबाई – कंपनी का विरोध है।

242. पूर्णिमा वासुदेव – कंपनी का विरोध है।

243. बिंदिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

244. बिमला – कंपनी का विरोध है।

245. सीमा राठिया – कंपनी का विरोध है।

246. गौरीबाई – कंपनी का विरोध है।

247. कौशिल्या, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

248. कुंती धनवार – कंपनी का विरोध है।

249. मनीषा कुमारी यादव – कंपनी का विरोध है।

250. निलू राठिया – कंपनी का विरोध है।

251. भूमिका धनवार, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

252. मधुकुमारी धनवार – कंपनी का विरोध है।

253. नेहाकुमारी धनवार – कंपनी का विरोध है।

254. रजनी – कंपनी का विरोध है।

255. पद्मा राठिया – कंपनी का विरोध है।

256. रमला यादव – कंपनी का विरोध है।

257. अंजू – कंपनी का विरोध है।

258. चमेली – कंपनी का विरोध है।

259. कंपनी का विरोध है।

260. बाबूलाल राठिया – कंपनी का विरोध है।

261. भगवति बाई यादव – कंपनी का विरोध है।

262. गिरीजा धनवार – कंपनी का विरोध है।

263. घसनीन बाई चौहान – कंपनी का विरोध है।

264. मीनाबाई राठिया – कंपनी का विरोध है।

265. कचरा बाई राठिया – कंपनी का विरोध है।

266. लक्ष्मीन बाई यादव – कंपनी का विरोध है।

267. फुलकुमारी राठिया – कंपनी का विरोध है।

268. सोमजा यादव – कंपनी का विरोध है।

269. राजकुमारी – कंपनी का विरोध है।

270. पूनी – कंपनी का विरोध है।

271. राजकुमारी धनवार – कंपनी का विरोध है।

272. कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

273. हेमीन – कंपनी का विरोध है।

274. सीमा – कंपनी का विरोध है।

275. सुनिता – कंपनी का विरोध है।

276. कंपनी का विरोध है।

277. राजदेवी – कंपनी का विरोध है। यहा रोड में काफी मात्रा में एक्सीडेंट हो रहा है इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे है, ना कंपनी ध्यान दे रही है, ना ही गांव के लोग ध्यान दे रहे है। दो दिन पहले ही यहा एक्सिडेंट हुआ है चार आदमी एक साथ मर गये इसके बारे में सोचते नहीं है। हम यहा की जमीन को बेच देंगे तो हमारा बेटा क्या खायेगा, हमारे आने वाले पिढ़ी में क्या होगा। क्या धुल, मिट्टी, डस्ट, कोयला खाने के लिये हम यहा आये है सभी इसके बारे में बोले, हमे कंपनी नहीं चाहिये।

278. चमेली राठिया – कंपनी का विरोध है।

279. गीता, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

280. जानकी बाई, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

281. ममता बंजारे – कंपनी का विरोध है।

282. गंगा, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

283. सीता, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है। यहा के बच्चे रोड से स्कूल जा रहे है, एक्सिडेंट हो रहे है उसे बचाना चाहिये, यहा पर धुल है, पर्यावरण प्रदूषण को बचाना चाहिये।

284. पुष्पा राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

285. पार्वती, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

286. कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

287. देवमती, चपले – कंपनी का विरोध है। कंपनी नहीं चाहिये और धुल–डस्ट भी नहीं चाहिये, जनसुनवाई को निरस्त किया जाये।

288. दुर्गा पटेल – कंपनी का विरोध है।

289. प्रेमबाई, रानीसागर – कंपनी का विरोध है।

290. गायत्री बाई – कंपनी का विरोध है।

291. संतोषी बाई, खैरपाली – कंपनी का विरोध है।

292. कांतीबाई, खैरपाली – कंपनी का विरोध है।

293. योगिता बाई पटेल, खैरपाली – कंपनी का विरोध है।

294. वृंदाबाई, खैरपाली – कंपनी का विरोध है।

295. सेतकुंवर, खैरपाली – कंपनी का विरोध है।

296. मोंगरा पटेल, खैरपाली – कंपनी का विरोध है।

297. वासुदेव यादव – प्रदेश के किसान रायगढ़ जिले में और उद्योग नहीं चाहते है। अतः इसको तत्काल निरस्त किया जाये, क्योंकि रायगढ़ जिला प्रदूषित क्षेत्र घोषित हो चुका है, यहा समझने वाली बात यह है की जितने भी उद्योग खुले यहा पर सभी ने पहले बहुत लालीपाप खीलाया कि हम प्रदूषण मुक्त करेंगे, हम पुरा ध्यान रखेंगे और पूरी व्यवस्था करेंगे तो सभी विकास चाहते है, सभी नौकरी चाहते है, सभी रोजी–रोटी चाहते है तो सभी हा–हा कहते चले गये लेकिन नतिजा क्या निकला वो धोखा हुआ पब्लिक के साथ में इस कारण रायगढ़ जिला प्रदूषित घोषित हो चुका है। अगर घोषित होने के बाद भी अगर हमारा ध्यान नहीं जायेगा जान–माल की सुरक्षा पर तो हमसे ज्यादा बेवकुफ आदमी और कौन है। हम लोग विकास के विरूद्ध नहीं है, हम लोग विकास के पक्ष में है लेकिन ये लोग गद्दारी करते है जब काम निकलने को होता है तो चुम्मा ले लेते है और जब काम निकल जाता है तो लात मार देते है, यही हो रहा है, रायगढ़ जिले का वाशी बहुत लात खा चुका है अब और लात खाने की हिम्मत उसमें नहीं है। जैसा की हमने देखा है, हमने समझा है कि आस–पास में तितलिया, गौरईया सब खतम हो गये है, सब बरबाद हो गये, धरती की रौनक खतम हो गई ये क्यों हुआ, यह प्रदूषण के कारण हुआ। अब हमें या तो उनको बचाना है या हमको अपने जेब में पैसा भरना

है तो आप देखीये क्या महत्वपूर्ण है आपको जान बचाना महत्वूपर्ण है या पैसा भरना महत्वपूर्ण है। पैसा कोई बुरी चिज नहीं है लेकिन पैसा जब गलत तरीके से कमाया जाता है तो बुरी हो जाती है इससे हमको बचना है। प्रदूषण के कारण से जो नदी, नाले में पानी आयेगा उससे अनेक किस्म की बीमारिया फैलेंगी और पब्लिक बीमार होते चला जायेगा। पहले मनुष्य 100 साल जीता था वो भी बिना बीमारी का लेकिन आज देखीये प्रदूषण के कारण से आज 50–60 साल औसत रह गई है, ये हम लोग क्या कर रहे है, क्या हम लोग खुनी है, हम लोग दरिंदे है, अप्रत्यक्ष रूप से हम पब्लिक को मारने का, खुन करने का, कत्ल करने का हम रोज गुनाह कर रहे है और हम ऑख में पट्टी बांध कर बैठे हुये है, क्या ये सही है, क्या ये उचित है। हम पुनः कहते है हम विकास के पक्षधर है लेकिन पब्लिक को लात मारके नहीं, पब्लिक को सुविधा देके और जो पब्लिक हित में है उसको अच्छे से लागु करके ये नहीं आपने कॉपी पेस्ट करके ले आये और उसमें पता नहीं क्या–क्या लिखा हुआ है सब कुछ ओके–ओके चला जा रहा है लेकिन जब धरातल में आयेंगे तब गलत–गलत दिखता है। अभी हमारी महिला बोली उसमें एक–एक पाईंट सही है, आप उसकी एक भी बात को झुठला नहीं सकते है, उनकी एक–एक बात सही है इसलिये मैं उसको रीपिट नहीं करना चाहता वो समय की बरबादी है, उसकी बातो में ध्यान देकर जो दिया गया है प्रतिलिपि उसका अध्ययन करके हम यह चाहते है कि इसको निरस्त कर दिया जाये। आप यहां पर 170ख की जमीन जो की गलत तरीके से ली गई है उसपे ये सुनवाई करना ही अवैध हो जाता है इसलिये तत्काल प्रभाव से यह जनसुनवाई को निरस्त किया जाये। जब सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है कि ये आदिवासी जमीन कोई नहीं खरीद सकता है इसके बाद भी यह खोज का विषय है कि इन्होने क्या ऐसा चमत्कार कर दिया की आदिवासी जमीन इनके पास आ गई। पैसा बड़ी चिज नहीं है, पैसा आज है कल खतम, लेकिन उसने कौन सी घुट्टी पिलाई, वो कैसे गुमराह किया आदिवासियों को, कैसे ब्लैकमेल किया, कसा शोषण किया ये सोचने वाली बात है। और 170ख की जमीन ले ली और यहा गलत तरीके से उद्योग का संचालन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि कंपनी बंद हो जाये, यदि ये कंपनी खुलती है उस स्थिति में यहा के आदिवासियों को यहा के फैक्ट्री में मालिकाना हक दिया जाये, वे यहा के नौकर नहीं है, क्योंकि उसकी जमीन है अगर यहा के लोगो को जिनकी जमीन ली गई है उनको मालिक घोषित कर देती है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज की तारीख में मैं इस जनसुनवाई का विरोध करता हूँ।

298. बाबूलाल राठिया – मेरे को 30 हजार रूपया देता है साल में।

299. संतराम यादव, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

300. राजेश त्रिपाठी, जनचेतना रायगढ़ – जो आज की जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है और जिस नियम के तहत किया जा रहा है वह है 14 सितंबर 2006 केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। उस अधिसूचना में साफ स्पष्ट लिखा है कि किसी भी

कंपनी या उद्यो के आवेदन के 45 दिन क अंदर राज्य सरकार जनसुनवाई का आयोजन करवायेगी और अगर 45 दिवस के अंदर राज्य सरकार जनसुनवाई करवाने में असफल होती है उन स्थित में केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा और वो समिति जनसुनवाई का आयोजन करवायेगी। इसकी प्रक्रिया को देखे जो इसकी पिछली जनसुनवाई हुई थी वो 5वें महिने में पहली जनसुनवाई हुई थी और आपत्तियों की वजह से वो जनसुनवाई निरस्त की गई थी। तब भी ये जनसुनवाई उस समय पर भी आवेदन से लगभग 200–250 दिन बाद जनसुनवाई हो रही थी और अभी जो वर्तमान जनसुनवाई हो रही है वो जनसुनवाई पुरानी जनसुनवाई से लगभग 7–8 महिने बाद हो रही है, इसलिये ये जनसुनवाई की प्रक्रिया को देखे तो ये निरस्त करने योग्य है। इस जनसुनवाई की प्रक्रिया को अगर देखे इनकी जो ई.आई.ए. रिपोर्ट है और जो हमने 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो अध्ययन किया उस अध्ययन में पाया और अगर आप देख सकते है पिछे यहा से आधा किलोमीटर दूर देखे वहा किलोमीटर लगा हुआ है और वहा से खरसिया 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर है जो नगर निगम क्षेत्र है, उस नगर निगम क्षेत्र का पुरे ई.आई.ए. के अंदर कही कोई विवरण नहीं लिखा हुआ है, वहा की जनसंख्या का कोई आकड़ा नहीं है, वहां के कोई आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य जैसे मुद्दो पर कोई अध्ययन का डाटा नहीं है और यदि 10 किलोमीटर के रेडियस की देखे अभी आपके सामने काफी महिलाये यहा जनसुनवाई में अपनी बात रख रही थी अगर इस कंपनियों के विकास से अगर रायगढ़ में सब कुछ ठीक होता तो शायद हमारी पिछे युवाओं की खड़ी फौज है ये शायद बेरोजगार नहीं होते, सभी कंपनियों में ये रोजगार करते रहते और सभी लोगो की पिड़ा ये है कि रायगढ़ जिले मे भले ही इतने उद्योग खुल गये, इतनी खदाने खुल गई परन्तु स्थानिय लोगो का आज भी अगर रोजगार कार्यालय का पंजीयन का अध्ययन करे तो 02 लाख 20 हजार बेरोजगारो का आज की तारीख में जिला रोजगार कार्यालय में पढ़े–लिखे नौजवानों का पंजीयन है, इसका मतलब प्राकृतिक जो संशाधन है, प्राकृतिक संशाधनों का जो दोहन है और पुराने यहा देखे जिन कंपनियों की जनसुनवाई हुई और उनको पर्यावरणीय स्वीकृति मिली और जिन कंडिसनों पर मिली, यहा हमारे पर्यावरण अधिकारी बैठे हुये है, बगल में कोयले का पहाड़ लगा हुआ है और उनको पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है इन शर्तो पर मिली है कि जहां पर आप कोयला रखोगे उसके चारो तरफ आप सबसे पहले ग्रीनरी बनाओंगे आप देख लीजिये कंपनी ने ग्रीनरी तैयार नहीं की है, किसी कंपनी ने पानी का छिड़काव नहीं किया है, किसी कंपनी ने जो बुनियादी सुविधाये होनी चाहिये थी वो नहीं दिया है तो फिर आगे आने वाले जो विस्तार है और नई कंपनियों के स्थापना पर यहा रोक लगनी चाहिये। हमारे पहले एक सज्जन बोल रहे थे की कुनकुनी ना केवल रायगढ़ का विवादित गांव रहा है बल्कि ये पुरे हिन्दुस्तान में, पुरे दुनिया में कुनकुनी का मामला, आदिवासियों का मामला गया और यहा के जो आदिवासी है जिनकी जमीनों को औने–पौने और धोखा–धड़ी करके ये पुरी जमीने जो आदिवासियों की हड़पी गई। राजस्व कमिशनर के आदेश के बाद भी कुनकुनी के आदिवासियों की आखिरकार जमीन वापस क्यों

नहीं मिली, जब कुनकुनी का मामला बिलासपुर हाईकोर्ट के अंदर अगर विचाराधीन है तो उन विवादित जमीन में उद्योगो की अनुमति प्रदान कैसे की जा सकती है। सबसे पहले जब तक इस विवादित जमीन का निपटारा नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता है इस कंपनी की जनसुनवाई ही नहीं होनी चाहिये और जब जमीन का निपटारा हो जाये इसके बाद जनसुनवाई की प्रकृया होनी चाहिये और ये केवल रायगढ़ का खरसिया का कुनकुनी का मामला नहीं है, लगभग रायगढ़ जिले में आदिवासियों के 170ख के मामले लगभग आज की डेट में 1600 ऐसे केश है जो मेरे द्वारा स्वयं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास भी उन पुरे केशो को भेजे गये है, उनकी पी.आई.एल. भी हाईकोर्ट के अंदर लगाई गई है और जो मामले अगर विचाराधीन है उनके बिना निर्णय के किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। मैं इनकी ई.आई.ए. की सार का अध्ययन कर रहा था, इनके 10 किलोमीटर के रेडियस का जो एरिया है इनके जो पर्यावरणीय ई.आई.ए. बनी है उसमे सिंघनपुर गुफा जिसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने एतिहासिक धरोहर के रूप में स्वीकार किया है उसके बगल में रामझरना है उसको एतिहासिक धरोहर के रूप में कहा गया है इसके बावजुद भी किसी भी प्रकार की जानकारी ई.आई.ए. के अंदर नहीं है और उसके संरक्षण और संवर्धन के वन विभाग जो है और पुरातत्व विभाग जो है वो बार–बार अपनी अभी छत्तीसगढ़ की एक किताब संपर्क विभाग रायगढ़ से निकाला उसमें सिंघनपुर और रामझरना के संरक्षण और संवर्धन के, पुरातत्व और एतिहासिक चित्रों की बात कही गई है तो अगर एसे उद्योगो को अनुमति दी जाती है जिसकी प्रदूषण की वजह से हमारे एतिहासिक धरोहर है, शैलचित्र है वो नष्ट होने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। आस–पास के पानी का जो मुद्दा है माण्ड नदी यहा से बहती है और जो ग्राउण्ड वाटर की स्थिति है जो की सुप्रिमकोर्ट के सीधे–सीधे निर्देश है की जो भू–जल है उसका उपयोग सबसे पहला पीने के लिये अनुमति है, दुसरा उनकी जो अनुमति है एग्रीकल्चर के लिये है और तीसरा उद्योगो के लिये भू–जल दोहन की अनुमति नहीं है। परन्तु अगर जल संसाधन विभाग के जानकारी के मुताबिक देखे तो लगभग यहा के रायगढ़ के उद्योगो का जो जलकर बनता है भू–जल दोहन का वो महिने का 02 करोड़ से कही ज्यादा का जलकर होता है। इसका मतलब सुप्रिम कोर्ट के आदेशो के कोर्ट ऑफ कंटेक्ट को तोड़ते हुये रायगढ़ जिले में ग्राउण्ड वाटर पानी के अनुमति उद्योगो को जो दी जा रही है वो सुप्रिम कोर्ट के आदेशों के नियमों के खिलाफ है और मुझे लगता है कि ये भी उद्योग जो पानी के मामलों में इन्होने कहा है कि जो पानी की इनकी खपत होगी वो पानी की खपत भू–जल दोहन के माध्यम से होगी क्योंकि इनके रिपोर्ट में वाटर कंजरवेशन जो विभाग है उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. के अंदर पानी की परमिशन की नहीं लगी हुई है तो फिर ये उद्योग के पास पानी की परमिशन नहीं है तो ये उद्योग किन परिस्थितियों में कैसे यहा चलेगा। इन्होने अपने अध्ययन रिपोर्ट में ई.आई.ए. बनाने वालों ने पी.एम.10 की मात्रा 64.12 से लेकर 86 यू.जी.एम3 बताया है। अगर आप चाहे तो मेरे पास यहा टूल्स है आप देख सकते है अभी की वर्तमान स्थिति में लगभग पी.एम.2 की मात्रा 150 से लेकर 175 से 200 के बीच

में है अभी आप लगा लीजिये टूल्स और ये जो आप कम्प्यूटर की गणित से आप ये ई.आई.ए. बनाये है कम से कम 30 साल से मेरे जैसे आदमी अच्चा–बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। आप अगर 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर अध्ययन किया है तो कम से कम 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर कम से कम 9 ग्रामपंचायतें है और 9 ग्रामपंचायतों के सरपंचो के नाम बता दीजिये, क्योंकि जब आप किसी भी ग्रामपंचायत में जायेंगे और काई भी काम करते है तो वहा का ग्रामपंचायत का चौकीदार और ग्रामपंचायत का जो सरपंच है उससे आपको मिलना अनिवार्य है। इन्होने तीन चरण में अध्ययन करने की बात किया है और इस अध्ययन रिपोर्ट को देखे असलियत ये है कि जिन लोगो से मेरी बात हुई, अध्ययन करने वाली एजेंसी 10 किलोमीटर रेडियस के गांव के अंदर गई ही नहीं, कम्प्यूटर से जो फर्जी डाटा निकाले गये उन डाटाओं को ई.आई.ए. में भरा गया, अगर आपने गांव में अध्ययन किया, आप बताईये कितने आंगनबाड़ी के बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण किया, कितनी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया, कितनी शिशुवती महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया, कितने प्राईमरी स्कूल के स्वास्थ्य का परीक्षण का रिपोर्ट लगाया, कितने मिडील स्कूल के स्वास्थ्य परीक्षण का रिपोर्ट लगाया ये कहीं नही लगा हुआ है, क्यों नहीं लगा हुआ है, आप तो पर्यावरणीय अध्ययन कर रहे है, हम विरोध और समर्थन की बात नहीं करते, हम इस बात पर करते है अगर पर्यावरण से सबसे ज्यादा जो दूषप्रभाव होंगे वो हमारे घर के बच्चो पर होगा, हमारी गर्भवती महिलाओं पर होगा, शिशुवती महिलाओं पर होगा, प्राईमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चो पर होगा और आपका जो कच्चा माल लगभग 9 लाख मीट्रिक टन जो आयेगा वो हवा से उड़कर आयेगा और वो सड़क के माध्यम से आयेगा तो कितने वाहनों की जरूरत होगी, 20 चक्के वाहनों की परमिशन जो है गाड़ी सहित 35 टन भाड़ा और 15 टन की गाड़ी, 50 टन की अनुमति है, 9 लाख आप कच्चा माल लेकर आयेंगे तो उसके लिये कितने वाहन चाहिये और जो माल आप उत्पादन करेंगे वो माल सड़क के माध्यम से जायेगा उसके लिये कितने वाहन चाहिये, इसकी कोई जानकारी है। आप अगर यहा बात कर रहे है तो आप ये बताईये रायगढ़ में हर महिने सड़क दूर्घटनाओं में से 73 मौते हर महिने होती है। अभी 3 दिन पहले सड़क दूर्घटना में यहा 1 आदमी घायल हुआ और 4 लाग मरे तो हमारी सड़को पर बोझ पड़ेगा उससे आने वाले समय में जो दूर्घटना होगी उसके लिये आपके पास क्या रोड मैप है। इस पुरे ई.आई.ए. के अंदर आपने कहा लिखा है कि सउक दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को रोकने के लिये कंपनी किस तरीके की सिक्यूरिटी की व्यवस्था करेगी। इन्होने परियोजना का लाभ भी बताया है, इस पुरी कंपनी में 100–150 लोगो को रोजगार मिलेगा, जो हमारे नौजवान साथी खड़े हुये है उनको बता देता हूँ कि यहा 02–03 हजार नौजनवान युवा खड़े हुये है, इस परियोजना के लगने से केवल 100–150 लोगो को आप नौकरी दोगे, उसमें जी.एम. होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, सुपरवाईजर होगा और स्थानिय लोगो को आपके कंपनी के लगने से फायदा क्या होगा जिनकी जमीन जा रही है, जिनका जंगल जा रहा है, जिनका पानी जा रहा है, जिनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो

रहा है। इन्होने जो कहा है पर्यावरणीय सुरक्षा के लिये पैराग्राफ 12.0 पर पर्यावरण प्रबंधन योजना, इन्होने कहा की हम पर्यावरण सुरक्षा के लिये 16.8 करोड़ रूपये खर्च करेंगे और आपको बता दूं की 2021 में 32 कंपनियों की जनसुनवाई हुई और लगभग ये 16 करोड़ का बजट बता रहे है, लगभग 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ का हर कंपनी बजट बताती है, आपके बगल में जो ये कोयले का पहाड़ बना हुआ है इनकी जनसुनवाई में जो किया गया है लोगो के साथ समझौता आप ये बताईये उसका कितना पालन किया गया है कि आप उस पालन को आगे बढ़ायेंगे। इन्होने अपने ई.आई.ए. के अंदर जनसंख्या का जो रीपोर्ट है की अगर 15–20 गांव ये प्रभावित होंगे, खरसिया नगर पंचायत जो नगर निगम क्षेत्र है उसके पुरे डाटा को आपने छिपाया और लगभग इस परियोजना से आस–पास के एरिया है जो खरसिया क्षेत्र है लगभग साढ़े तीन लाख लोग प्रभावित होंगे प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से पता नहीं कितने लोग प्रभावित होंगे और आपको बात दूं कि आप इसमें बीजली भी पैदा कर रहे है भाप के माध्यम से रायगढ़ जिले की आज सबसे बड़ी समस्या है वो फ्लाई ऐश निस्तारण की है यहा से लेकर केन्द्र सरकार तक मान रही है और जो फ्लाई ऐश का निस्तारण होगा उसके लिये आपके पास क्या व्यवस्था है इस ई.आई.ए. के अंदर कही नहीं लिखा है की आप जो कोयला जलाओगे जो उससे राख निकलेगा उसका निस्तारण कहा होगा तो एक तरीके से आप ई.आई.ए. तो बनाये है और लगभग देश के जो ई.आई.ए. बनाने वाले लोग है रायगढ़ जिले में जिन लोगो ने ई.आई.ए. का प्रजेंटेशन किया है उन सभी ई.आई.ए. बनाने वाले को कम से कम मैं तो जानता हूँ और वो कैसे ई.आई.ए. बनती है ये भी जानता हूँ, कैसे तथ्यों को छिपाया जाता है। अगर आप कुनकुनी गांव गये थे और कुनकुनी गांव में इन्होने अगर पर्यावरण अध्ययन किया है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वहा 170ख का मामला, आदिवासियों का मामला आया था तो आपके ई.आई.ए. सामाजिक अध्ययन रिपोर्ट के विवादित मामला आपके अध्ययन रिपोर्ट के अंदर क्यों नहीं आया, वो आना चाहिये था वो भी इनके अंदर नहीं है। जो पर्यावरणीय प्रभाव के साथ–साथ जो आपके मटेरियल सड़क के माध्यम से आयेंगे, इनका परियोजना क्षमता 9 लाख टी.पी.डी., स्पंज ऑयरन उत्पादन होगा 2 लाख 31 हजार टी.पी.डी., ब्लेट्स उत्पादन होगा 2 लाख 4 हजार टी.पी.डी., रोलिंग मिल होगा 1 लाख 98 हजार टी.पी.डी., केप्टिव पॉवर होगा 24 मेगावाट। अगर सब को जोड़ दिया जाये तो लगभग 15 लाख टी.पी.डी. की क्षमता इनकी हो जाती है। इन्होने पुरा अपना अध्ययन में 24 मेगावाट और जमीन। ई.आई.ए. बनाने वाली एजेंसी को एक चिज और बता दूँ, आपने कहा की हमारे पास जो जमीन उपलब्ध है 20.28 हेक्टेयर है। 01 मेगावाट बीजली उत्पादन के लिये जो दुनिया का सबसे बेहतर मॉडल है उसके लिये 1.75 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है तो अगर ये 24 मेगावाट बीजली पैदा करेंगे तो 24 इनटू 1.75 हेक्टेयर ये दुनिया का सबसे स्टैण्डर्ड साईज है तो आपके पास कुल जमीन का 33 प्रतिशत आपको ग्रीनरी बनानी है वो जमीन आपके पास कहा से आयेगी, आपका उद्योग कहा स्थापित होगा और उद्योग के अंदर बुनियादि सुविधाओं के लिये जमीन आपको चाहिये वो जमीन आपके पास

कहा से निकलेगी। इन्होने कहा कि इनको प्रतिदिन 1776.5 केएलडी पानी की जरूरत होगी और इन्होने कहा की मेन पॉवर की आवश्यकता 400 लोगों की होगी तो बुनियादी सवाल ये है कि ये जो 1776.5 केएलडी. आपको पानी जो चाहिये वो पानी कहा से आयेगा। ये आपके यहा जल संसाधन विभाग या किसी विभाग से आपके ई.आई.ए. के अंदर कोई परमिशन लगी है क्या? या परमिशन के लिये कोई आवेदन किया गया है क्या? और अगर आवेदन किया गया है तो आवेदन की कॉपी कहा है आपके ई.आई.ए. के अंदर। इसका मतलब यह होता है कि ग्राउण्ड वाटर पानी का उपयोग करेंगे। रायगढ़ के जल संसाधन विभाग ने 01 कंपनी के ऊपर 03 करोड़ जलकर का बकाया था, आपके मंच में खड़े होकर बोल रहा हूँ कि 27 लाख रूपये का घुस लेकर उस कंपनी का जलकर खतम कर दिया गया ये क्या सरकार के साथ बेईमानी नहीं है, लुट नहीं है, धोखा–धड़ी नहीं है क्या। तो आपके पास जब परमिशन नहीं है, आपकी कंपनी स्थापित हो जायेगी आपको पानी मिलेगा नहीं तो आप भी फिर करोड़ो का जलकर चोरी करेंगे, यहा का पानी चोरी करेंगे, आस–पास के गांव में पेयजल संकट पैदा होगा, लोगो के बोर खतम हो जायेगे, हैण्डपंप खतम हो जायेंगे, कुआं खतम हो जायेगा, उनके पेयजल की व्यवस्था क्या होगी उसके लिये आपकी ई.आई.ए. पुरी–पुरी चुप है।

301. सरिता पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है। कंपनी हमें नहीं चाहिये क्योंकि पहले भी हम भुगत चुके है अभी आई है कंपनी वो बिहार से लाकर वर्कर रख रही है और 20–40 हजार दे रही है और हमारे बच्चे लोग बेरोजगार घुम रहे है, बड़े–बड़े गिट्टीयां पकड़कर घुम रहे है, कंपनी द्वारा उन्हे कुचल दिया जाता है। हम अपनी जमीन नहीं देंगे।

302. – ये मनहुश कंपनी हमे नहीं चाहिये, मेरे 02 बेटे जान गवाये है यही पर अगले साल, मेरे बेटे का जान गया है कंपनी हमे नहीं चाहिये, पैसा हमे नहीं चाहिये। मेरे बेटे का जान गया है और कंपनी वाला मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया है। इसी गेट में मेरा बेटा खतम हुआ था, हमको ये कंपनी नहीं चाहिये और 25 हजार रूपया मिलता है वो भी नहीं मिला है सरकार जो देता है। कंपनी पैसा दे, पढ़ाये–लिखाये मेरे नाती को उसके सारे पढ़ाई का पैसा दे कंपनी। अगर ये कंपनी यहा नहीं होता तो मेरे बेटे का जान नहीं जाये रहता।

303. – मेरे बेटे का जान गया है कंपनी में, कंपनी वाला मेरा बेटा दे या मेरे जिने तक पोसे। कंपनी नहीं आता तो मेरे बेटे का जान नहीं जाता। मेरे बेटे को वापस करे।

304. हरिकुमार पटेल, – कंपनी का विरोध है।

305. कुसुमबाई पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

306. जमुना पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है। कंपनी नहीं चाहिये यहा ज्यादा दुर्घटना हो रहा है। हमको हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है।

307. सकुंतला डनसेना, चपले – कंपनी का विरोध है।

308. देवकी डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

309. पंचकुमारी – कंपनी का विरोध है।

310. यज्वला यादव, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है। आदिवासियों की समस्यों ओ देखते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था दी है कि आदिवासियों को अपनी जमीन से रिस्ता बनाये रखने का अधिकार है साथ ही सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृति की रक्षा के लिये अनुसुचित क्षेत्र में बिना ग्रामसभा के औद्योगिक उपकर्म का विस्तार, स्थापना नहीं किया जाना चाहिये। इस वर्ग के पास अपनी आमदनी के लिये छुट पर वनोजन एकत्र कर बेचने के साथ कृषि कार्य की आजिविका का एकमात्र साधन वेदांता ग्रुप में बाक्साईड खनन उड़िसा पर रोक लगाते हुये यह व्यवस्था की है, ग्राम कुनकुनी में स्थापित वेदांता कंपनी के प्रदूषण से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है, उपज उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है, जमीन बंजर होते जा रहे है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उद्योग के स्थान चयन हेतु दिशा–निर्देश दिया गया है कि आबादी क्षेत्र में उद्योग स्थापना पर रोक लगाई जावे, साथ ही ग्रामपंचायत कुनकुनी, तहसील–खरसिया, अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्र से 25 किलोमीटर दूर तथा एतिहासिक स्थान, हाईवे दूर स्थापना होनी चाहिये, परन्तु यह उद्योग आबादी से तथा हाईवे से लगा हुआ है, एतिहासिक रामझरना इस कंपनी के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। पूर्व में आदिवासी जमीन की बेनाम खरीद, बिक्री रेल्वे साईडिंग के नाम से संबंधित कंपनी की संहिता में बेनाम विगत सात वर्ष से आदिवासी जमीन पर स्थापित वेदांता कंपनी विस्तार हेतु पुनः आदिवासी जमीन कब्जा करेगा इसलिये इस स्थापना का विरोध करती हूँ। वेदांता वॉशरी एण्ड लाजिस्टिक कंपनी पुरी तरह भू–जल पर आश्रित है जबकि इस कंपनी के पास अनुमति नहीं है। मानव अधिकार की श्रेणी में प्राकृतिक जल को प्रदूषित कर रसायन युक्त लोगो के जीवन पर असर डालेगा इसलिये इस कंपनी के विस्तार पर आपत्ति है। ग्रामपंचायत कुनकुनी एवं आसपास के ग्राम पुर्णतः वनोपसादि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है यह वन्य, पशु विशेषकर भालू जैसे प्रथम श्रेणी के यहा जानवर निवास करते है। यह आदिमानव द्वारा निर्मित शैल चित्र, पुरातात्विक प्रमाण है, साथ ही राजझरना एतिहासिक यह दोनो राष्ट्रीय धरोहर कंपनी के विस्तार से समाप्त हो जायेगा इसलिये जनसुनवाई की आपत्ति है। स्थापना जो की सार के नाम से स्थापित होने वाला है वेदांता से संबंध रखने वाला उद्योग है, दोनो की ई.आई.ए. रिपोर्ट भौतिक स्तर के आधार से बिलकुल परेवा फर्जी प्रतित होता है इसका मैं विरोध करती हूँ। वेदांता कंपनी पर्यावरण संरक्षण के उपाय का पालन नहीं किया और ना ही प्रभावित गांवो के विकास पर सात वर्षो में ध्यान नहीं दिया। आज इस कंपनी के उद्योग वायु, जल, जंगल, भूमि जो प्राकृतिक द्वारा जन–जीवन के लिये आवश्यक घटक है उससे जहिरा बदल चुका है, जन–जीवन पर गंभीर बीमारी का प्रकोप है इस कंपनी के लापरवाही का परिणाम जन–जीवन को जहरीला वायु रसायन युक्त जल परोसा जा रहा है। क्षेत्र में अस्तमा, सिलिकोस, ऑख की रोशनी, चर्मरोग के साथ दहसत जैसे प्राणलेवा बीमारी फैलने वाले वेदांता कंपनी जनसुनवाई पर मैं आपत्ति करती हूँ। स्थानीय

व्यक्ति, किसान कंपनी को भूमि देकर भाईचारे का सद्भाव पूर्वक संबंध बनाते हुये संयोग किये परन्तु कंपनी द्वारा स्थानीय बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने के बजाय प्रवासी लोगो को रोजगार प्रदान कर रहा है जिसका मैं विरोध करती हूँ। ग्रामसभाओं द्वारा विधिवत जनसुनवाई और स्थापना हेतु ग्रामसभा का प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है, प्राप्त दस्तावेज ग्रामीणों के जानकारी में नहीं है और ना ही जनसुनवाई का विधिवत प्रचार–प्रसार कराया गया। विशेष छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उद्योग स्थापना व विस्तार के लिये रायगढ़ जिला में किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहण कर ले गई है परन्तु विगत 10 वर्ष पूर्व अधिग्रहण भूमि का मुआवजा कंपनी शासन के कोष में जमा नहीं करा पा रही है। आधार का अधिग्रहण कराकर नवयुवको के मौलिक अधिकारों को प्रमाणित कर रही है। मैं इस कंपनी का फीर से जोरदार विरोध करती हूँ।

311. प्रेमकुमार, पामगढ़ – कंपनी का विरोध है क्योंकि इस कंपनी के बैठने से हमारा पुरा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित होगा तथा अन्य प्रकार के जीव–जन्तुओं को भी नुकशान होगा।
312. इतवार सिंह, बेंदोझरिया – कंपनी का विरोध है।
313. टेवनलाल पटेल, पामगढ़ – कंपनी का विरोध है।
314. तेजप्रताप, पामगढ़ – कंपनी का विरोध है।
315. मालूराम, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
316. रोहित कुमार राठिया – कंपनी पहले बैठ रहा था तो विरोध नहीं किये। मैं कंपनी के विरोध में नहीं हूँ लेकिन महिला समाज के पक्ष में हूं। कंपनी को हमारे गांव के लोग, पंच, सरपंच ही किये है। मेरा जमीन गया है और हिसाब भी नहीं किया है। मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
317. दशरथ सिंह, बेंदोझरिया – कंपनी का विरोध है।
318. पोखराज राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
319. मीरा नागवंशी – कंपनी का विरोध है।
320. तारा चौहान, रजघटा – कंपनी का विरोध है।
321. सुरभी नागवंशी, छोटे डुमरपाली – कंपनी का विरोध है।
322. – कंपनी का विरोध है।
323. ननकीबाई डनसेना – कंपनी का विरोध है।
324. कंपनी का विरोध है।
325. कुंती, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
326. जानकी राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।
327. राजकुमारी – कंपनी का विरोध है।
328. मालती राठिया – कंपनी का विरोध है।

329. सोनमती – कंपनी का विरोध है।

330. सुखमती राठिया – मेरा 03 एकड़ जमीन गया है आज तक पता नहीं है। कंपनी का विरोध है।

331. कुंतिमती राठिया – कंपनी का विरोध है।

332. भानुमति, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

333. कंपनी का विरोध है।

334. नरसिंह बाई भारद्वाज, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

335. उसत पटेल, रानीसागर – कंपनी का विरोध है।

336. निलामणी पटेल – हमारा जंगल, हमारा जमीन, कंपनी के कारण हम लोगो को जीने–खाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आस–पास का रोड और खेत जाकर देखो आप लोग, जो फसल है वो पुरा काला हो गया है, खाने के लायक नहीं है जिसके कारण किसानों को गंभीर कैंसर जैसी बीमारी हो रहा है। कंपनी का विरोध है।

337. – समर्थन है।

338. नंदलाल, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

339. – कंपनी का विरोध है।

340. शोभाराम साहू, बसनाझर – कंपनी की स्थापना हो रही विरोध हैं

341. पूरीकिशन सारथी, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। योग्यता के आधार पर हर युवा वर्ग को नौकरी मिलना चाहिये।

342. बंजारे – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

343. हिरालाल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

344. भगत राम, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

345. चिनीलाल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

346. दिनेश कुमार बंजारे, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

347. हलधर बंजारे, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

348. चन्द्रशेखर राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

349. गीताराम – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

350. सतीश कुमार सारथी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

351. अजय कुमार राठिया, – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

352. मालू राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

353. सुखलाल राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

354. सुभाष कुमार – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

355. तुलसी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

356. रविन्द्र कुमार राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

357. हरिप्रसाद डनसेना – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

358. नूतन राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

359. फागुलाल यादव, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

360. लेखराम, बसनाझरिया – कंपनी का विरोध है।

361. – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

362. महोदव नौरंग, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

363. कमलदास, बाड़ादरहा – कंपनी का विरोध है।

364. योगेश – कंपनी का विरोध है।

365. दिनेश कुमार पटेल, पामगढ़ – उक्त उद्योग के स्थापना होने से क्षेत्र में गंदा पानी एवं कैमिकल युक्त जल से क्षेत्र की जीवनदायिनी आपके पीछे में एक नाला है, जीवनदायिनी दातार नाला कंपनी से प्रदूषित हो रहा है, सार स्टील प्लांट के खुलने से अधिक प्रदूषित हो जायेगा इससे क्षेत्र के समस्त पशु–पक्षी, जीव–जन्तु, मानव जीवन पर हानिकारक प्रभव पड़ेगा। यह कि उक्त उद्योग की स्थापना होने के पश्चात गांव में भारी वाहनों की आवाजाही प्रारंभ हो जायेगी जिससे क्षेत्रवासियों के मन हमेशा दुर्घटना का भय बना रहेगा। इसी क्षेत्र में 18.03.2023 को मोटर साईकिल दुर्घटना में 03 लोगो की मृत्यु हो गई और 01 गंभीर रूप से घायल है जिसके मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। यह कि उक्त उद्योग की स्थापना होने से यहा अन्य प्रदूषण से लोगो को आवाजवाही प्रारंभ हो जायेगी जिसे शांत समझने वाले गावों में आये दिन शांति बंद होने की पूर्ण संभावना है। यह कि उक्त उद्योग की स्थापना होने से उद्योगों से निकलने वाले गंदा पानी एवं कैमिकल युक्त जल से क्षेत्र की उपजाउ भूमि समाप्त हो जायेगी जिससे ग्रामीणों का एकमात्र साधन कृषि कार्य प्रभावित होगा उनके सामने भुखे मरने की स्थिति संपन्न होगी।

366. रमेश कुमार नौरंग – कंपनी का विरोध है।

367. सुखदेव – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

368. चुड़ामणी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

369. अनुज कुमार यादव – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

370. – कंपनी का विरोध है। कंपनी हमें नहीं चाहीये।

371. त्रिलोचन प्रसाद यादव – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

372. जगदीश, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

373. ईश्वरीबाई महंत, बाड़ादरहा – मेरा जमीन गया है डी.बी. पॉवर प्लांट में, धोखा दिया है मेरे को मेरे जमीन को ले लिया और मेरे आदमी को निकाल दिया तो हम क्या खायेंगे। मेरा जमीन को वापस किया जाये।

374. आज जो समर्थन दिये है जनसुनवाई में वो लोग पैसा खाकर आये है और साईडिंग के आदमी है उनके बात को रख दिया जाये और जनसुनवाई का विरोध किया जाये है। सार स्टील प्लांट को हम लोगो को नही बैठाना है और जल, जंगल, जमीन को बचाना है। कंपनी का विरोध है।

375. बबलू राठिया, कुनकुनी – यहा सबसे ज्यादा हमारा जमीन गया है, कंपनी नहीं बैठना चाहिये कंपनी का विरोध है।

376. संतोष कुमार राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

377. कमल सिंह राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है। पौधों का नुकसान हो रहा है कंपनी के वजह से। कंपनी को रद्द किया जाये।

378. अजय कुमार राठौर – कंपनी का विरोध है।

379. जगदीश प्रसाद यादव, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

380. रशीब खान, छाल – कंपनी का विरोध है।

381. कांति – कंपनी का विरोध है।

382. बाबू डनसेना – कंपनी का विरोध है।

383. पनिकराम, चपले – कंपनी का विरोध है।

384. – कंपनी का विरोध है।

385. नरेन्द्र कुमार पटेल, चलपे – कंपनी का विरोध है।

386. सीताराम राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

387. विरेन्द्र राठिया – कंपनी का विरोध है।

388. – कंपनी का विरोध है।

389. इतवारू राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

390. रूपेश पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

391. हृदयलाल राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

392. मोतीलाल डनसेना – कंपनी का विरोध है।

393. दामोदर पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

394. अनिल, चपले – कंपनी का विरोध है।

395. उत्तम डनसेना – कंपनी का विरोध है।

396. रामदयाल पटेल – कंपनी का विरोध है।

397. कृष्णा पटेल – कंपनी का विरोध है।

398. योगेश कुमार, चपले – कंपनी का विरोध है।

399. यादव प्रसाद राठिया, कुनकुनी – मैं कंपनी का घोर 108 बार विरोध करता हूँ और यहा पंडाल बना है मेन रोड तक ये मेरे पूर्वज का जमीन है, भू–अर्जन में औने–पौने दाम में ये जमीन लिया गया है और कुछ जमीन बच गया है उसका निराकरण कौन करेगा।

400. आद्या प्रसाद राठिया, कुनकुनी – मेरा जमीन गया है पिताजी का, यहा 170ख चल रहा है उसका कुछ निर्णय नहीं हो रहा है, जहां भी जा रहे है बोलते है आयकर विभाग चले गया है बोल रहे है। कंपनी का विरोध है।

401. दुषयंत प्रसाद राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

402. कन्हैया कुमार यादव – कंपनी का विरोध है।

403. देव राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

404. नेतराम रात्रे – कंपनी का विरोध है।

405. संजय डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

406. धनुर्जय गोष्वामी, रानीसागर – कंपनी का विरोध है।

407. सरपंच, रानीसागर – कंपनी का विरोध है।

408. परसराम खड़िया, रानीसागर – कंपनी का विरोध है।

409. योगित पटेल, रानीसागर – कंपनी का विरोध है।

410. कार्तिक प्रसाद, रानीसागर – कंपनी का विरोध है।

411. हीराराम, रानीसागर – कंपनी का विरोध है।

412. डोलनारायण पटेल, रानीसागर – जितने भी बोले है समर्थन है उनको नजर किया जाये, वो केवल कर्मचारी है कंपनी के, वेदांता के कर्मचारी है, उनको प्रताड़ित किया गया है कि काम से निकाल देंगे करके मैं उनसे मिला था बोल रहे थे विरोध करना है लेकिन यहा आकर कंपनी का समर्थन कर रहे है। मेरा निवेदन है कि जॉच किया जाये कि वो कंपनी का वर्कर है या साधारण है। वेदांता कंपनी को भी यहा से हटाना चाहिये इसका भी मैं विरोध करता हूँ। शुरू में प्रलोभन देकर आम लोगो को लालच देकर अपने वश में कर लेते है और हॉ बोलो करके बोलवा देते है और बाद में काम से भी निकाल देते है, किसी को कहते है आधार कार्ड में तेरा 60 साल हो गया है तु काम से निकल, किसी को कहते है हमएक परिवार में 02–03 आदमी नहीं रखेंगे। विरोध करता हूँ सार कंपनी का। खाना रात में बच जाता है तो खाने के लायक नहीं रहता। पानी को ढक कर रखने से भी गंदा हो जा रहा है, किसी का किडनी खराब हो गया है, कोई टी.बी. से प्रताड़ित है। लालच में ना जाये, अपने जमीन, जीवन और बाल–बच्चे को देखे।

413. – टेमटेमा – कंपनी का विरोध है।

414. – टेमटेमा – कंपनी का विरोध है।

415. सावित्री – कंपनी का विरोध है।

416. यशोदा पटेल – कंपनी का विरोध है।

417. सेतमती राठिया – कंपनी का विरोध है।

418. उत्तरा पटेल, चलपे – कंपनी का विरोध है।

419. गणेशी, चपले – कंपनी का विरोध है।

420. मालती बाई निषाद – कंपनी का विरोध है।

421. प्रेमलाल नागवंशी, रानीसागर – कंपनी का विरोध है।

422. सुंदर गोष्वामी, रानीसागर – कंपनी का विरोध है।

423. पवित्रा निषाद – कंपनी का विरोध है।

424. उत्तरा बंजारे – कंपनी का विरोध है।

425. ओमकृष्ण डनसेना, कुनकुनी – सार स्टील प्लांट हमे नहीं चाहिये हमें कोई रोजगार नहीं मिलता। कंपनी का विरोध है।

426. आदित्य कुमार डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

427. रामकुमार राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

428. चंद्रा पटेल, चपले – हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते थे लेकिन अब लोहा का कटोरा बोलते है तो धान को खायेंगे की लोहा को खायेंगे। हम लोगो को काम नहीं मिल रहा है। हम लोग धान को खाकर जिंदा रहेंगे, लोहा को खाकर नहीं।

429. महेश कुमार पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

430. पुरूषोत्तम पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

431. – चपले – कंपनी का विरोध है।

432. चैतन कुमार पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

433. अर्जुन कुमार वासुदेव, सेंदरीपाली – कंपनी का विरोध है।

434. – मेरा 03 एकड़ जमीन है वो कंपनी को मैं देना नहीं चाहता, मेरे खेत के पास कंपनी नहीं बैठना चाहिये।

435. रामायण सिंह राठिया, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

436. मुकेश कुमार डनसेना – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

437. परमेश्वर डनसेना – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

438. कृष्णा पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

439. अजय डनसेना, छोटे डुमरपाली – कंपनी का विरोध है।

440. लिलेत डनसेना – कंपनी का विरोध है।

441. सचिन कुमार डनसेना – कंपनी का विरोध है।

442. पद्मन कुमार पटेल, पामगढ़ – कंपनी का विरोध है।

443. पुनीलाल राठिया, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

444. – टेमटेमा – कंपनी का विरोध है।

445. अशोक कुमार निषाद, जैमुरा – कंपनी का विरोध है।

446. सुखलाल, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

447. श्यामाचरण डनसेना, – सार स्टील कंपनी लिमिटेड, ग्राम–कुनकुनी, तहसील–खरसिया, रायगढ़ की जनसुनवाई निरस्त करने बाबत्। विषयांतर्गत लेख है कि प्रस्तावित सुचना के अनुसार सार स्टील पॉवर लिमिटेड, ग्राम–कुनकुनी, तहसील–खरसिया में विशाल लौह एवं बीजली उद्योग स्थापित करने हेतु जनसुनवाई आज दिनांक 20.01.2023 को करने जा रही है जिसका विरोध समस्त गांव के प्रभावित प्रतिनिधि, जनसामान्य इस उद्योग की स्थापना का विरोध, आपत्ति निम्न आधार पर इस पुरी जनसुनवाई को निरस्त करते हुये इस क्षेत्र में प्रस्तावित जो प्लांट लग रहा है नहीं लगना चाहिये। केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार किसी भी पर्यावरण जनसुनवाई हेतु आवेदन के 45 दिन के अंदर राज्य सरकार जन सुनवाई का आयोजन करवायेगी, अगर किसी कारणवश आवेदन के 45 दिन के अंदर राज्य सरकार जन सुनवाई का आयोजन नहीं कर पाती तो उन परिस्थितियों में केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा एवं जनसुनवाई का आयोजन करवायेगा। इन परिस्थितियों में दिनांक 20.01.2023 को होने वाली जन सुनवाई के आवेदन से 45 दिवस के ऊपर हो गये है इसलिए राज्य सरकार को जनसुनवाई करवाने का कोई अधिकार नहीं है इसलिये हम इस जनसुनवाई का विरोध करते है। उक्त परियोजना में खैरपाली, कुनकुनी, पामगढ़, कुरूभांठा, बड़े डुमरपाली, रानीसागर, दर्रामुड़ा, चपले, रजघटा, बसनाझर सभी ग्राम पंचायत प्रभावित होगा। ऐसा उनकी ही रिपोर्ट है, जबकि कंपनी द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में परियोजना स्थल के 10 किलोमीटर के आस–पास को जंगल का ना होना, रहवास का क्षेत्र ना होना, जमीन को बंजर होना बताकर तथा उसके ऐतिहासिक स्थल रामझरना एवं अन्य बसनाझर पहाड़ पर लिखे पुरातात्विक शैल चित्रों को भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में छापा गया है। यह कि यह इकाई विशालकाय है जिसमें प्रि पैलेटाईजेशन प्लांट नौ लाख टन प्रतिवर्ष, स्पंज ऑयरन एवं एम.एस. बिलेट 20 हजार 4 सौ टन प्रति, रोलिंग मिल 19 लाख 800 टन प्रति साथ ही 24 एम.डब्ल्यू. विद्युत उत्पादन इकाई है इतना माल उत्पादन करने में कई हजार टन कोयला प्रतिदिन जलेगा जिसमें भारी मात्रा में उष्मा, राख, अपशिष्ट पदार्थ एवं चिमनी से सल्फर, कार्बन जैसे अन्य ग्रीन हाउस गैंसे उत्सर्जित होगी। सर्वविदित है कि पूर्व से ही जिले में सैकड़ो

विशाल क्षमता वाले कोयला आधारित उद्योग स्थापित है जिसमें लाखो टन कोयला प्रतिदिन जलती है जिसमें हानिकारक सल्फर डाई आक्साईड, नाईट्रोजन आक्साईड, कार्बन डाई आक्साईड आदि गैसे निकलती है, चूंकि कोयले में 0.5 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत सल्फर की मात्रा रहती है और नियमानुसार अम्लीय वर्षा का कारण बनती है इसका सुत्र भी है हमने इस आवेदन में उसको लेख किया है। हम अम्लीय वर्षा के कारण जैव विविधता जमीन के माइक्रोआग्रेनिजम, सूक्ष्म जीवाणु, वन्य प्राणियों, ऐतिहासिक इमारतों एवं मनुष्यों के स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुचाती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। वायुमंडल में कार्बन डाई-ऑक्साईड एवं कार्बन मोनोआक्साईड जैसे ग्रीन हाउस गैंसों के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग तथा प्रदूषण से लोगो के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा तथा ऑक्सीजन की मात्रा वायुमण्डल में धीरे-धीरे कम होने लगेगी, चूंकि ऑक्सीजन का निर्माण वायुमंडल से ही लेकर फिल्टर कर उसे उपयोग करते है, जो कि प्राकृतिक है, हम ऑक्सीजन को कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते है। प्रस्तावित उद्योग स्थल पर आदिवासियों की जमीन होने के कारण 170ख जमीन मामले पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया, तहसील, जिला-रायगढ़ में मामला लंबित है तथा जितने भी गांव इस योजना से प्रभावित है वे सभी ग्राम, वन उपजाऊ जमीन रहवासी इलाके है, घोषित औद्योगिक क्षेत्र नहीं है तथा प्रस्तावित क्षेत्र भारतीय संविधान के 5वें अनुसूची में आती है। गिरता हुआ भू-जल भी इसका कारण यहा आस-पास में बहुत अच्चा भू-जल हुआ करता था आज धीरे-धीरे निरंतर गिरता जा रहा है। भू-जी स्तर के बावजूद प्रभवित 1756.5 के.एल.डी., 17 लाख छिहत्तर हजार लीटर पानी उपयोग करेगा जिसके लिए मेसर्स वेदान्ता वॉशरी एण्ड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड कंपनी से लिज में लिया हुआ अनुमति पत्र क्रमांक सी.जी.डब्ल्यू.ए., एन.ओ.सी., आई.एन.डी. ओ.आर.आई.जी., 2020, 8118 जो दिनांक 31.05.2022 को समाप्त हो जायेगा। प्रस्तावित रिपोर्ट के ई.आई.ए. रिपोर्ट के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों कुल 11 गांव की जनसंख्या 97,649 बताई गई है उनके निस्तारी हेतु पानी भू-जल का संकट पौदा होगा। प्रस्तावित स्थल के 01 किलोमीटर में बुढ़ा पहाड़, बसनाझर जंगल, ढोलपहरी जंगल है, जहां विभिन्न प्रजाती की वनस्पति एवं वन्य प्राणी निवास करते है। उद्योग से निकलने वाले जहरीली गैसे तथा उच्च तापमान से परागण पॉलीनेशन करने मधुमक्खी, पतंगा, तितली, पक्षियां तथा माईक्रोआर्गेनिजम मर जायेंगे जिससे जैव विविधता खत्म हो जायेगी। रानीसागर जो प्रस्तावित उद्योग स्थल के आस-पास स्थित है के अंतर्ग आने वाले जंगल 1191 आर.एफ. 184.583 हेक्टेयर है उसी तरह 1190 आर. एफ. 167 हेक्टेयर है, 1189 पी.एफ. ये 13 हेक्टेयर है जो ढोलपहरी है, 1188 पी.एफ. 80 हेक्टेयर है जो बेंदोझरिया है, 1187 पी.एफ. 72 हेक्टेयर काजूबाड़ी है, 1183 पी.एफ. 14 हेक्टेयर वो रजघटा है जो पूर्णतः प्रस्तावित उद्योग से प्रभावित होकर नष्ट हो जावेगी और वन संपदा महुआ, डोरी, चार, तेंदू पत्ता, काजू आदि के नष्ट हो जाने पर लोगो का रोजगार का साधन भी खतम हो जायेगा। प्रस्तावित उद्योग के ई.आई.ए. रिपोर्ट में 41 वृक्षों तथा वनस्पतियों की प्रजातियां का अध्ययन का उल्लेख है तथा 10 जलीय वनस्पतियों की

प्रजाती का उल्लेख है। 16 प्रजातियां मैमल्स की है, 11 प्रजातियां सेपटारइल्स की है, 57 प्रजातियां पक्षियों तथा 11 प्रजातियां बटरफ्लाई का उल्लेख है जो उद्योग से निकलने वाले जहरीली गैसों से प्रभावित होकर मर जायेगी एवं उनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जायेगी और उनकी प्रजातियां विलुप्त हो जायेगी। प्रस्तावित उद्योग स्थल के 1 किलोमीटर के अंदर में लोहा खान बांध तथा दातार नाला प्रस्तावित उद्योग स्थल के मध्य स्थित है जिसके पानी को पूरे क्षेत्र के टेमटेमा, खैरपाली, रजघटा, पामगढ़, कुनकुनी, बेंदोझरिया, पंडरीपानी रहवासी दैनिक जीवन में उपयोग करते है जो प्रस्तावित उद्योग से दूषित होगा और पास में स्थित कुरकुट नदी भी दूषित होगी। तहसील–खरसिया कार्यालय नगर पालिका, शासकीय चिकित्सालय, शासकीय महाविद्यालय प्रस्तावित उद्योग स्थल से लगभग 06 किलोमीटर की दूरी पर है जिसे ई.आई.ए. रिपोर्ट में अधिक दूरी बताई गई है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में अध्ययन क्षेत्र में स्पष्ट बताया गया है कि 72 बस्तियां है एवं उनमें 97649 जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार बताई गई है जिसमें एस.सी. 15 प्रतिशत तथा एस.टी. 23 प्रतिशत, जो कि 11 वर्ष पुराने आंकड़े है। प्रस्तावित उद्योग स्थल भारतीय संविधान की अनुसूची पॉच में आती है। परियोजना से पुरी तरह प्रभवित होगा जबकि उनकी पुर्नवास हेतु कोई प्रावधान इस प्रस्तावित उद्योग के ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में फ्लू गैस में सल्फर डाईऑक्साईड एवं नाईट्रोजन डाईऑक्साईड को कम करने हेतु ई.एस.पी. का प्रावधान है पर अक्सर देखा गया है कि कास्ट कम करने के लिये उसे बंद कर दिया जाता है या बाईपास कर दिया जाता है जबकि आजकल सरकार ई.एस.पी. के साथ एफ.जी.डी. लगाने को कह रही है, जिसका प्रावधान प्रस्तावित उद्योग के ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं हैं चूंकि सल्फर, नाईट्रोजन अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। प्रस्तावित उद्योग एन.एच. 49 से लगा हुआ लगभग 100 फिट की दूरी पर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम का उल्लंघन है। परसो का एक घटना हम देखते है तो यहा पर जान–माल का जिस प्रकार नुकशान हुआ है, हमारे अधिकारी और बहुत से लोग तो यहा से पैसा लेकर चले जायेंगे और अपना–अपना काम करते रहेंगे और लोगो को यहा मरने के लिये छोड़ जायेंगे, क्योंकि प्रदूषण से मरेंगे, एक्सिडेंट से मरेंगे और भुख से मरेंगे क्योंकि उद्योग स्थापित होता है तो देखा जाता है कि प्रत्येक उद्योगों में यू.पी. और बिहार से आने वाले लोगो को मजदूर और काम पर रख लिया जाता है, आस–पास के लोग यहा भूखे मरते है और जो लग रहा है इसके साथ–साथ यहा आस–पास में जितने भी लगे है उन सभी उद्योगो का मैं यहा पर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ठ करना चाहुंगा कि ऐसे सभी उद्योगो को जिसमें 80 प्रतिशत हमारे स्थानिय छत्तीसगढ़ के निवासी जहा पर कार्यरत नहीं है ऐसे समस्त उद्योगों को नोटिस देकर ऐसे समस्त उद्योगों को एक निश्चत समय देकर बंद करने की कार्यवाही करेंगे। मांड नदी प्रस्तावित उद्योग स्थल से 01 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वो भी प्रदूषित है जिसे ई.आई.ए. रिपोर्ट में ज्यादा दूरी बताया गया है जो की प्रभावित होगा। सरकार द्वारा सिंचाई हेतु महत्वपूर्ण हसदेव बांगो परियोजना के तहत मुख्य एवं शाखा नहर खरसिया तहसील के सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर फैली हुई है जो पूर्णतः

प्रभावित एवं प्रदूषित होगी। प्रस्तावित उद्योग स्थल कोई घाषित औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आता अपितु उस क्षेत्र में 72 बस्तियां के साथ 97649 जनसंख्या रहवास करती है फिर भी उस क्षेत्र के 10 किलोमीटर के अंदर एस.के.एस. पॉवर, मोनेट इस्पात, स्काई प्लांट, रूकमणी पॉवर प्लांट, एथेना पॉवर प्लांट, डी.बी. पॉवर लिमिटेड तथा कई छोटे–बड़े उद्योग पहले से ही पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से उद्योगों का घनत्व अत्यधिक है। इस उद्योग के आने से पर्यावरण प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ जायेगा तथा सभी कंपनियां भू–जल का दोहन लगातार विगत कई वर्षो से कर रही है। प्रस्तावित उद्योग से लगभग 03 लाख टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा जिसको डिस्पोज करना एक बड़ी समस्या होगी और विगत कई वर्षो से बनी हुई है। उद्योग से निकलने वाला धूल पी.एम.2.5 एवं पी.एम.10 तथा साक्स, नाक्स, सी.यू. तथा कार्बन की मात्रा वर्तमान स्तर से कई गुना बढ़ जायेगा जिससे जैव विविधता को भारी क्षति होगी तथा मानव को कई बीमारियां हो सकती है जिसमें क्रोमिक, अस्थमा, लंग थिसिस और बहुत सारी बीमारी जो स्कीन डिसिस पैदा करती है उन सब बीमारी को लगातार हम देखते आ रहे है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त कारणों को देखते हुये उक्त परियोजना का बहिस्कार करते है तथा संबंधित विभाग से परियोजना की जनसुनवाई तुरंत निरस्त करने हेतु निवेदन करते है। सुझाव भी है यद्यपि देश के विकास के लिये औद्योगिकरण जरूरी लेकिन पर्यावरण संरक्षण हमारा पहला दायित्व है, एवं कर्तव्य है इसलिये कायला ताप विद्युत आधारित उद्योग ना लगाकर अन्य फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाईल, नवीनीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी या अन्य जिससे प्रदूषण कम हो ऐसे उद्योग लगाये जाये तभी हमारे क्षेत्र के विकास के लिये सहायक सिद्ध होगा और वर्तमान में जो सार स्टील है वो पूर्णतः बंद होना चाहिये और आस–पास के जितने भी उद्योग लगे है उन सभी के लिये एक विशेष नोटिस जारी किया जाये की छत्तीसगढ़ के जो आस–पास के लोकल है वो 80 प्रतिशत कम से कम रोजगार हमारे स्थानिय लोगो को दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है और यदि नहीं दिया जाना है तो उनको नोटिस दिया जाना चाहिये बंद करने का कार्यवाही कीजिये। हमारे नेशनल हाईवे से लगी हुई जो खरसिया जाने का मार्ग है जिसमें एक मिल लगा हुआ है, भुसा मिल जो राईस मिल है वो राईस मिल का जो भुसा निकलता है वो रोड की तरफ कर दिया गया है तो आने–जाने वाले के लिये जो भुसा निकलता है वो ऑख में लगता है जिससे ऑख गवाने का खतरा है वो बना रहता है इसको भी आप नोट करीये और उसकी दिशा मोड़ी जाये अन्यथा उसको बंद किया जाये। कंपनी का विरोध है।

448. मनमोहन डनसेना, बड़े डुमरपाली – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

449. मोहन डनसेना, रजघट्टा – पहले अंग्रेजो ने भारत देश में शासन किया अब रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधो में हमारे किसान, बेरोजगार मजदूरो के लिये शासन करना चाह रहे है जिसमें हमस ब मिलकर इन कंपनी वालो को खदेड़ना चाहिये ताकि आने वाली पिढ़ी, हमारे बाल–बच्चे सही सलामत रहे ताकि किसी प्रकार की बीमारियां या दुर्घटना ना हो जिसे लोग अभी मिलकर जिस तरह महात्मा गांधी ने अकेले अपने

लाठी के दम पर अपने सामाजिक को लेकर भारत देश में अग्रेजो के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसी तरह हम सभी इकट्ठा होकर उद्योग धंधो को जड़ से खतम करना चाहिये और साथ में मिलकर आवाज उठाना चाहिये।

450. डमरूधर, सराईपाली – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

451. मोहरसाय पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

452. अर्जुन लाल डनसेना, चपले – जब जनसुनवाई की घोषणा जनता तक फैली तब पुरे जनता अपने क्षेत्र के तहस–नहस का दृष्य लगभग उनके ऑखो के सामने दिख रहा है। इसलिये यह किसी भी सुरत से यहा सार कंपनी का स्थापित होना क्षेत्रवासियों के लिये बहुत ही दुःखदायी भविष्य के लिये दिख रहा है। अतः क्षेत्र के खुशहाल के लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी सुरत से ये कंपनी स्थापित नहीं होना चाहिये। वैसे तो हमारे बीजेपी के युवा मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष जी भी इस पर बोल चुके है कि भोले–भाले आदिवासियों का जमीन हड़प लिया जाता है और क्षेत्रवासियों का कोई सुनवाई नहीं है खाली खानापुर्ति जनसुनवाई किया जाता है तो विशेषकर यह जो जनसुनवाई हो रही है सार कंपनी का मैं कड़ा विरोध करता हूॅ।

453. लक्ष्मीन चौहान, चपले – कंपनी का विरोध है। हमे धुआं नहीं खाना है।

454. विजय कुमार पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

455. आप बैठे है उसके पिछे राम मंदिर है, ये जो प्लांटे है धोखाधड़ी करके रजिस्ट्री करवाये ये सब फाईले है मेरे पास, जमीन का नंबर है, दलाल लोग खा लिये है पैसा, 04 गुना पैसा देंगे और नौकरी देंगे बोले थे, मैं कलेक्ट्रेड में जाकर एक दिन बैठा था पेड़ के नीचे में आप मीटिंग में थे मंगलवार का दिन था, नौकरी देने का दिलासा दिये थे, दलालो ने खाया, दलाल था रोशन पटेल, सांगीतराई का सरपंच है अभी। आप जहां बैठे है पिछे मुड़कर देखे राम मंदिर है उसको भी बनवायेंगे करके बोले थे वो भी आज तक तैयार नहीं हुआ, नौकरी देंगे करके बोले थे। इतना रिकार्ड है, नंबर है आपके पास मैं कलेक्ट्रेड में पेश कर दूंगा और मैं समर्थन नहीं करता हूॅ।

456. टेकचंद पटेल, पामगढ़ – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

457. लालाराम पटेल, पामगढ़ – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

458. हरिधर पटेल, चपले – हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, लोहा का कटोरा नहीं बनना चाहिये मैं पूर्ण विरोध करता हूॅ।

459. विनोद कुमार पटेल, पामगढ़ – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

460. अनंत कुमार राठिया, पामगढ़ – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

461. पंकज कुमार पटेल, पामगढ़ – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

462. श्याम सुंदर पटेल, चपले – अगर आदमी को जीवन जीना है तो कंपनी का समर्थन नहीं करना है और मरना है तो कंपनी का समर्थन करें। मैं इस खरसिया विधानसभा के जनप्रतिनिधि हमारे विधायक उमेश पटेल जी अगर मानलो चाहे कि हम कंपनी नहीं खोलना चाहते है तो कंपनी नहीं खुलेगा, अगर वो चाहते है खुलना तो वो खुलेगा क्योंकि वो गरीबो का मशीहा है और किसानों का मशीहा है और जनप्रतिनिधि है उनका उत्तरदायित्व बनता है जनता के प्रति की वो यहा विरोध प्रकट करे।

463. श्यामलाल पटेल, चपले – यहा कंपनी नहीं होना चाहिये प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। अभी जो कंपनी यहा बैठी हुई है तो आवागमन में जनता का दुर्घटना हो रहा है तो कंपनी यहा बिलकुल नहीं होना चाहिये।

464. उत्तरा कुमार डनसेना – इस कंपनी का पुरजोर विरोध करता हूँ, हम लोगो को कोयला नहीं खाना है, अन्न खाना है। कोयला के चलते हमारा मिट्टी बरबाद हो जा रहा है।

465. दीनदयाल पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है। हमारे पूर्वज किसान थे और मैं भी किसान का बेटा हूँ, हम अन्न खाते और आने वाली पिढ़ी भी अन्न खायेगी, लोहा नहीं खायेंगे। आगे की पिढ़ी को देखते हुये हमारे आने वाले पिढ़ी के लिये इस क्षेत्र को सुसज्जित वातावरण रखने के लिये कंपनी नहीं चाहिये हमे। स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पर्यावरण चाहिये। भुपेश बघेल का कंपनी खोलने में महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे तो वो कंपनी को रोक सकता है लेकिन आने वाले चुनाव को देखते हुयें उसके पाकिट में पैसा जमा हो गया है। उद्योग लगा–लगा कर पैसा इकट्ठा कर रहा है ताकि आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ को कंगाल कर सके।

466. पितांबर डनसेना, बेंदोझरीया – कंपनी का विरोध है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में मोदी की सरकार है ये दोनो चिट और पट है ये दोनो इस क्षेत्र को और हमारे प्रदेश को बरबाद कर रहे है। ये नाला का पानी जा रहा है पीने के लिये, खेती करने के लिये, उमेश पटेल से बात करता हूँ मैं मेरे को जवाब देते है, अगर यह कंपनी बैठेगा तो निश्चित है चिट होगा या पट होगा या अंटा में हमसे ले जायेंगे लेकिन कंपनी का हम पुरजोर विरोध करते है, जनता से पुरा विरोध करने के लिये लक्ष्य बनायेंगे और मैं तो यही चाहता हूँ क्योंकि कलेक्टर मैडम भी यहा है, वो गरियाबंद की है, मैं चाहता हूँ रायगढ़ जिला में वो कलेक्टर है तो वो इस कंपनी को गरियाबंद ले जाये। मै अगर मोदी होता तो मैं इसे 24 घंटा भी नहीं लगेगा 24 मीनट में समाप्त कर दूंगा। रोजगार दूंगा बोलता है कंपनी आने के पहले मैं भी मोनेट गया था मेरा उम्र 54 साल है मुझे क्यों नौकरी नहीं मिला आज तक, ये कंपनी वाले बेईमान है जो विरोध करता है जयलाल सिंह था यहा का उसको मरवा दिया गया, जो अच्छा बोलता है उसको मरवा दिया जाता है।

467. मूलचंद पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

468. रूपेन्द्र डनसेना, चपले – कंपनी का विरोध है।

469. केप्टन सिंह राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

470. कमलेश कुमार पटेल, चपले – जो पहले जनजीवन था 100 प्रतिशत सही तरीके से चल रहा था अभी कंपनी के धुआ, धूल, डस्ट से हमारा जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया है। इस कंपनी का मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ।

471. डमरूधर राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

472. मेघना – कंपनी का विरोध है।

473. रामवती राठिया – कंपनी का विरोध है।

474. गुलापी राठिया – कंपनी का विरोध है।

475. श्यामलाल राठिया, चपले – आज जो सिविर लगा है जनसुनवाई में उसमें मैं भी एक शिकायत करने के लिये आया हूँ सर्वप्रथम तो मैं यही कहुंगा ये जो जमीन है मैं एक आदिवासी हूँ इसमें मेरा पौने 6 एकड़ जमीन गया है इस पौने 6 एकड़ जमीन में जितने वृक्ष लगे हुये है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वहा तक मेरे को मुआवजा नहीं मिला है। हम लोग भोले–भाले आदिवासी है हम लोग डरते है, कंपनी वालों से भी भयभीत लगता है कही फस ना जाये करके। नजदीक में भी मेरा खेत है जिसमें मेरा 30–35 डिसमिल के आस–पास है, इसके बाद मेरे पास कोई जमीन नहीं है। तो इसमें आज जैसे कंपनी आ रहा है इसमें धुल, मिट्टी, कंकड़ जो भी मिल रहा है हम लोगो को खेती किसानी के लिये उसमें उपजाऊ नहीं हो रहा है। हम स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो उसमें हम लोगो को फायदा होगा, इसमें रेल्वे क्रास होकर पानी आ रहा है तो उसमें पुरा कोयला का पानी आ रहा है उसमें हमारा उपजाउ भूमि पुरा नष्ट हो रहा है। इसमें हम लोगो का नुकशान हो रहा है, पर्यावरण की दृष्टि से भी नुकशान हो रहा है इस प्रकार कंपनी का मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ।

476. आज हमारे इस चपले और कुनकुनी, बड़े डुमरपाली, छोटे डुमरपाली, रजघटा, रानीसागर, खैरपाली, बेंदोझरिया, आमापाली के बीच में आज इस सार स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड जो की बहुत बड़ा भारत देश का बड़ा उद्योग है, बड़ा स्टील प्लांट है जो आज हमारे बीच में अपना जनसुनवाई करा रहा है इस जनसुनवाई इस क्षेत्र के अधिकतर लोग इसका विरोध करते है। इसके बैठने से हमारे क्षेत्र पुरी तरह से प्रदूषित हो जायेगा हवा, पानी, मिट्टी और इस क्षेत्र में दुर दराज से लोग आयेंगे तो अपराध भी बढ़ जायेगा। नदी, नाला, पर्यावरण हर चिज प्रदूषित हो जायेगा। प्रदूषण से हमारे क्षेत्र में बीमारियां फैलेंगी, बड़े–बड़े असाध्य रोग फैलेंगे, तो हम चाहते है इस क्षेत्र के हम ज्यादातर नागरिक चाहते है की सार स्टील कंपनी को हम बिलकुल यहा एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते है। हमारे क्षेत्र में इतने सारे कंपनिया तो लगी है वो हमको लालच देकर, रोजगार देंगे करके युवाओं को बरगला करके हमें झाडु मरवाने का काम करवा रही है। हम इसका विरोध करते है। हमारा भविष्य आने वाले साल में मिट्टी में मिल जायेगा।

477. – यहा प्लांट नहीं लगना चाहिये, कंपनी का विरोध है।

478. मिनकेतन कुमार पटेल, चपले – मैं कंपनी का कड़ा विरोध करता हूँ। कंपनी के आने के बाद किसी का विकास नहीं होता खास करके आस–पास के क्षेत्रवासियों का। आस–पास के लोगो को नौकरी दिलाने के बहाने पैसा देकर समर्थन के लिये बोलते है, जितने भी आये है सभी बाहरी लोग है। मैं इसका विरोध करता हूँ।

479. हीरालाल पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

480. गुड्डन सिंह डनसेना – इसमें 11 पंचायत और 22 गांव का जिसमें जो राष्ट्रीय पशु–पक्षी पानी पियेंगे वो भी नहीं पी सकेंगे, औयर यहा दिन ब दिन एक्सिडेंटल घटना हो रहा है, आज दो–तीन दिन पहले 4 जवानों का मौत हुआ है और ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और हम ये सार स्टील प्रा. लिमिटेड कंपनी को हम नहीं चाहते है, हम विरोध करते है क्योंकि आज हमारा ये डुमरपाली, चपले, नवागांव ये जो 10–11 पंचायत 22 गांव में आज जो एक्सिडेंटल घटना हो रहा है आज हमारे बच्चो, बच्ची रायगढ़, खरसिया, चपले जा रहे है, बेमौत मासूमों का दुर्घटना हो रहा है और यहा का जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण नष्ट हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस वेदांता कंपनी के अंडरग्राउण्ड में ये सार स्टील कंपनी प्रा. लिमिटेड नहीं चाहिये और ये जितने भी बाहर से आये कंपनी के समर्थन में साथ दिये है ये हमारे लिये एक व्यवस्था है लेकिन हम जितने जो 10–11 पंचायत के और ये 22 गांव के है आज जल प्रदूषण हो रहा है, खेती में आज कोयला की खेती हो रहा है, आज ये राष्ट्रीय पशु–पक्षी हमारे गाय, बैल, भैसे पानी को पी नहीं सकते और हम लोग टी.बी., कैंसर ये कोरोना वॉयरस से बढ़कर ये जघन्य बीमारी से परेशान हो रहे है। हमें ना नौकरी चाहिये, ना पैसा चाहिये हमें धरती मॉ ही बलिदानी है, हमें बस विरोध चाहिये, हम सार स्टील प्लांट यहा नहीं चाहते है हम सभी उसके विरोध में है।

481. युवराज कुमार पटेल – कंपनी का विरोध है।

482. संजय पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

483. सुनील पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

484. नरोत्तम कुमार, चपले – कंपनी का विरोध है।

485. मुरलीधर निषाद, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

486. भुषण कुमार राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

487. महेत्तर प्रसाद डनसेना, बड़े डुमरपाली – कंपनी का विरोध है।

488. रूकमणी डनसेना, बड़े डुमरपाली – कंपनी का विरोध है।

489. भुपेन्द्र पटेल, चपले – आज यहा ये जो कंपनी एक्सटेंट हो रही है ग्रामपंचायत चपले, कुनकुनी इसका दुषपरिणाम देख सकते है आप परसो मेरे समाज के तीन युवा खतम हो गये आपके प्लांट के ही वाहनों से और आज विरोध प्रदर्शन मेरे समाज का आदमी वरिष्ठ गौरीशंकर पटेल जी दर्रामुड़ा से हृदयघात से उनकी

मृत्यु हो गई ऐसे कितने बलिदानी लेंगे आप लोग मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये वेदांता आई ये कम है क्या इसके प्रकोप से लगभग साल दो साल पहले गेट के सामने मेरे समाज के दो लोग चपले से मारे गये इस वाहन से उस परिवार की भरपाई कौन करेगा, एक मॉ का बेटा कौन लाकर देगा, एक पत्नी का पति लाकर कौन देगा, एक बच्चे का पिता लाकर कौन देगा, क्या ये कंपनी लाकर देगी। अभी ललित भैया बढ़िया बात बोले, मिनकेतन जी बढ़िया बात बोले कि ये कंपनी कही भी जाकर एक्सटेंट कर लेगी, कही भी जाकर पैसा कमा लेगी लेकिन आम जनता का क्या होगा जो जीव–जन्तु बलिदानी दे रहे है, मर रहे है वो तो अलग है। सरकार कह रही है कि चाहे वो केन्द्र सरकार चाहे वो राज्य सरकार हो कि प्रदूषण बचाओ, प्रदूषण रोको। हमारे मोटर–साईकिल से धुआं निकलता है उसी से प्रदूषण होता है क्या, हम प्रदूषण प्रमाण–पत्र लेकर घुमते है, आपके प्लांट से निकलने वाले प्रदूषण से प्रदूषण नहीं होता है क्या, बिलकुल होता है और ये बिलकुल गलत है। आज एक आम आदमी के लिये धरती मॉ का कितना महत्व है। आज के इस सार के आने से इस क्षेत्र में प्रदूषण होगा उससे कितने लोगो का अकाल मृत्यु होगा चाहे वाहन से होंगे या प्रदूषण से होंगे, इसका देनदार कौन होगा। आज हर परिवार से कोई ना कोई सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे है और जो सड़क है खुन से लतपत और लाल हुये जा रही है, इसका हर्जाना कौन देगा। आज चाहे वो केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो आज जो ये व्यवस्था बनाई है जनसुनवाई की आज जनता महत्व है या कंपनी का आनर महत्व है सरकार के लिये, समझ से परे है आज यहा चपले, कुनकुनी यहा के आस–पास के जितने भी ग्रामपंचायत के लोग है उसके अलावा लोगो को ट्रक में, ऑटो में, रिक्शा में, पिकअप में, ट्रैक्टर में भर–भर कर लाया गया है, खरीद कर लाया गया है, जमीन खरेदे, लोग खरीदे और क्या खरीदेंगे। लोगो के ट्रक के नीचे मर रहे है उनके जांन को खरीदे है और क्या खरीदेंगे, जनता विरोध कर रही है और विरोध करेंगे। हमें पता है हमारे विरोध करने से कुछ नहीं होगा ये एक छलावा है, दिखावा है। अगर जनता का महत्व है सरकार के नजरों में, भारत में, हिन्दुस्तान में तो बिलकुल ये सार को रोकना होगा।

490. परमेश्वर राठिया, कुनकुनी – हमारा गांव में कोयला ही कोयला हो गया है, हमारें गांव के लोग मर रहे है रोड में।

491. मायाराम राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

492. जनहित का कार्य करते थे जिनका हृदयाघात से मौत हो गई ।

493. ग्राम कुनकुनी के सार कंपनी के जनसुनवाई में जनहित में मेरे पिताजी श्री गौरीशंकर पटेल के मृत होने बाबत। विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी श्री गौरीशंकर पटेल, ग्राम–दर्रामुड़ा जो की कुनकुनी सार कंपनी के जनसुनवाई में जनहित के लिये जनसुनवाई सिविर में आयोजित हुआ था जिससे सिविर में आकश्मिक हृदयघत आने से उनकी मृत्यु हो गई है। अतः जनसुनवाई के पीठासीन अधिकारी से और प्लांट प्रबंधन से

विनम्र प्रार्थना है कि दिवंगत के परिवार को 25 लाख की मुआवजा राशी देने की कृपा करें। और मैं भी कंपनी का विरोध करता हूँ।

494. परमेश्वर पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

495. हरिप्रसाद डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

496. संजय पटेल, रानीसागर – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

497. दीक्षण पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

498. – मैं काम से सहमत हूँ और मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

499. सतीश कुमार डनसेना, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

500. सोनू कुमार पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

501. दिलेश्वर बंजारे, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

502. अमर लाल – कंपनी का विरोध है।

503. डिलेश्वर, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

504. दीपक कुमार चौहान, कुनकुनी – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

505. कमल डनसेना – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

506. कृष्णा दिवान – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

507. दिनदयाल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

508. कन्हैया सिंह – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

509. अलेख पटेल – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

510. पप्पू डनसेना – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

511. अनिल कुमार चौहान – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

512. नीरज कुमार राठिया – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

513. नीतेश– मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

514. मनो – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

515. नरेश भारद्वाज – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

516. – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

517. रमेश यादव – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

518. विरा महंत – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

519. अभिषेक वर्मा – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

520. मिनकेश यादव – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

521. रूद्रा खुंटे – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

522. गोलू यादव – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

523. मेहत्तर, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

524. मोहन – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

525. देवचरण – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

526. चैतन कुमार डनसेना, छोटे डुमरपाली – आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो यहा 12 गांवों का लिखा हुआ उसी का मान्य किया जाये और बाहर से आकर मैं समर्थन करता हूँ, समर्थन करता हूँ बोल रहे है इस तरह से इनका समर्थन नहीं लिया जाये। इस कंपनी का मैं पूर्ण रूप से विरोध कर रहा हूँ क्योंकि यहा पर आये दिन आने–जाने वाले सभी लोगो को धुल, डस्ट वेदांता साईडिंग से सामना करना पड़ रहा है और उसी के चलते यहा पर लोगो का जिंदगी आये दिन एक्सिडेंट के रूप में सभी को देखने को मिल रहा है। जमीन तो बचेगी ही नहीं जब आप ये कंपनी बैठा देंगे लोग क्या खायेंगे, सब जमीन बंजर हो जायेगा धुल डस्ट से, सास लेने में भी तकलीफ होगा और पानी तो पीने योग्य रहेगा ही नहीं तो आदमी क्या खायेगा, किस तरह से जीवन यापन करेगा, लोहा को तो चबा नहीं सकता और पत्ता–पत्ता, डाली–डाली जिस गांव में कंपनी कदम रख डाली उस गांव में रहने वाले लोगो की जिंदगी खराब कर डाली, सच्चाई के राहो पर कभी नहीं डरते है इस सार स्टील कंपनी का खुल कर विरोध करते है।

527. रविशंकर पटेल, खैरपाली – पर्यावरण संबंधित जनसुनवाई सार स्टील पॉवर लिमिटेड के साथ–साथ मैं वेदांता कोल वॉशरी एण्ड लाजिस्टिक के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ और दोनो का विरोध करता हूं। ग्राम–कुनकुनी, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में सार स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड सतह वेदांता वॉशरी एण्ड लाजिस्टिक का हम निम्न कारणो से विरोध करते है। जिस जगह पर प्लांट स्थापित हो रहा है वर धान उत्पादन का विख्यात क्षेत्र है, कंपनी स्थापित होने से धान उत्पादन में हजारो टन पैदावार में कमी आयेगा इसका जिम्मेदार ना तो शासन रहेगा ना तो प्रशासन रहेगा और देश में अन्न का कमी होगा। यह कि इस क्षेत्र में प्लांट स्थापित होने से पुरे क्षेत्र के आस–पास के गांव के शुद्ध वातावरण प्रदूषित हो जायेगा और हमेशा बीमार पड़ने की आशंका है एक तो ऐसे भी धुल, डस्ट से हम ग्रसित व्यक्ति है। यह कि इस क्षेत्र में प्लांट स्थापित होने से भू–जल स्तर और नीचे चले जायेगा इससे गांव वासियों को पेयजल की संकट का सामना करना पड़ेगा। यह कि प्लांट स्थापित होने से इस क्षेत्र की उपचाउ भूमि फसल धुआं एवं डस्ट से प्रभावित होगा, कारण प्रदूषण नियंत्रण में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यह कि जिस स्थान पर प्लांट स्थापित हो रहा है वहा से मात्र 02 किलोमीटर की दूरी पर इस क्षेत्र की एक मात्र कन्या आश्रम विद्यालय है जहां से दूरस्त अंचल की आदिवासी रहकर शिक्षा अर्जित करती है तथा आस–पास के सभी प्रभावित गांव में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, उच्चतर माध्यमिक शाला स्थापित है जिस पर

बालक–बालिकाओं की शारीरिक, मानसिक एवं बौधिक विकास पर कंपनी की धुआं एवं डस्ट से तथा ध्वनि प्रदूषण से शैक्षणिक कार्य में हमेशा बाधा उत्पन्न होगा। यह कि प्लांट स्थापित होने पर अन्य प्रांतो के कर्मचारियों के आने से यह क्षेत्र भय मुक्त रहने के बजाय भय युक्त क्षेत्र हो जायेगा। अतः मैं कंपनी का विरोध करता हूँ। यह कि इस क्षेत्र से लगा हुआ राबर्टशन कोल साईडिंग व वेदांता कोल साईडिंग के भारी वाहनों के आवागमन से क्षेत्र की जनता दुर्घटना का शिकार होते आ रहे है, वह बिना मौत के मारा जा रहा है और प्लांट स्थापना होने से भारी वाहनों में वृद्धि हो जायेगा इससे दुर्घटना का हमेशा भय बना रहेगा। यह कि उक्त प्लांट के लिये पानी की व्यवस्था हाई पॉवर बोर खनन से किया जाना है। गर्मी के दिनों में इस क्षेत्र की बोरिंग ऐसे भी सुख जाती है जिससे इस क्षेत्र को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। अतः प्लांट में बोर खनन कर पानी लेने से संकट और गहरा जायेगा। यह कि इस क्षेत्र में हमारे राष्ट्र के अमूल्य धरोहर वन्य जीव–जन्तुओं के द्वारा भय मुक्त विचरण करने का एक मात्र पसंदीदा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भालू, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, लोमड़ी, खरगोश तथा वानर और लंगुर व छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पक्षी पहाड़ी मैना बहुसंख्यक निवास करते है, जहां प्लांट स्थापित होने से समाप्त हो जायेगा, इस क्षेत्र से लुप्त हो जायेंगे। मैं पुछना चाहता हूँ शासन, प्रशासन व कंपनी के द्वारा इनके लिये कही अन्य अभ्यारण्य बनाया गया है क्या। महोदय इस स्थान पर सार स्टील व वेदांता वॉशरी स्थापित हो रहा है उससे इस क्षेत्र की जीवनदायिनी बारामासी नाला इसको दंतार नाला कहते है इस पर ग्राम कुनकुनी, चपले, बेंदोझरिया, खैरपाली, टेमटेमा व पण्डरीपानी के लोगो की बारामासी निस्तार का एकमात्र जल संसाधन है। यह कि प्लांट स्थापित होने से धुआं एवं डस्ट से पानी अनुपयोगी हो जायेगा व निस्तार हेतु पानी की भारी समस्या हो जायेगा तथा उद्योगपति लोग उक्त बारामासी नाला को अपना गंदा पानी निकासी के लिये गटर नाला में तबदील कर देंगे। यह प्लांट स्थापना की स्वीकृति आम नागरिकों की मनसा के विपरित है इसे आस–पास के सभी प्रभावित गांव में ग्रामसभा की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिये। उक्त प्लांट वेदांता वॉशरी में मात्र 80 व्यक्तियों को मिलने एवं सार स्टील पॉवर लिमिटेड में 400 कुशल एवं अर्धकुशल व्यक्तियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है लेकिन गारंटी नहीं है लेकिन आस–पास के हजारो लोगो को धुआं एवं डस्ट से प्रदूषित वातावरण मिलेगा व कई बीमारियां उन्हे मुक्त मिलेगा। यह प्लांट स्थापित होने से सार स्टील के द्वारा 16,750 पेड़ लगाने के लिये संमाघात पुस्तिका में लिखा गया है लेकिन प्लांट स्थापना करने के पूर्व ये कई छोटे–बड़े पेड़ो को काटकर पर्यावरण का बलि दिया जायेगा यह नहीं लिखा गया है। अतः प्लांट स्थापना का मैं विरोध करता हूँ। ग्रामपंचायत कुनकुनी, ग्रामपंचायत खैरपाली, ग्रामपंचायत बसनाझर एक विशाल पर्वत से ढला है जहां वन्य जीव जन्तुओं के साथ–साथ प्राकृतिक झरना व एतिहासिक गुफा है व बसनाझर पर्वत पर शैल चित्र व शिलालेख है जिसे देखने के लिये अन्य जिले से एवं राज्य से पर्यटक आते है। प्रदूषित जलवायु होने से कोई भी पर्यटक पर्यटन के लिये नहीं आयेगा। अतः निवेदन है कि यह जनसुनवाई को निरस्त किया

जाये। समाघात पुस्तिका में इस क्षेत्र का दैनिक न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस से 24.5 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है लेकिन हकिकत में यह है कि इस क्षेत्र में 10 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहता है जो कि प्लांट के लग जाने से और अधिक तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। सार स्टील एवं पॉवर से प्रभावित सभी साथियों व सार्वजनिक संस्था का उल्लेख संघात पुस्तिका में नहीं किया गया है जो कि सरासर गलत है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्लांट से अनेक सार्वजनिक उपकरण प्रदूषण की चपेट में आयेंगे जिसमें 11 ग्रामपंचायत, 20 आश्रित ग्राम, 50 आंगनबाड़ी केन्द्र, 27 प्राथमिक शाला, 15 माध्यमिक शाला, 04 हाई स्कूल, 03 हायर सेकेण्डरी स्कूल, 01 महाविद्यालय, 05 प्राईवेट स्कूल, 01 आदिवासी बालिका आश्रम, 01 आदिवासी बालक का आश्रम, 12 उचित मूल्य की राशन दुकान, 13 शासकीय गोठान, 01 गौशाला, 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 01 रेल्वे स्टेशन, 01 ग्रामीण बैंक, 10 तेंदूपत्ता संग्रहण केन्द्र, 04 कृषि कार्यालय, 03 धान खरिदी केन्द्र जिसे हम टी. एस.एस. कहते है व 02 प्राकृतिक झरना, 02 पर्यटक स्थल है, 02 जलाशय बांध है इनका भविष्य खतरे में है। अतः स्थल पर उद्योग लगाना जनहित में नहीं है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस प्लांट स्थापना का विरोध और असहमति प्रगट करता हुआ अपना आपत्ति प्रस्तुत करता हूँ।

528. जीवनलाल जायसवाल, खैरपाली – मेरा निवेदन है कि जनता के हित में काम हो।

529. हीरालाल पटेल, चपले – आज यहा जनसुनवाई हो रहा है और देखा जाये तो यहा जन भावना के खिलाफ जनसुनवाई हो रहा है। हमारा क्षेत्र पहले से ही 03 प्रकार के पॉवर प्लांट से घिरा हुआ है। प्रदूषण में खरसिया विधानसभा में हमारा क्षेत्र नंबर 01 पर है। छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादन में अव्वल है, कृषि क्षेत्र जो भूमि है धीरे–धीरे अनुपयुक्त होते जा रही है, पहले से वर्षा भी कम होते जा रही है। सभी कारखानों में स्थानिय जो मजदुर है उनकी स्थिति दयनिय बनी हुई है और यहा भी रोजगार का भ्रम फैलाया जा रहा है वो तथ्य योग्य नहीं है ये भ्रम है कि यहा स्थानिय लोगो को रोजगार मिलेगा। यह प्रोजेक्ट एन.एच. रोड में लगने जा रहा है जहां पहले से ही 2020–21 में हम देखते आ रहे है कि कई युवाओं ने अपने प्राण दिये है अभी परसो ही 04 युवको का एक्सिडेंट हुआ है जिसमें 03 साथी की मृत्यु हो गई इसलिये खतरा और आगे बढ़ेगा। जनसुनवाई को सफल बनाने के लिये धन बल का उपयेाग किया जा रहा है और यह जांच का विषय है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा की इसके लिये आप एक कमेटी बनाये और जो पैसा उपयोग हुआ है जनसुनवाई को सफल बनाने के लिये उसकी आप जांच करे। आप सभी जनभावनाओं का आदर करे और जनभावनाओं के आदर को देखते हुये इस जनसुनवाई को निरस्त करें। यह प्लांट नहीं लगना चाहिये इसके लगने से आगे चलकर हमारा युवा भविष्य को खतरा है, आने वाले समय में अन्य अनेक प्रकार की बीमारियां से हम और घिर जायेंगे। अभी हम देख रहे है कि हमें एक नई बीमारी का सामना करना पढ़ रहा है, पहले के समय 60–65 तक किसी को हार्ट अटैक नहीं होता था किसी की 03 अटैक से पहले मृत्यु नहीं होती थी लेकिन

अभी 35–40 साल के युवाओं को फस्ट अटैक में ही मृत्यु हो जा रही है कही ना कही इसके लिये प्लांट जिम्मेदार है जो हमारा पर्यावरण में प्रदूषण फैल गया है, स्तर जो बढ़ गया है वो जिम्मेदार है तो मैं इसका विरोध करता हुं।

530. छेदीलाल रोठिया – कंपनी का विरोध है।

531. धर्मेन्द्र, चपले – प्लांट का पुरे तरह से विरोध करता हूँ। मैं आपको 02–03 प्वाईंट पर अवगत कराना चाहुंगा जो भी अगर समर्थन रहे रहे है उनका प्वाईंट केवल रोजगार है, लेकिन रोजगार केवल कुछ ही लोगो को मिलेगा। अभी प्लांट बैठाना है तो बोलते है केवल स्थानिय लोगो को रोजगार दिया जायेगा लेकिन जब प्लांट सुरू होता है तो कुछ ही लोगो को रोजगार दिया जाता है फिर पुरे प्लांट में बाहर से लोगो को भरा जाता है और जिन लोगो को मिल भी जाता है उन लोगो को प्लांट का पालिसी है जैसे पेमेंट बहुत कम लगायेंगे, 8000, 10000, 15000 से ज्यादा नहीं लगायेंगे वही काम अगर कोई बाहर से करता है तो उनका 03 गुना, 04 गुना उनका पेमेंट रहेगा लेकिन अगर कोई लोकल बंदा है उसको बहुत ही कम पेमेंट, 01 गुना भी नहीं मिलता। उसका मजबुरी है जमीन उसका गया है, खेती के लिये भी नहीं बचा है, 10–12 हजार के नौकरी में क्या करेगा। अपना परिवार चलायेगा, बच्चे को पढ़ायेगा उसका कोई भविष्य नहीं है। प्लांट बना है एकदम नेशनल हाईवे से लगा हुआ है इसके गेट में यहा से बड़ा–बड़ा ट्रेलर गाड़ी निकलता है, नेशनल हाईवे है बहुत सारा बाईक आना–जाना हो रहा है। अभी 02 दिन पहले ही बाईक से गेट के सामने ही 03 लोग खतम हो गये 01 सिरियस है वो रायगढ़ में एडमिट है और 02 साल पहले हमारे ही यहा के लड़के 02 लड़के इस गेट के सामने खतम हुये थे, 01 लड़का उस गेट के सामने। इसलिये हम प्लांट का विरोध करते है।

532. बबूलाल राठिया – कंपनी का विरोध है।

533. प्रताप कुमार पटेल, चपले – कंपनी का विरोध है।

534. संजीव कुमार राठौर, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

535. टीकाराम डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

536. गजानन डनसेना – कंपनी का विरोध है।

537. परमेश्वर डनसेना, छोटे डुमरपाली – सार कंपनी स्टील जो है निम्न बिन्दुओं पर विरोध है। जब वेदांता वाशरी खुला उस समय ग्रामपंचायत से एन.ओ.सी. लिया गया था उस समय ये वेदांता वॉशरी का जो जनरल मैनेजर एवं उसका डायरेक्टर ये ग्राम कुनकुनी वासियों को पुरा पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया था की ग्राम कुनकुनी के हर दूख–सुख में वेदांता वॉशरी खड़ा रहेगा तत्पर। मैं वेदांता वॉशरी के जनरल मैनेजर एवं डायरेक्टर से ये पुछना चाह रहा हूँ की अभी 2020–21 में वैश्विक महामारी कोरोना का लहर चला जिसमें ना तो वेदांता वॉशरी के तरफ से कोई गरीब इंशान को कुछ खाने के लिये राशन दिया गया और ना ही यहा हैंड वॉश, सेनेटाईजर और विटामिन सी की गोली वितरण किया गया। मात्र एक–एक बंदे के लिये 05–05

नग मास्क का वितरण किया गया था इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ। ग्राम कुनकुनी के आदिवासी जमीन 300 एकड़ का अभी बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रकरण अभी दबा हुआ है जिसमें जयलाल राठिया का इनकार हो गया इसीलिये मैं विरोध करता हूँ। यहां दूर–दूर से आकर के समर्थन दिया जा रहा है लेकिन ग्राम कुनकुनी एवं आस–पास के गांव युवा, महिला और छोटे–छोटे बच्चे के ऊपर क्या गुजरने वाला है, यहा पर माईक पर कोई बोला है। यहां ना ना प्रकार के बीमारी हो रहा है छोटे–छोटे बच्चो को भी दिल का दौरा आ रहा है, टी.बी. का शिकायत आ रहा है, चेचक हो रहा है, आंखों में परेशानी है इसलिये मैं सार स्टील का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ।

538. अनिल डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

539. राजू डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

540. संजय राठिया, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

541. आदित्य कुमार डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

542. चेतेश्वर पटेल – मैं अभी 02 मीनट लूंगा क्योंकि मैं जाता हूँ एस.के.एस. वहा बिहारी लोगो को देते है 13000 मेरे को देते है 9700 रूपये तो ये क्या मतलब है, यहा कंपनी लाने से कोई मतलब नहीं है इसलिये कंपनी हटाओ।

543. धनेश्वर डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

544. त्रिलोचन डनसेना, कुनकुनी – मैं इस कंपनी का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ इसका कारण मुख्य बिन्दु है कि ये प्रोजेक्ट एन.एच. रोड से लगने जा रहा है, जहां 2020–21 में रोड दुर्घटना बहुत ज्यादा हो रही है। सभी कारखाने स्थानिय मजदुरो से भी ज्यादा बाहर के स्थानिय मजदुरो को लिया जाता है। यह सिर्फ प्रलोभन देकर कंपनी लगाती है कि यहा केवल स्थानिय लोगो को मिलेगा लेकिन यहा हो नहीं पाता और छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादन पर निर्भर राज्य है, हमारा क्षेत्र कृषक बाहुल्य है। यहा धीरे–धीरे जो कृषि भूमि उपजाउ रहती है वह अपेक्षाकृत वर्षा भी कम होती है और यह भूमि प्रदूषित होती है। इस कंपनी का मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ।

545. मंगल डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

546. गोपाल पटेल, चपले – मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

547. भवानी लाल डनसेना, कुनकुनी – कंपनी का विरोध है।

548. सौहद्राबाई राठौर – कंपनी का विरोध है।

549. चुड़ामणी डनसेना – कंपनी का विरोध है।

550. राधेश्याम शर्मा, रायगढ़ – ये आज दिनांक की जो जनसुनवाई है ये जिले के 37वीं अवैधानिक जनसुनवाई है जिसको उद्योग प्रबंधन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार अपने दबाव में संविधान और कानून का उल्लंघन कर

इस जनसुनवाई को कराया जा रहा है। अब ये ट्रेड चल गया है छत्तीसगढ़ में की कानून की सभी सीमा को तोड़ते हुये, संविधान को कलंकित करते हुये जनता को दिखाने के लिये जनसुनवाई के नाटक का आयोजन रायगढ़ जिला और छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अगर जनसुनवाई का प्रावधान बना हुआ है और उस प्रावधान का पालन जनसुनवाई में पीठासीन अधिकारी जो न्यायिक पद पर है और प्रशासनिक पद पर है उनको कराना है लेकिन सारी जानकारियों का, सारी नियमों का यहा अवहेलना हो रहा है, अवमानना हो रहा है ये सबसे बड़ा दुखद है। आज भारत के लोकतंत्र में भारत के संविधान का परिपालन अगर नहीं हो रहा है, कानून का परिपालन नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसपर है, जवाबदेही तो बनती है। मैं इस जनसुनवाई का पुरजोर विरोध करता हूँ और मनचस पीठासीन अधिकारी, पर्यावरण अधिकारी से मैं निवेदन करूंगा कानून का सम्मान करते हुये वापस जाये आप यहा पर से और इस जनसुनवाई को यही पर स्थगित करें। अगर इस कुनकुनी ग्राम में 90 प्रतिशत आदिवासी लोग निवास करते है तो क्या उस ग्रामपंचायत के ग्रामसभा का अनुमोदन या अनापत्ति इस उद्योग प्रबंधन ने लिया है, या जिला प्रशासन ने उसे देखा है कि हॉ इनके द्वारा ग्रामसभा से अनुमति ली गई है की नहीं, फिर ये तंबु, पण्डाल कैसे लग गया। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत शांत लोग है, अगर ये दूसरा प्रदेश होता तो सुबह ही इसको माचिस मार देते पण्डाल को जल जाता आप लोग नहीं करवा पाते। एक आदमी का भेजा घुम जाता तो आप यहा बैठ नहीं पाते, और आने वाले समय में अगर प्रशासन और राज्य सरकार अड़िग होकर ऐसे कार्य को करेगी तो मेरे जैसे व्यक्ति स्वयं अपने हाथो से अगली जनसुनवाई में मैं आग लगाउंगा ऐसे पण्डालों को और अपनी गिरफतारी दूंगा ताकि देशवासियों को पता लगे की छत्तीसगढ़ में कानून का किस तरह से दूरूपयोग किया जा रहा है। मैं भड़का रहा हूँ जनता को अगर ये आग नहीं लगायेंगे तो मैं अगली जनसुनवाई में आग लगाउंगा ये मेरा वचन है अगर जिंदा रहा आग लगाउंगा और गिरफतारी दूंगा। अगर आप पुलिस बल का दूरूपयोग कर यहा आदमी आ रहा है इतना लंबा बेरिकेट क्यों, एक बार बोलने के बाद जाओ क्यों जायेगा, ये उसी की जमीन है, आप कौन होते है उसको खदेड़ने वाले और पुलिस वाले यहा का एस.पी. और डी.एस.पी. दलाल है उद्योगपति के तो आप मनमानी करोगे। रायगढ़ का एस.पी. ध्यान से कान खोल ले हम उसकी गुलामी नहीं सहेंगे और कितना जोर आजमा सकते हो आजमा लो। मैडम वो जो महिलाये खड़ी है वो भी आपके जैसी हमारी माता है आप काहे ऐसे दूरूपयोग कर रही है कानून का, ये सार स्टील का जो पैसा है वो हजम होने वाला नहीं। आज इतने उद्योग इस क्षेत्र में लग चुके है आप एक बार नजर घुमाकर देखीये। मेरे पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन है की वो पुरा कैमरा चारो दिशाओं में घुमाये पेड़ो की क्या स्थिति है, जमीनों की क्या स्थिति है, जल स्त्रोत की क्या स्थिति है, तो क्या ऐसे में जनसुनवाई होना चाहिये। एन.जी.टी. ने आज से 02 साल पहले आदेश जारी किया था कि रायगढ़ जिले में अब जनसुनवाई किसी भी विस्तार के लिये, किसी भी स्थापना के लिये अगर हो रही है तो एक जनता की कमेटी के साथ उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में प्रशासनिक

अमला पर्यावरण का मूल्यांकन करेंगे और वो जो रीजल्ट निकलेगा, वो परीणाम आयेगा तब सरकार उसमें अपना निति बना सकते है कि हॉ अभी और रायगढ़ जिला में उद्योग की गुंजाईस है, अभी और कोरबा जिले में उद्योग की गुंजाईस है, तो न्यायधानी से लेकर राजधानी तक सब प्रदूषित हो गया है। अब हमारे नेता और बड़े अधिकारी जो रायपुर में बैठे है और बड़े उद्योगपति वहा के पास के सारे फैक्ट्रीयों को सीमगा और सराईपाली क्षेत्र में सबको स्थापित कर रहे है उनको सब को भगा रहे है उनको जिंदा रहना है बाकि जनता जिंदा मत रहे, बाकि मर जाये और ये देखीये ये जो जनसुनवाई है हमने जो जनप्रतिनिधि चुना है इस क्षेत्र में क्या ई.आई.ए. रिपोर्ट उस तक पहुचा है क्या, क्या यहा का मंत्री उमेश पटेल के पास ई.आई.ए. रिपोर्ट है, यहा के जिला पंचायत वाले के पास है?, उसने पढ़ा है? अगर है भी गा तो वो पढ़ेगा नहीं। ना सत्तारूणदल के लोग वो तो खुद उसको संचालित कर रहे है, लेकिन विपक्ष में आप सोचिये ओ.पी. चौधरी कलेक्टर, क्या चिज का तु कलेक्टर, क्या चिज का कला ज्ञान और क्या चिज का तु किसान का पुत्र प्रदेश को तु नेत्रित्व कर रहा है, यहा का सांसद महिला है तो क्या सिर्फ मरवाने के लिये जनप्रतिनिधि चुना है इन लोगो को, इनको ठेका मिला है क्या। अभी इस जनसुनवाई स्थल में एक आदमी मर गया, क्यों मर गया, क्या मर गया, कैसे मर गया लेकिन अभी यही गिरा और मर गया तो ऐसे लोग हम लोग दर्जनों की संख्या में अपनी जान गवा रहे है इसलिये उद्योग नहीं लगना चाहिये और जनसुनवाई यही पर बंद होना चाहिये और पीठासीन अधिकारी को यही पर घोषणा करना चाहिये कि ये जनसुनवाई आगे नहीं हो सकती। हास्पिटल में मर रहे है अगर लोग, किडनी फेल हो रहा है, गुर्दा फेल हो रहा है कौन ले रहा है उसकी जिम्मेदारी तो जितने उद्योग है उसको आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे है, और मुझे आश्चर्य होता है पुलिस प्रशासन के अधिकारियो को की ये किसके निर्देश पर काम कर रहे है, क्या रायगढ़ का पुलिस अधीक्षक ऐसा निर्देश दिया है कि एक बार बोलने के बाद उसको परिसर में रहने का अधिकार नहीं है ऐसा कहा पर नियम है, क्या आप हमारे संवैधानिक अधिकारो को चुनौति दे रहे है, रायगढ़ का पुलिस अधीक्षक क्या इतना तानाशाह हो गया है की वो बोलता है बोलने के बाद आप नहीं रहोगे। हम रहेंगे, हम 01 दिन रहेंगे, 02 दिन रहेंगे, 05 दिन रहेंगे हमारी जब इच्छा होगी तब हम जायेंगे नहीं तो हम यही रहेंगे, तो इन अधिकारों को कैसे चुनौती दिया जा रहा है। एक पुलिस अधीक्षक निर्देश जारी करता है और पुलिस के आला अधिकारी उसका सर झुकाये पालन करना पड़ रहा है, सब का अपना–अपना रोजी–रोटी है, सब का अपना परिवार है। मैं यहा जो आला अधिकारी आये है खरसिया क्षेत्र से जो पुलिस में अनुविभागीय दण्डाधिकारी है वो भी दण्डाधिकारी का पद उनके पास है, मैं उनसे निवेदन करूंगा की ये जो सार कंपनी है इसका प्रबंधन गौर से सुने यहा के जो एस. डी.ओ.पी. महोदय है खरसिया क्षेत्र के क्योंकि वहा जिंदल की जनसुनवाई में पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया तो हमने कोतरा रोड थाने में जाकर जिंदल प्रबंधन और ऐसे पर्यावरण अधिकारी, पीठासीन अधिकारी के खिलाफ में चार सौ बीसी, धोखाधड़ी षड़यंत्र करने का रिपोर्ट दर्ज करना पड़ा, यहा भी किया जायेगा लेकिन मैं जो

बोल रहा हूँ उसको संज्ञान ले ले ये आपका अधिकारी भी है, आपका कर्तव्य भी है कि मैं लिखकर ही रिपोर्ट दर्ज करूंगा तब आप संज्ञान लेंगे और कार्यवाही करेंगे ऐसा नही है। आप खाली डंडा घुमाकर के ग्रामीणों को ऐसे–ऐसे खदेड़ने के लिये नहीं है आप कानून के पालन के लिये है, संविधान के पालन के लिये है। आप क्या नाटक कर रहे है, पुलिस विभाग क्या नाटक कर रहा है कि एक बार जो बोलेगा वो नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? वो लड़ना चाहता है यहा पर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिये वो शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से आपको खदेड़ना चाहता है, क्या डर है आपको, इतना आत्मबल नहीं है आपके पास, आप पुलिस को क्यों आगे कर रहे है। हम कोई हिंशक व्यक्ति नहीं है कि कोई बम, बारूद लेकर आये हुये है और आपको नुकशान पहुचाये। और अगर ये जनसुनवाई लोकतांत्रित और पारदर्शित प्रक्रिया से होती तो आपको ऐसे घेरे में बैठने की जरूरत नहीं थी। इलेक्शन होता है, निर्वाचन प्रक्रिया है ना वहा ऐसे बेरिकेट्स क्यों नहीं लगता। आप लोग उद्योग की दलाली कर रहे है और कानून का दूरूपयोग कर रहे है, संविधान का अवहेलना कर रहे है इसलिये आपको डर है कि आपके ऊपर आक्रमण ना हो। आप खुले में आजाईये और दूरूपयोग करीये, जनता भी ताकतवर है आपको समझ में आजायेगा, ये जो हमारी जो है आपको 01 मीनट में आपकी औकात बता देगी, मैं उनको हिंसा करने के लिये नहीं बोल रहा हूँ लेकिन अपने अधिकार के लिये लड़े। अगर ये अवैधानिक जनसुनवाई को रोकना है तो यहा की जनता यही पर डटे रहे, यही पर अपना आंदोलन जारी रखे और तब तक जारी रखे जब तक ये पीठासीन अधिकारी महोदया ये घाषड़ा ना कर दे की आज की जनसुनवाई फर्जी दस्तावेज के आधार पर मैं करवा रही थी, मेरे से गलती हो गई मैं जा रही हूँ इतना बोल दे। अगर 14 सितम्बर 2006 का जो कानून है जनसुनवाई के लिये और उसके तहत जो ई.आई.ए. रिपोर्ट बनता है जो कंसलटेंट कंपनी बना रही है वो अभी एक नया ट्रेंड चला है कि हमारे साथियों ने कहा कि वो एथेंटिक नहीं है, प्रमाणित नहीं है तो वो क्या कर रहे है कि सरपंच, सचिव को 10, 20, 25, 50 हजार रूपया देकर उनसे सहमति बनवा ले रहे है, ग्रामसभा की सहमति नहीं है आपको, कोई सरपंच अपने गांव के लिये अकेला निर्णय नहीं ले सकता। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गांव में ग्रामसभा करेगा वहा बहुमत से जो निर्णय पारित होगा वो सर्वमान्य है, वो लोकतांत्रिक है, तो आप लोग इस प्रभावित 10 किलोमीटर के क्षेत्र में बिना ई. आई.ए. रिपोर्ट सबमिट किये हुये, लोगो को गुमराह करके, लोगो के साथ जो षड़यंत्र किया है उसके आप अपराधी है और आपको आज वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज क्षेत्र की जनता लड़ नहीं है मैं उनके पीछे में हूँ मैं वापस नहीं जाउंगा। पीठासीन अधिकारी महोदया आपसे मेरा निवेदन है करबद्ध प्रार्थना है की आप जनता को बता दीजिये कि वास्तव में आपने 10 किलोमीटर रेडियस के 02 दर्जन गांव में ई.आई.ए. रिपोर्ट भिजवाया है क्या जनता के अवलोकन के लिये। अगर ये जनसुनवाई जनसमर्थन जुटाने के लिये वास्तविक स्थिति जो है उस पर विरोध और आपत्ति दर्ज करने का तो आप बता दीजिये ये जनसुनवाई को वैधानिक तरीके से करवा रहे है और आप वैधानिक तरीके से नहीं करवा रही है तो जनता को आप मजबुर

कर रहे है सड़को पर आंदोलन करने के लिये, जवाबदेही आपकी है ये जवाबदारी आपकी है आप उनको मजबुर कर रहे है। और मैं ग्रामीणों से भी निवेदन करूंगा की मर्यादित तरीके से गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज करें। किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है और अगर ये मैडम कानून का दूरूपयोग कर रही है तो हम इसको रोकेंगे, पुलिस प्रशासन अपना काम करे हम पुलिस प्रशासन के ऊपर अपना दबाव नहीं बना रहे है। हम अगर कानून का उल्लंघन करेंगे आप हमे गिरफतार करीये, जेल भेजीये, हमारे ऊपर धारा लगाईये लेकिन ऐसे ग्रामीणों को अगर गिरफतार करेंगे उसके पहले नवीन जिंदल और ऐसे अधिकारियों को गिरफतार करीये जिनकी रिपोर्ट पिछले तीन साल से खराब है। मैं तो पुलिस से भी आग्रह करूंगा की अब तक इनको गिरफतार हो जाना चाहिये था ये कैसे यहा पहुंच गये। हमारे पुलिस के अधिकारी क्या कोतरा रोड में जो एफ.आई.आर. हुआ है, प्रथम सूचना प्रकरण दर्ज हुआ है उस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं, कोई संज्ञान नहीं क्यों? तो क्या प्रशासन अपनी अधिर्मिता से काम कर रही है तो गांव वाले भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बिलकुल शांति पूर्वक नारेबाजी करते हुये इस जनसुनवाई को निरस्त करवाने यही घोषड़ा कर यही धरना दे, यही प्रदर्शन करे, क्योंकि उनको तो जनसुनवाई के बारे में पता ही नहीं है उनके गांव वालों को पता नहीं है। ये 02 दर्जन से अधिक गांव जिसको वनांचल क्षेत्र की ये वन से प्रभावित क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है जिनको अलग से अधिकार कानून ने दिया है, ऐसे स्थलों पर जनसुनवाई का मजाक और कंपनी वाले जान रहे है कि अब प्रभावकारी दो मिडिया के लोग है, जो प्रशासनिक अमला है, जो जनप्रतिनिधि है जनप्रतिनिधि तो पहले से लालाईत है चाहे वो सत्तादल रूड़ के हो या विपक्ष के हो। वही ऐसे अवैधानिक जनसुनवाई के सरफरस्त है चाहे वो उमेश पटेल हो, चाहे ओ.पी. चौधरी हो। ये हमारे अपने लोग सरफरस्ति कर यहा से गायब हो जा रहे है, अगर उनमें आत्मबल होता तो जनता के बीच में आते। इस क्षेत्र में नंदकुमार पटेल जी भी थे वो भी उद्योग के अंदरूणी जनसमर्थक थे लेकिन ऊपर में आकर नाटक कर जनता के साथ अपना विरोध दर्ज कराते थे वो मर गये। तो ऐसा नकली कम से कम विरोध दर्ज कराते लोग। मैं पीठासीन अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा की अब हमे मजबुर मत किया जाये, ग्रामिणों को मजबुर मत किया जाये और अगर यहा से घोषड़ा नहीं करते है तो मैं तो बोलूंगा आप यहा धरना देते हुये यहां धरना दीजिये और नहीं तो मेन रोड जो है वहा औद्योगिक वाहनों को रोकीये वहा आम आदमी को आने–जाने से मत रोकीये, आर्थिक नाकेबंदी कीजिये, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, जब तक यहा से वापस नहीं जाते है आप लोग यही डटे रहीये और उसके बाद भी इनकी हठधर्मिता चलती है तो आप लोग वो जो एन.एच. दिख रहा है उसमें औद्योगिक वाहन ना चलने दे, हम मरने को तैयार नहीं है, हम प्रदूषण झेलने को तैयार नहीं है, हम आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, हम आम आदमी को आने–जाने देंगे लेकिन उस जगह से कोई भी उद्योग का वाहन गुजरने नहीं देंगे ऐसी आप लोगो की लड़ाई होनी चाहिये। मैं पीठासीन अधिकारी महोदया को बार–बार निवेदन कर रहा हूँ कि उनकी आत्मा जागृत हो जाये वो कानुन के प्रति जागृत हो

जाये और अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करे। लेकिन 03–04 जनसुनवाई में मैने देखा एक महिला होने के नाते भी आप अपने हठधर्मिता पर अड़ी रही है, संविधान का खुला निरादर कर रही है, कानून का अवहेलना कर रही है और आज की अगर जनसुनवाई को आप निरस्त नहीं करते है। इस फर्जी ई.आइ.ए. रिपोर्ट में इस क्षेत्र में जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से मिट्टी का, पानी का और हवा का जो सैम्पल है उसका रिपोर्ट जो इन लोग दे रहे है तो ये जो एकदम साथ सुथरा वनांचल क्षेत्र में जो होता है ऐसे दे रहे है और जो खुली ऑखों से दिख रहा है तो ये ई.आई.ए. रिपोर्ट कंसलटेंट कंपनी ने फर्जी बनाई है, फर्जी आंकड़ो के आधार पर बनाई है। ई.आई.ए. की जो अधिसूचना है, जो कानून है उसका उल्लंघन कर जो भी सैम्पल जिस गांव से लिया गया है वो प्रमाणित नहीं है, पंचनामा नहीं है। पुलिस विभाग कार्यवाही करती है लड़ाई–झगड़ा, अपराध होता है तो वहा लाठी, डंडा, चाकु जो भी रहता है उसका जब जब्ति बनाती है तो क्षेत्रीय ग्रामीण लोगो पंचनामा रिपोर्ट तैयार करती है उनका दस्तखत लेती है। इस ई.आई.ए. रिपोर्ट में कंसलटेंट कंपनी आये और बताये मेरे को की कहां–कहां किस तालाब से, किस कुआं से और किस जगह की मिट्टी, किस जगह का हवा, किस जगह का ध्वनि लिया गया है तो ऐसे फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट के आधार पर आप जनसुनवाई करवा रही है और पर्यावरण अधिकारी महोदय जो पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे है तो आपको प्रदूषण संरक्षण मण्डल के अधिकारी हो गये है और उसको संरक्षित कर रहे है और इस देश का विडंबना देखीये कि सत्प्रतिशत विरोध न्यायिक तथ्यों के आधार पर, कानूनी तथ्यों के आधार पर फिर भी ये देश का दूरभाग्य है कि वन, पर्यावरण मंत्रालय में बैठा मंत्री, वहां का सचिव, वहा का अध्यक्ष वो भी इन्ही उद्योगपतियों का चड्डी धो रहा है वो भी इनका गुलाम है तो केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय में जो मंत्री, सचिव बैठे है वो भी उद्योगपतियों का पालतु है जो सत्प्रतिशत कानूनन विरोध के बाद भी उसको एन. ओ.सी. देता है क्यों। अब मैं ग्रामीणों से निवेदन करूंगा कि वो शांति पूर्वक यही धरना दे, नारेबाजी करे अगर ये मैडम जब तक नहीं जाती है इसे निरस्त करके और उनके बाद मैं आपके साथ में इस एन.एच. में आर्थिक नाकेबंदी में मैं बैठुंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक इनकी गिरफतारी नहीं हो जाये ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारियों की गिरफतारी एसे फ्रा कंपनियों की, ऐसे फ्राड कंसलटेंट कंपनी की जिसने ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाया है उसकी जब तक गिरफतारी नहीं होगी हमको फिर उठना नहीं है और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस आर्थिक नाकेबंदी में आप जनता का सहयोग करे क्योंकि कानून का रक्षा कर पाने में आप विफल है तो जनता के हित में आप कदम से कदम मिलाये और इनके आंदोलन में आप समर्थन में आये क्योंकि आप प्रशानिक अधिकारी होने के साथ–साथ आप लोगो को यहा पर आकर आपत्ति है, विरोध है, समर्थन है दर्ज करना चाहिये, आप लोग तो हमशे ज्यादा पढ़े–लिखे है, क्यों नहीं करते है, ये पर्यावरण अधिकारी एक टिप भी नहीं हम तो डाकिया है, डाक हमको मिला और हम भेज देंगे बस खाली बैठे हो आप। किस आधार पर आप फिर प्रदूषण का जांच करते है, काहे आप आदेश जारी करते है। साथियों मैडम जो 05 मिनट, 10

मिनट, 15 मिनट बोल रही है आपके घर में समय का स्टॉक नहीं है कि आप हमे समय दे, हमारे सेवक हमें समय नहीं दे सकते। आप लोगो का पुरा अमला बंजारी से अभी जो विनायक स्टील है उसके लिये 11 बजे बैठे सवा 12 बजे आप चुप–चाप वहा से भग गये चोर जैसे, क्यों भग गये। 05 बजे तक आपको जनसुनवाई करवानी है। वोट देने वाला वोट देने नहीं आयेगा तो क्या पीठासीन अधिकारी पेटी लेकर घर चला जायेगा, बार–बार बोल रही है कि 05 मिनट का समय दे रही हूँ, 10 मिनट का समय दे रही हूँ, क्या अहसान कर रहे है, हमको समय देंगे, हमारे सेवक हमको समय देंगे बोलने के लिये, हमको यहा से भगायेंगे। हम यहा के मालिक है। साथियों और यहा के महतारी बहनी लोग आप जब तक लड़ेंगे पीछे में हूँ मैं, जहां ले जायेगा सरकार मैं तैयार हूँ। आप निर्णय ले लीजिये आर्थिक नाकेबंदी के जिम्मेदार फिर आप होंगे। मैं भुपेश बघेल को नहीं बोलता वो तो उद्योगपति का पालतु है, पट्टा है उसके गले में। आपको भी निर्णय लेना है। मैं आप लोगो के साथ में हूँ, जब तक ये नहीं जाती है इसे निरस्त करके तब तक आप यहा डटे रहीये मैं आप लोगो के साथ में हूँ और उसके बाद इन लोगो की गिरफतारी इस कंपनी के मालिक की उसके लिये फिर वहा सड़क में बैठेंगे आर्थिक नाकेबंदी करेंगे यहा को कोई भी औद्योगिक वाहन नहीं जायेगा।

551. – मैडम मैं आपसे बात पुछना चाहता हूँ मैं सारे जनसुनवाई में गया हूँ। हम लोग जब बोलने आते है जनसुनवाई में ये पंडाल हमारे ग्रामवासियों के लिये लगाया गया है, जब हम यहा से जनसुनवाई में बोल कर जाते है तो उनको किनारे से बाहर क्यों भगाया जा रहा है, ये आदेश किसका है, मेरे बोलने के बाद मेरे को यहा खड़े होने का अधिकार है कि नहीं ये जानना चाहता हूँ। यह जनसुनवाई कुनकुनी के वेदांता इसका मदर प्लांट है इसका असली मालिक वेदांता है। ये वेदांता जो फैक्ट्री की मदर प्लांट है। यहा सब लोग बहरे नहीं है, गुंगे नहीं है इसका पुरजोर विरोध हो रहा है और आपको अभी तक पता नहीं चल रहा है कि लोग नौकरी नहीं चाहते है, अगर आप में मानवता होती और आप जनहित में काम करते रहते और आप में सच्ची देशभक्ति सेवा करने की उम्मीद है तो आपको इतना होने के बाद तत्काल निरस्त कर देना चाहिये। यहा पुरा रायगढ़ जिला में प्लांट ही प्लांट बसा हुआ है मैं भी किरोड़ीमल नगर से हूँ और आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकता हूँ और मैं कई जगह जा रहा हूँ जनसुनवाई में हम लोग विरोध करते है बस आप लोग आश्वासन दे रहे है और हमको ऐसे पावती लेते सदियो बीत गया लेकिन आप किसी भी पावती का जवाब नहीं देते है आप लोग बोलते है कि इस संबंध में बोलिये और चले जाईये क्या हम लोग बोलने और चले जाने के लिये है क्या, हम लोगो को कोई ना कोई जवाब तो मिलना चाहिये स्थल में। ये पुरा आदिवासी क्षेत्र है और सब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आते है। हम लोग भोले–भाले छत्तीसगढ़ीयों को अलग तरीके से जमीन खरीद–खरीद कर ये लोग प्लांट को बसा रहे है। ये जो जगह है जहां हम लोग खड़े है ये कंपनी का एरिया है और आप तो कानुन के ज्ञाता है कंपनी के अधिकृत जमीन में आप जनसुनवाई कैसे कर सकते है। आज कानून के ज्ञाता लोग बैठे है ये कंपनी के द्वारा अधिकृत जमीन है और यहा कैसे जनसुनवाई करेंगे वो

भी कंपनी के बाउण्ड्रीवाल के अंदर। कंपनी के बाउण्ड्रीवाल के अंदर जनसुनवाई करना उचित नहीं है आपको इस आधार पर भी जनसुनवाई को निरस्त करने का पुरा–पुरा अधिकार है, ये अलग बात है कि आपको मना किया गया है कि इस जनसुनवाई को निरस्त नहीं करना है। मेरे को जहां तक जानकारी है इस प्लांट में 170ख का प्रकरण चल रहा है और 50 से ऊपर केस ऐसे लगे है जिसमें आदिवासियों का जमीन गैर कानूनी से खरीद कर यहा 170ख लागु किया गया है। कंपनी जिस कुनकुनी क्षेत्र में बसा हुआ है यहा जमीन के मामले में 50 से ऊपर प्रकरण न्यायालय में अभी भी चल रहे है। आप बताईये किसी भी छोटा सा जगह का विवाद में अगर स्टे लग जाता है तो वहा पुरे तरीके से निर्माण या किसी भी तरीके का हम लोग कर नहीं सकते है चाहे छोटा सा सौचालय बनाने की बात रहे, छोटा सा घर बनाने की बात रहे, जहा पर विवाद चलता रहता है वहा स्टे लग जाता है। इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी जमीन घोटाला हुआ है और 50 से ज्यादा जब न्यायालय में प्रकरण दर्ज है तो किस आधार पर शासन इसको जनसुनवाई का आदेश की है ये भी न्याय संगत नहीं है और आज विरोध में और समर्थन में बहुत लोग खड़े है हम लोग जान रहे है कि हम लोग क्यों विरोध कर रहे है यहा के स्थानिय नागरिको को ठगा जाता है और कहा जाता है कि आपकी जमीने लेने के बाद हम आपको नौकरी दे देंगे। विसा फैक्ट्री आज पुराना है विसा फैक्ट्री जमीन को ले लिया और उड़नछु हो गया ना तो उनके पास जमीन है और ना ही पैसा है और आज सब लोग बेरोजगारी के लिये भटक रहे है, आपको समझना पड़ेगा इस आधार पर कम से कम और उद्योग को संरक्षण नहीं देना चाहिये और उद्योग लगने के खिलाफ में आपको इसको निरस्त करा देना चाहिये। आप सभी लोग आई.ए.एस. , आई.पी.एस. करके यहा पर बैठे है आप लोग सब जानते है कि जिस जगह पर प्लांट लगना है वहा के स्थानिय लोगो को 75 प्रतिशत लोगो को रोजगार मिलना चाहिये। इस प्लांट में 75 प्रतिशत छोड़ो, 75 लोगो को भी अच्छे से नौकरी नहीं मिल रहा है। हम लोग कोयला खाये और ये लोग ए.सी. कमरे में बैठे क्या इसके लिये हम लोग प्लांट लगने देंगे। आज यहां के लोग भुखे–प्यासे सुबह से बैठे है आप लोग ऊपस से उनको रौब दिखा रहे है कि ऐसा नियम है तो इसमें से जितना नियम हमको समझाया जा रहा है उसमें से 05 प्रतिशत नियम आप कंपनी वालो को समझाये तो आप लोग भी जानते है 05 प्रतिशत भी यहा कंपनी लगने के लिये नियम को पालन नहीं किया है प्लांट। नाम बदल–बदल कर यहा आ रही है और जा रही है पता नहीं आप लोग भी उनको कैसे संरक्षण दे रहे है, मुझे तो विडंबना लग रहा है आप तो माताजी है आपको तो समझना चाहिये, आपके भी यहा बच्चे भुखे, बेरोजगार हो कर भटक रहे है, एक व्यक्ति आया था यहा विरोध करने उसकी जान चली गई यहा पर, सबसे पहले आप उस आधार पर कि यहा एक जनसुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई है उस कारण इसको निरस्त करते हुये नियम को आगे बढ़ाना चाहिये था, ये नियम कहता है कि नहीं कहता है? यहा एक जान चली गई है। ये कंपनी क्षेत्र है और कंपनी क्षेत्र के अंदर कंपनी द्वारा और शासन द्वारा जनसुनवाई किया जा रहा था ये जनसुनवाई के दौरान उसकी जान चली गई है आप

पहले उसके परिवार को बुलाईये और आवेदन लीजिये ये कंपनी क्षेत्र है उसके कंपाउण्ड में मृत्यु हुई है इसका छत्तीसगढ़ रोजगार अधिनियम क्या कहता है और कितना मुआवजा मिलना चाहिये उसके बाद जनसुनवाई करना चाहिये। यहा इतना बड़ा टेंट लगाया गया है सब के लिये सुविधा वी.आई.पी. कैटेगिरी में दी गई है, जनता यहा मर रही है एक जान चला गया किसी को उसकी कुछ खबर नहीं है, आप लोग अधिकारी है आप लोग यहा एस.डी.एम. साहब है, यहा अपर कलेक्टर मैडम है, यहा जिला के पर्यावरण अधिकारी है, यहा सी.एस.पी. रैंक के 04–05 अधिकारी है, आई.पी.एस. रैंक के अधिकारी है इनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, क्या इनकी आत्मा मर चुकी है एक व्यक्ति का जान चला गया और किसी ने वहा एफ.आई. आर. की जरूरत नहीं समझी, यहा स्वतः उनको एफ.आई.आर. कर देनी चाहिये थी। अगर ये नियम में नहीं है तो आप बताईये नही तो कम से कम उसकी जान चली गई थी और ये परियोजना क्षेत्र है उसकी, परियोजना क्षेत्र के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। यहा पर लिखा हुआ है कि ऑयरन ओर प्लांट 09 लाख टी.पी.ए., स्पंज ऑयरन 02 लाख 21 हजार टी.पी.ए., एम.एस. बिलेट ये सारी जो लिखा हुआ है कि यहा क्या–क्या प्लांट लगेगा ये बिलकुल आप लोगो को लिख कर दे दिया गया है, कंपनी को इतना तो मालुम होगा कि ये सब लगने में कितने मजदुर लगेंगे बताया गया है कि नहीं बताया गया है, ये लगने के लिये कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी और कितने मजदुरो की संख्या लगनी चाहिये। आप लोग अपने छत्तीसगढ़ में जो नियम है छत्तीसगढ़ स्थानिय रोजगार अधिनियम के तहत आप लोगो को 75 प्रतिशत रोजगार कंपनी को आदेशित करने का अधिकार है तो आपको जनसंख्या दी गई होगी कि यहा 10 हजार लगेंगे मजदुर तो क्या 7500 मजदुर हमारे छत्तीसगढ़ीयों को यहा के कर्मचारियों को, अधिकारियों को काम करने को मिलेगा। बहुत बड़ी विडम्बना है कि छत्तीसगढ़ीया बी.टेक, एम.बी.ए., आई.ए.एस. तक कर लेता है लेकिन कंपनी में उनके साथ भेद–भाव किया जा रहा है। आज इसलिये विरोध हो रहा है, विरोध का हम लोगो को शौक नहीं है, हम भी चाहते है कंपनी आयेगा तो विकास होगा, थोड़ा, बहुत तो विकास होगा लेकिन अगर जहां कंपनी बस रही है वहा का विकास नहीं हो रहा है तो हम नहीं समझेंगे की कंपनी विकास कर रहा है। मैं यहा सभी विरोध करने वाले और समर्थन करने वाले का भी स्वागत करता हूॅं, लेकिन हम लोगो के विरोध का पैमाना है उसको पुरा करने का दायित्व आप लोगो को नहीं है। अगर ठीक–ठीक जवाब मिलता है, हमको सारी सुविधाये मिलती है तो हम लोग विरोध क्यों करेंगे। यहा का प्रकरण बताता हूॅं क्या प्रकरण हुआ है, यहा पर पहले एक व्यक्ति आ रहा है और किसी व्यक्ति के नाम पर ठग कर जमीन खरीदा जा रहा है, ऐसा नहीं बोला जाता है कि हम प्लांट लगायेंगे तो दलाल भेजते है, जमीन का दलाल भेज दिये और आदिवासियों के जमीन को किसी अन्य आदिवासियों के नाम पर खरीद रहे है। यहा जो जनसुनवाई हो रही है वो कानून के नियम के विरूद्ध है। आस–पास के 10–12 गांव उद्योग से प्रभावित है। मैं पुनः बोलना चाहुंगा की जब कोई पलांट लगता है तो ई.आई.ए. रिपोर्ट जो होती है वो सभी सरपंचो को उपलब्ध कराया जाता है ग्रामपंचायत में फिर

प्रभावित गांव अपने ग्रामसभा में उसको पारित कराती है यही 10–12 गांव में दो तिहाई बहुमत से अगर सभी गांव वाले टोटल 10 गांव वाले कम से कम अगर अपने ग्रामसभा में पारित करते है तब जनसुनवाई को आगे बढ़ाया जाता है लेकिन इसका भी नियम पालन शासन द्वारा नहीं किया गया है। शासन, प्रशासन, उद्योग मिलकर क्या पता क्या करना चाहती है हम तो उम्मीद कर सकते है कि शासन हमारा बात सुनेगी और आज हम सभी यहा बैठे रहेंगे जब तक शासन हमारे साथ न्याय नहीं करेगा। हम न्याय लिये बीना यहा से नहीं जायेंगे, यहा पर हम लोग शाम तक बैठ गये, काफी ज्यादा इस प्लांट का विरोध हुआ है, पहले तो इस प्लांट को निरस्त कर न्यायालय लेकर जायेंगे। हमारे गांव का जवान सिपाही जिसकी मृत्यु हो गई है गौरीशंकर पटेल जी का ये जनसुनवाई निरस्त होगी उसके लिये सच्ची श्रधांजली होगी। आज मैं 10 किलोमीटर के रेडियस के सभी आस–पास के गांवा वालो को अनुरोध करता हूँ की यहा आ जाये और विरोध प्रदर्शन करते ही रहेंगे चाहे 10 दिन और लगे, जब तक निरस्त नहीं होगी, जब तक उसके परिवार को उचित मुआवजा और 01 सरकारी नौकरी का आश्वासन यहा से नहीं मिलेगा तब तक हम यहा से नहीं जायेंगे। रायगढ़ जिले को स्टील सीटी कहते है उद्योग वाले यहा प्लांट का मायाजाल बहुत पहले से चल रहा है, यहा इतना सारा प्लांट है की आज हमारे नदियों का पानी सारा पानी सोख चुकी है कोई भी नदियों में पानी और बालू नहीं बचा है। अब यहा एक और पलांट लगेगा, स्पंज ऑयरन, पॉवर प्लांट, आयरन ओर स्टील प्लांट, कहा से हम लोग पानी लायेंगे। अगर इस तरह से पलांट बसता रहेगा तो हमारी स्थिति हरियाणा जैसी हो जायेगी, राजस्थान जैसी हो जायेगी। हम लोगो को जैसे आक्सीजन सिलेण्डर खरीदना पड़ता है वो सके तो हम लोगो को पानी भी खरीदना पड़े आक्सीजन के रेट में। कम से कम यहा की जलवायु, जल स्त्रोतो को देखते हुये जनसुनवाई को निरस्त कर देनी चाहिये। हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे है इसका की जनसुनवाई निरस्त हो जाये। यहा आस–पास बहुत सारे जंगल है, छोटे–छोटे जंगल है, आपके पीछे तरफ बड़ा जंगल है, इस जंगल में कई सारे वन्यप्राणी है जिनको प्लांट के आने के बाद, पेड़ कटने के बाद अपना आशियाना खाना पड़ जा रहा है। किसी व्यक्ति के लिये घर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जानवरों को उनके घर के लिये महत्वपूर्ण है। दोनो के घर के कोई अंतर नहीं है, उसका घर उजड़ रहा है और आप लोग देख रहे है तो किसी का घर उजाड़ने का पाप मत लीजिये मैडम, ये घर उजड़ जायेंगे तो वो बेघर हो जायेंगे आप मानवता के आधार पर इस जनसुनवाई को निरस्त कर दीजिये और एक बार फिर से जानकारी लीजिये मैडम 10 किलोमीटर के रेडियस में कितने गांव आते है उसका पुरा वायुमण्डल, पर्यावरण स्थिति की जानकारी लीजिये, वहा के रोजगार की जानकारी लीजिये, वहा के किसानों की जानकारी लीजिये, वहा के पढ़ेलिखे लोगो की जानकारी लीजिये, अगर आपको अच्छा लगता है कि यहा उद्योग होना चाहिये तो बिलकुल आप उद्योग लगाने का अनुमति दीजिये नहीं तो हम तो चाहते ही नहीं है की यहा उद्योग लगे। यहा जिस तरह विरोध का लहर उठ रहा है आप लोगो को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये इसको निरस्त कर यहा से उठ

कर चले जाना चाहिये लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, हम लोग सब विरोध ही कर रहे है, इतने देर में विरोध और समर्थन जांच कर लीजिये विरोध ज्यादा है और आपको अभी तात्कालिन परिस्थिति में कितने समर्थन और विरोध हुये है इस हिसाब से आपको तत्काल इस जनसुनवाई को निरस्त कर देना चाहिये। हम लोगो का यह मानना है कि जब यहा प्लांट लग रहा है तो यहा पुराने जो जमीन घोटाले हुये है उसमें जो प्रकरण न्यायालय में अभी तक लंबित है उनका फैसला तो आ जाने दीजिये मैडम और उस न्यायालय में प्रकरण लंबित है और उसका आदेश आ जाता है, फैसला आ जाता है तो उसके बाद जनसुनवाई का इंतजार करना चाहिये प्लांट वालो को, इतना क्या जल्दी है प्लांट लगाने का, न्यायालय मजबुर है या प्लांट वाले मजबुर है मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा है की कौन मजबुर है नहीं तो मुझे तो लगता है हमारा भारतीय संविधान पुरे विश्व में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा संविधान है। जब हमारे बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिख रहे थे तब उन्होने उद्योग के लिये भी, स्थानिय रोजगार के लिये भी और यहा की जलवायु और प्रदूषण के लिये भी स्पष्ट आरक्षण अपने संविधान में दर्ज किया है। उन्होने जब संविधान लिखा था तो इस सब कानूनों के बारे में सब को जानकारियां दी थी, हमको जरूरत है, हम तो अनपढ़ है, आप तो पढ़े–लिखे और कानून के ज्ञाता है आपको बाबा साहेब के संविधान का वास्ता की आप बाबा साहेब के संविधान को परिपालन करते हुये जब तक किसी विवाद में कोई जमीन है, कोई प्लांट है तब तक वहा किसी भी प्रकार का आदेश सक्रिय नहीं होना चाहिये। आपको समझना चाहिये जब तक ये जमीनों का घोटाला है या प्लांट के मुआवजे का घोटाला है या ई.आई.ए. रिपोर्ट का घोटाला है किसी भी प्रकार का प्रकरण जब तक न्यायालय में लंबित है, मैडम एस.डी.एम. साहब तो यहा पर है उनके खरसिया क्षेत्र के राजस्व में उनके न्यायालय में प्रकरण दर्ज है सभी न्यायालय के प्रकरणों को यहा लेकर आना चाहिये था यहा आदेश दिये आप तो यहा इस जिले का मुखिया है, हम लोग गुहार लगाने आये है, हम लोग जिले के मुखिया से निवेदन कर रहे है, न्यायालयिन प्रक्रिया के प्रकरण के दस्तावेज को यहा मंगवाईये, अगर कुनकुनी जमीन में, प्लांट में कोई भी न्यायालय में प्रकरण नहीं है तो इस जनसुनवाई को करवाना न्यायोचित होगा, अगर प्रकरण लंबित है तो संविधान के अनुसार इसको आपको निरस्त करवाना चाहिये ये हमस ब की मांग है। यह हम लोग बार–बार बोल रहे है मुआवजा देना चाहिये, यहा प्रकरण दर्ज भी नहीं हो रहा है जबकि यहा पर हो गया है तो आपको तत्काल निर्देश देना चाहिये, आप लोगो को उसके परिवार वाले से आशिर्वाद मिलता अगर आप माईक उठा कर बोल देते सबसे पहले इस घटना की जांच हो, पटवारी यहा प्रतिवेदन बनाये, यहा घटना स्थल में क्या हुआ है, कैसे हुआ है उसके बाद ये जनसुनवाई होना था, आप डेट को आगे बढ़ा देते तो ना तो प्लांट बसने से बच जायेगा, ना तो प्लांट निरस्त हो जायेगा, लेकिन आपसे उम्मीद है, आप हमारे जिले के मुखिया है, आप न्यायपालिका की न्यायधीश है हमारे लिये, आपको न्यायालय करने के लिये न्याय करने के लिये कोई दबाव नहीं है, तो मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि आप किस

दबाव में की न्याय नहीं कर पा रहे है। मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा क्योंकि राजनीति की बात करूंगा तो बुरा लग जायेगा। हमारे स्थानिय विधायक और मंत्री आज पता नहीं मैं मंच के माध्यम से बोलना चाहुंगा क्यों नहीं आ रहे है यहा की जनता ने 96 हजार वोट दिया है उमेश पटेल जी को और ओ.पी. चौधरी जी को 84 हजार वोट दिया है, आज ये जनता जानना चाहती है कि आज उमेश पटेल या ओ.पी. चौधरी या उनका कोई प्रतिनिधी यहा पर विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे है, यहा जनता के लिये क्यों नहीं खड़े हुये है। परसो का इस नेशनल हाईवे में 03 लोग की मृत्यु हो गई है चौथा अस्पताल में है। आप पेपर में आया है कि हमारे सक्रिय मंत्री और विधायक रायपुर से आ रहे थे उनके पास चले गये आज यहा मृत्यु हुई है कहा है विधायक और मंत्री। आज इतने बड़े क्षेत्र की इतना बड़ा प्लांट लगने वाला है कहा है हमारे मंत्री। आज हम लोगो ने चुना है कि वो जनता का प्रतिनिध बने आज उनको आना चाहिये था उनका घर मात्र 05–07 किलोमीटर में है यहां, उनको समय नहीं मिल रहा है एक आदमी की जान चली गई, यहा सैकड़ो लोग बेरोजगार बैठे है, लंबित हो गया है मामला। 10 किलोमीटर दूर है मैडम उनको कम से कम विरोध या बोल कर आ जाते कि मैं मंत्री इस प्लांट का समर्थन करता हूँ या विरोध करता हूँ इतना कम से कम बोलना चाहिये था। मैडम आप जवाब दीजिये और नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते निरस्त कर दीजिये आपको आशिर्वाद मिलेगा। 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी जनप्रतिनिधि को आपने ई.आई.ए. रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया है। माताजी के भावनाओं का कम से कम आप सम्मान कीजिये। मैडम काफी विरोध हो गया है समर्थन बहुत कम हुआ है, यहा सभी लोग चाहते है कि यहा प्लांट नहीं लगना चाहिये, आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये इसका निरस्त कर देना चाहिये। आप निरस्त कीजिये, न्यायालय में जो प्रकरण है उसको आप ऊपर आदेश ना हो जाये उसके बाद हम लोग फिर से जनसुनवाई में आयेंगे। यदि प्लांट लगना हमारे लिये न्यायप्रिय हुआ तो हम लोग जितने लोग विरोध कर रहे है फिर से समर्थन करेंगे लेकिन न्यायप्रिय होना चाहिये। ये जनसुनवाई को इसलिये भी निरस्त करनी चाहिये मैडम कि जनसुनवाई के नियम में स्पष्ट उल्लेख है पर्यावरण वन मण्डल, 14 सितम्बर 2006 के अनुसार यह स्पष्ट नियम में लिखित है यदि आप जनसुनवाई करते है तो 10 किलोमीटर क्षेत्र के सभी दिवाल लेखन, समाचार पत्र, कोटवार द्वारा मुनादी, पटवारी द्वारा प्रतिवेदन ये सब करवाना पड़ता है उसके बाद ही जनसुनवाई का आदेश दिया जाता है इस नियम का भी पालन नहीं किया गया है। कंपनी जल जनसुनवाई करती है तो 10 किलोमीटर के क्षेत्र के सभी गांव में मुनादी, पटवारी प्रतिवेदन, दिवाल लेखन, समाचार पत्र के माध्यम से सब को अवगत कराती है सभी जनप्रतिनिधि चाहे विधाक हो, मंत्री हो, सरपंच हो चाहे पंच हो, पार्षद हो, चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो सभी को ई.आई.ए. रिपोर्ट जो आपको प्रेषित किया गया है वो कंपनी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि सभी गांव के जनप्रतिनिधियों को आप लोग मुहैया करवाते लेकिन यहा इतने लोग है किसी के पास जांच का रिपोर्ट है क्या भाई। राष्ट्रीय हरितक्रांति प्राधिकरण द्वारा भी शिवपाल भगत के केस के मामलें में भी एक आदेश आया है कि रायगढ़ जिले

में जब तक पर्यावरणीय अध्ययन नहीं किया जाता है तो किसी भी उद्योग विस्तार को अनुमति नहीं दी जायेगी तो इसका कोई प्रमाण है कि इसका भी आप लोगो के पास प्रश्न है या जवाब है। माननीय शिवपाल भगत के आदेश में स्पष्ट है कि रायगढ़ का पर्यावरणीय अध्ययन करने के बाद ही किसी उद्योग का विस्तार या नया उद्योग लगने के लिये आदेश किया जायेगा इसकी जानकारी आपको है कि नहीं मैडम? इसको भी नोट कर लीजिये। यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और ये 5वीं अनुसूची में आता है और यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ये कुनकुनी में जो जनसुनवाई हो रही है यहा मैं बार–बार कह रहा हूँ यहा 170ख लागु है, एस.डी. एम. साहब यहा मैजुद है उनके यहा प्रकरण है तो आप बगल में बैठे है उनको बोल दीजिये अगर न्यायालय में प्रकरण लंबित है तो किस आधार पर जनसुनवाई हो रही है, आप इसमें भी ध्यान दीजिये की जब तक प्रकरण लंबित है तो जनसुनवाई का किसी भी प्रकार का यहा आयोजन नहीं होना चाहिये। अगर ये कंपनी बस गया तो यहा बहुत ज्यादा बड़े–बड़े बोर लगाये जायेंगे पानी खीचने के लिये, रायगढ़ जिले में पहले से ही 100 से ज्यादा फैक्ट्रीया है जिसमें भू–जल दोहन लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है, अब यहा नया प्लांट बसेगा आप भी जान रहे है मैडम यहा बोर खनन होंगे, भू–जल दोहन अभी से 10 गुना ज्यादा बड़ जायेगा, यहा के नागरिकों को, यहा के किसानों को फिर से जल संकट एक भारी मात्रा में इनको प्रभावित करेगा, कम से कम भू–जल दोहन के कारण इस जनसुनवाई को निरस्त कर देना चाहिये। मेरा दूसरा प्वाईंट है सी.एस.आर., सी.एस.आर. का जो फंड होता है, सी.एस.आर. जो कंपनी चलाती है, सी.एस.आर. का जो नियम है प्रोडक्शन का 05 प्रतिशत पैसा, प्रोडक्शन से लाभ हुआ 05 प्रतिशत पैसा को जनकल्याणकारी कार्यो में कंपनी द्वारा लगाया जाने का नियम है, यहा रायगढ़ में इतने सोरे फैक्ट्री है अभी तक वो किसी भी कंपनी में 05 प्रतिशत जनकल्याणकारी कामों में नहीं लगाया है अपना पैसा तो ये कंपनी लगायेगी इसकी क्या गारंटी है। यदि आप लोग गारंटी लिखकर दे यहा कंपनी के अधिकारी है लिखित में अगर गारंटी देंगे कि हम लोग 05 प्रतिशत जनकल्याणकारी में लगायेंगे तब ये जनसुनवाई आगे बढ़ेगा, आज तो निरस्त होना तय है, आज तो निरस्त करवा कर ही जायेंगे, क्योंकि हमने 03 बिन्दुओं पर विरोध दर्ज किया हैं। कम से कम जो यहा न्यायालय में यहा की जमीन का प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से आपको लगता है कि यहा जनसुनवाई होना चाहिये था तो बिलकुल ठीक है लेकिन न्यायालय में एक भी प्रकरण दर्ज है तो मैं कल फिर से एस.डी. एम. साहब को इसके लिये आवेदन दूंगा।

552. – यहा जब गौरीशंकर बैठा था अगर एंबुलेंश होता तो शायद उसकी जान बच जाती। उस व्यक्ति के परिवार को 25 लाख मुआवजा तत्काल देना होगा, अभी हाल ही में तीन व्यक्ति की जान भी गई है मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इसको निरस्त करों।

553. देवकी डनसेना – जितने भी हमारे गांव में बेरोजगार है उन लोगो को कंपनी अगर काम देना चाहती है तो हम इसके लिये सहमत है।

554. भोजकुमारी डनसेना – जितने भी बेरोजगार है उनको नौकरी देंगे तो मैं सहमत हूँ।

555. सुखमती बाई राठिया – कंपनी का विरोध है।

556. डनसेना – कंपनी का विरोध है।

557. ये लोग जो बोल रहे है जिसका ज्यादा जमीन है बोले कि जमीन को देंगे या नहीं देंगे।

558. मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का कुनकुनी, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ की जनसुनवाई विरोध करने बाबत्। विषयांतर्गत लेख है कि निम्नलिखित बिन्दुओं को लेकर हम रायगढ़ जिले के ग्राम–कुनकुनी, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड की जनसुनवाई का विरोध करते है। जैसे की अभी सब ने बताया बहुत सारे बिन्दुओं पर बात किया तो मैं जिस बिन्दु पर कहने जा रही हूँ वह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के शिवपाल भगत के केस में आदेश दिया गया है कि जब तक जिला रायगढ़ में पर्यावरणीय अध्ययन नहीं किया जाता तब तक नये उद्योग, खदानों एवं पुराने उद्योग एवं खदानों के विस्तारों की अनुमति नहीं दी जा सकती इस पर जनसुनवाई का कोई भी आधार ही नहीं है। इस क्षेत्र के लोगो को जीवन यापन करने के लिये जंगलों से तेंदूपत्ता, महुआ, हर्रा, बेहरा, ऑवला जैसे उत्पादन प्रभावित होने के कारण रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा जिससे लोगो में रोजगार के लिये पलायन करना होगा इसलिये आज का आयोजित होने वाली जनसुनवाई को हम व्यापक पैमाने पर विरोध करते है। हम लोग बाहर खड़े हुये थे तो एक भाई ने पुछा, यहा उद्योग होगा तो 300 लोगो को उद्योग मिलेगा तो मैं पुछना चाहती हूँ कि इस गांव में मात्र 300 लोगो को ही रोजगार चाहिये। क्योंकि यहा के गरीब आदिवासी लोग अपनी जमीन दिये है किसी को ठगा गया है किसी से पैसे अत्यधिक देकर उनको बहलाया–फुसलाया गया है, और आज जिस जमीन पर खड़ा होना चाहता है वो भी जमीन एक गरीब आदिवासी व्यक्ति की है। आप जैसे मुस्कुरा रहे थे वैसे माईक उठा कर इनको जवाब दीजिये, क्यों चुप है आप लोग, हम लोगो को जवाब चाहिये और भाई लोग जिनको मुआवजा चाहिये वो भी अभी और इसी वक्त ही चाहिये। आप लोग कुछ नहीं बोले हो, आप लोगो का टाईम है 05 बजे तक, जैसे सर अभी बार–बार कह रहे थे कि मैडम आप लोग चुप क्यों है, 05 बजे तक टाईम है आप तो चुप रहेंगे ही ना, 05 बजे तक का आपको समय निकालना है, और सर आप हमेशा ऊपर ही देखीये, गरीबो को भी देख लीजिये थोड़ा सा, यहा कौन संतुष्ट है यहा प्लांट खुलने से उनकी सुनिये प्लांट वालों की मत सुनिये, गरीबो की सुनिये क्योंकि जिन गरीबो की आप नहीं सुन रहे है उसी के धरतीमाता पर प्लांट खुल रहा है वो बिलकुल नहीं खुलने देंगे और हम उनके साथ है और कंपनी का, इस जनसुनवाई का विरोध करते है।

559. मेसर्स सार स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड का कुनकुनी, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ की जनसुनवाई विरोध करते है। मैं कुछ बिन्दु को लेकर विरोध करना चाहुंगी मैडम, इस कंपनी के स्थापित क्षेत्र के अंदर कई आदिवासी जमीन को गौर आदिवासीयों के नाम से फर्जी तरीके से ली गई है। इस तरह कई प्रकरण जिला

रायगढ़ के न्यायालय में चल रहे है जिसका निर्णय आज तक नहीं हो पाया है इन परिस्थितियों में हम सार स्टील एण्ड पॉवर प्लांट का ग्राम–कुनकुनी, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ के अनुमति का विरोध करते है। रायगढ़ जिले में दर्जनों उद्योग स्थापित है जो स्थानिय लोगो की जमीनों पर लगाये गये है। उद्योगो द्वारा भू–अधिग्रहण कर स्थाई रोजगार मुहैया कराने का वादा करती है, परन्तु आज पर्यन्त तक कोई भी प्लांट, कंपनी स्थानिय रोजगार अधिनियम के तहत स्थानिय लोगो को रोजगार नहीं दे पाई है और उनका जमीन लेकर किसी आजिविका भी समाप्त कर दी गई है जिससे स्थानिय लोगो भटक रहे है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है दिनांक 20.01.2023 को आयोजित होने वाली जनसुनवाई को हम व्यापक पैमाने पर विरोध करते है एवं राज्य सरकार, जिला प्रशासन से अनुरोध करते है कि तत्काल प्रभाव से इस जनसुनवाई को निरस्त किया जाये और मैं साहू सर से ये बोलना चाहूंगी की मैं अभी 03 जनसुनवाई में गई हूँ रूपानाधाम वाले में आई, कोसमपाली वाले में आई और अभी भी आई हूँ। सर मैं हमेशा आती हूँ और आप ऊपर ही देखते रहते हो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर अगर आपका गर्दन अटक गया होगा तो मैं इलाज कराने को सक्षम हूँ, कुछ तो बोलिये सर, सब जनता जानना चाहते है, मैडम भी बोल लिये हम आपके जवाब जानना चाहते है कुछ बोलिये, यहा जनता आवाज दे रहे है अपने काम के लिये, जमीन के लिये, यहा पर सब रह रहे है उसके लिये आप कुछ तो बोलिये सर। मैं इस जनसुनवाई का पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ।

560. – हमारे इस खरसिया क्षेत्र में और रायगढ़ क्षेत्र में इतनी कंपनिया आ गया है हम लोगो को सास लेना मुश्किल हो रहा है। दूर्ग–भिलाई जैसे हम लोगो को आक्सीजन खरीदना पड़ेगा और जो आक्सिजन लेकर हम अपना जीवन यापन करेंगे मैडम, इतना उद्योग यहा बस चुका है। यहा देखीये हमारे रेल्वे स्टेशन राबर्टशन में यहा कोयला रोज लोडिंग कराया जा रहा है, हमारे क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा है, यहा कोल वॉशरी है वो भी प्रदूषित कर रहा है, यहा वेदांता वो पुरा प्रदूषित कर रहा है, चपले में स्काई है, दर्रामुड़ा में एस.के.एस. है और नहरपाली में मोनेट कंपनी है, इतना ज्यादा हमारे जमीन को ले चुके है और हमारे सिर में बैठायेंगे क्या? मैं आपको पुछ रहा हूँ मैडम। आप भी एक मनुष्य है, आप भी पढ़े–लिखे है आप जानते है पर्यावरण के बारे में, आप पर्यावरण के नुकशान के बारे में जानते है, मॉ धरती के नुकशान के बारे में जानते है, आप सब जानते है मैडम पढ़े–लिखे है, हमारा कितना गरीब लोगो का नुकशन हो रहा है मैडम, हमारे आदिवासियों का नुकशान हो रहा है, हमारे किसानों का खेत बंजर हो गया है, यहा से जब डस्ट प्रदूषण उड़ेगा तो हम उस जमीन को आज खेती–बाड़ी कर रहे है वहा कोई फसल नहीं होगा मैडम, हमारा परिवार, आने वाला पिढ़ी धान, चावल नहीं पायेगा उसको स्टील और लोहा खाने को मिलेगा मैडम। क्या हम खरीदकर स्टील, लोहा खायेंगे, हम लोग खरीद कर हवा पियेंगे, हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया है मैडम। आप एक नारी है और नारी की शक्ति ब्रम्हाण में सबसे आगे है। मैडम आप अगर चाहती है कि ये जमीन हमारे गरीब लोगो को मिले, विरोध करने वाले को मिले, इनके पक्ष में मिले तो ये पक्ष में आप सही निर्णय

करीये, हमारा दील जल रहा है, हमारा शरीर जल रहा है, मॉ की पुकार ऑप सुनिये आप एक नारी है, अगर ये पैसे देकर बुलाये रहते तो हम चिखते नहीं है, हमारा कलेजा फड़फड़ा रहा है आप सही निर्णय लीजिये और इस कंपनी को बिलकुल निरस्त कराईये, हमारे पक्ष में निरस्त कराईये और हमारे पुरे जनसमुह है उनको आप एक सफल वातावरण देकर इनके जीवन को जीवनदान दीजिये मैडम। मैं इतना कहना चाहता हूॅ कि हमारा क्षेत्र आप जान रहे है इतना प्रदूषित हो गया है कौन नहीं जानता, आप लोग पढ़े–लिखे नहीं है, आप लोग पढ़े–लिखे है तभी हमारे सामने बैठे है, हम लोग गवार की भांती, भेड–बकरी की भांति इधर–उधर छकाया जा रहा है, पैसे से खरीदा जा रहा है, सब लोगो को डराया जा रहा है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूॅ मैडम हमारा पुरा क्षेत्र प्रदूषित हो गया है मैडम। आप रोजगार देना चाहते है, हम रोजगार के लिये सहमत है, युवा बेरोजगार है आप उसको रोजगार प्रशासन में दीजिये, आपके छत्तीसगढ़ में दीजिये, आपके जिलो में दीजिये। आप ये कंपनी लगाना चाहते है इसको जाईये बस्तर में लगाईये, जाईये नारायणपुर में लगाईये, जाईये कोंडागांव में लगाईये, जाईये वहा कवर्धा में लगाईये, जहां बेरोजगार है युवा वहा लगाईये, वहा उनको रोजगार दीजिये कौन कहता है रोजगार नहीं देना है। मैडम यहा हमें रोजगार नहीं चाहिये हमारे क्षेत्र में 10 कंपनी को देखे है, 10 कंपनी ने झुठे वादे करके गांव को बरगलाया है यहां, बोलते है लगते समय हम रोजगार देंगे और यहा यू.पी. बिहार वाले को आकर इंजिनियर, ठेकेदार और हमें झाड़ु मरवाते है। हम एम.ए., एम.एस.सी., एल.एल.बी. वाले झाड़ु मारेंगे, यहा के स्थानिय, हमारी धरती माता और इन लोग राज करेंगे और मैं नौकर बनकर उनका यहा पर। मैं ऐसे जनप्रतिनिधि को धीक्कारता हूॅ हमारा जमीन और वो लोग राज करे और हम लोग नौकर का काम करे ऐसे जन प्रतिनिधियों को धीक्कारता हूॅ जो आज यहा पर जनसुनवाई में विरोध करने के लिये नहीं आये है, वोट मांगने के लिये अवश्य आयेंगे और ज्यादा हुआ तो मेरा एफ.आई.आर. कराकर वहां रायगढ़ डाल देंगे, ऐसा भी हो सकता है भाईयो। मैं जान रहा हूॅ मेरे प्रति पुरा षड़यंत्र और मेरी बहन यशोदा है जो कुनकुनी की एक आदिवासी लड़की है, एक पत्ली सी लड़की है उसका मनोबल देखीये, इस जमीन के लिये जीवन को दाव में लगाकर रायपुर, बिलासपुर हाईकोर्ट से लेकर हर कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है फिर भी ये असंवैधानिक कराते है आप लोग। ये भी सत्य है यहा प्रकरण लंबित है उसके बाद भी हम लोगो को गाय–भैस समझते है आप लोग। हम लोग वहा जायेंगे, जनसुनवाई करवायेंगे, सफल हो जायेगा, वह लग जायेगा और वो लोग प्रदूषण खायेंगे, बीमारी में मरेंगे और उसके लिये छोड़ देंगे आप लोग। आप लोग कितना साल करते है यहा, रायगढ़ में करेंगे, खरसिया में करेंगे ड्यूटी, 03 साल करेंगे, 2.5 साल करेंगे, 05 साल करेंगे, हम यहा के आदिवासी स्थानिय लोग कहां जायेंगे, यही पर मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, कैंसर से मरेंगे, दमा से मरेंगे, किडनी से मरेंगे, फेल होकर मर जायेंगे, आप लोग चले जायेंगे हसते–हसते, हम लो यही पर रहेंगे रोते–रोते। मैं यह कहना चाहता हूॅ मैडम मेरे दिल और ऑख सभी से आग निकल रहा है, मेरे साथ इस क्षेत्र पुरे माताये, बहने है जिनके एकलौते बेटे कल–परसो 4 एक्सिडेंट हुआ

जिसमें वेदांता के गाड़ी ने कुचल, कुचल करके बोटी–बोटी कर दिये, जैसे भेड़–बकरी की तरह मटन बनाते है उसी तरह उनका हाल हो गया, उनको झाउ में लेकर के उनका अंतिम संस्कार किये मैडम, जो 04 हमारे युवा साथी है उनको भी मुआवजा मिलना चाहिये और हरिशंकर जो पटेल है ग्राम–दर्रामुड़ा का जिसका आज हृदयघात से यहा आपके जनसुनवाई में उसका जो मृत्यु हुआ है उसके लिये मुआवजे का घोषड़ा करेंगे आप, परिवार को सहायता देंगे। अप लोग जनसुनवाई किये है असंवैधानिक रूप है ये। ये जो जमीन है लंबित है प्रकरण अभी भी लेकिन आप लोग चले आये है, शासन का ये आदेश है, आदेश को पुरा करना है और आपको सफल बनाना है, हम जानते है हम चले जायेंगे ये सफल हो जायेगा, ये लोग सफल कर देंगे हम जानते है, रातो रात इसमें दर्ज हो जायेगा विडियो कांफ्रेसिंग, रातो रात दस्तखत मार देंगे ललित कुमार पटेल, हिरालाल पटेल, यशोदा बाई यादव ऐसे सब कुछ कर लेंगे हम लोग जानते है तो आप लोगो से निवदन करना चाहता हूँ आज हमारा विरोध यहा पूर्ण रूप से 90 प्रतिशत है और ये कंपनी हम लोग नहीं चाहते है, हमारे क्षेत्र में जो आने वाले लोग है उनको शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध माटी मिले और शुद्ध भोजन कर सके ये हम लोग चाहते है मैडम। आपसे निवेदन करते है आप हमारे पक्ष में दीजिये। हम आशा करते है आप मॉ है और मॉ सब कुछ जानती है, बच्चो के बारे में जानती है, पर्यावरण के बारे में जानती है, परिवार के बारे में जानती है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि हमारे पक्ष में दीजिये।

561. श्यामलाल राठिया, चपले – आज जिस जगह पर कार्यक्रम हो रहा है उसी जगह का मैं मालिक हूँ। ये जो जगह है इसी जगह में मेरा जमीन है, मैं पहले भी आया था। इसमें जो कंपनी वाली बात है तो ये जो कंपनी है इसमें अपना–अपना कंपनी वाले अपने ही हिसाब से बातचित करते है, किसान के, गरीब के, आदिवासियों के, हरिजन के, पिछड़े वर्ग का कोई बात भी नहीं होता है क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी कानुन अलग होता है, जैसे हम विदेश में जाते है तो कंपनी कानुन अलग होता है तो इसमें भारत के अंतर्गत कंपनी कानून कोई नहीं है, यदि कंपनी कानून है तो मेरे को बता दीजिये क्योंकि मैने भी संविधान में पढ़ा है और पढ़े–लिखे के हिसाब से मैने निःशुल्क 19 साल तक लेक्चरर पालिटिकल साईंस में हायर सेकेण्ड्री स्कूल में मैं पढ़ाया हूँ, आज तक मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ और अभी तक नटवर हाई स्कूल में मैं कॉपी जांचने जाता हूँ। मेरा भी सौक था कंपनी कानून के बारे में बताये इसिलिये मैं आकर खड़ा हूँ। कंपनी कानून अलग होता है लेकिन हमारे भारत में ये कंपनी कानून अलग से नहीं होता है, जैसे विदेश में जाते है तो हमे दोहरा नागरिकता मिल जाता है लेकिन भारत में दोहरा नागरिकता नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ कि रायगढ़ जिला के अंदर बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें कितना ना कितना कंपनी बैठ गया है, इस कंपनी के अंतर्गत कितना प्रदूषण हो रहा है उसमें औसतन जैसे लगाते है शिक्षा की दृष्टि से तो शिक्षा की दृष्टि से हम लोग आकलन करते है तो बहुत ज्यादा हुआ है, जैसे जोशी मठ इसका उदाहरण है ऐसे ही आक्सीजन, कार्बनडाई आक्साईड फट जाता है तो वो आकाश में जाकर ब्रम्हाण में जाकर इसको मैं बोल रहा हूँ, ब्राम्हाण में जाकर क्या होगा उसका आकलन

नहीं लगा सकते, ना ही हमारे वैज्ञानिक लगा सकते है और ना कोई लगा सकता है। इसलिये मैं विरोध करना चाहता हूँ।

562. – मेरा आपसे सवाल है, क्या आपका घर प्लांट एरिया में है क्या 01–02 किलोमीटर के रेंज में। आप सभी यहा अधिकारी लोग है आप लोगो का घर, परिवार प्लांट एरिया में है क्या? हमारे यहा 03–04 प्लांट है और 05 बैठा रहे हो, आप सुबह देखना, शांम देखना कितना डस्ट घर में पड़ा रहता है। मेरा घर यहा से 03 किलोमीटर दूर है, डस्ट वहा तक फैलता है और यहा पर 05 बैठाने के लिये जनसुनवाई करवा रहे हो ये क्या है? आप लोग पढ़े–लिखे लोग आप में समझ होना चाहिये एक लाईन में आपको निरस्त कर देना चाहिये। यहा समझते तो प्लांट यहा 01–02 किलोमीटर के अंदर थोड़ी ना बैठता। 04–05 प्लांट बैठ गये है, मेरे घर 02 किलोमीटर दूर में है, यहा साईडिंग से डस्ट उड़ रहा है मेरे घर में जाता है। मेरा 10–15 डिसमिल का खेत है जमीन है हम लोग क्या करेंगे। आप लोग प्लांट बैठा रहे हो सभी तरफ से घेर ले रहे हो, डस्ट में हम जियेंगे कि मरेंगे आप ये बताओ, कि मेरा बात सही है या गलत है ये बताओं आप। ऐसा थोड़ी होता है, शासन–प्रशासन यही चल रहा है सब लोगो का, उनको मौका दिया जाये, उनको मौका दिया जाये लास्ट में कुछ नहीं होगा। आप जो भी नोट कर रहे हो कुछ नहीं जायेगा। हमेशा प्लांट कही पर बैठता है उसके लिये बहुत जोर–सोर से विरोध होता है लेकिन कोई विरोध संपूर्ण नहीं होता है पुरा, इसको बदल दिया जाता है ये बात आप भी जानते है। सब चिज बदल जायेगा अभी कुछ देर बाद, घंटे, दो घंटे हम बोलेंगे इसके बाद सब चेंज हो जायेगा कौन किसका क्या सुनेगा, क्या नहीं सुनेगा उसको कोई नहीं देखेगा। अभी कुछ देर बाद मैं ही आपसे बोलूंगा कि मैं क्या–क्या चिज बोला हूँ आपको तो याद नहीं रहेगा। ग्रामपंचायत वाले यहा आये नहीं और जनसुनवाई स्टार्ट हो गया और खतम होने को है, ग्रामपंचायत का कोई नहीं है यहा पर, ग्रामपंचायत वाले को सुचना ही हीं मिला है। मैं भी प्लांट एरिया में ड्यूटी करता हूँ मुझको पता है प्लांट एरिया कैसे होता है, मैं कोई बहुत बड़ा इंजिनियर नहीं हूँ। आप किसी दूसरे के गांव में आये है बाकी इस गांव में गांव का मुखिया ही नहीं है, बिना गांव के मुखिया के आप लोग बैठक कर रहे है, जनसुनवाई हो गया।

563. सुंदर सिंह डनसेना, कुनकुनी – मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज नियम, अधिनियम में आज जो 20 किलोमीटर में जो कंपनी का निदान है आज यही पर कोल वॉशरी हमारे कुनकुनी में वेदांता, यही पर हेक्सा पॉवर प्लांट और यही पर स्काई कंपनी। ये कंपनी बसा–बसा के, जुटा–जुटा के आप लोग जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आज 02–03 दिन पहले 03 जवान लोगो का दर्दनाक दुर्घटना हुआ जो सी.सी. फुटेज में दिखा नहीं जब कोयला चोरी होता है तो 03 किलोमीटर तक दिखाता है सी.सी. टी.वी. लेकिन यहा दिन ब दिन दुर्घटनाये और आज हमारे जंगल में जो मजदुरी कार्ड में छत्तीसगढ़ के अरबो, खरबो लोगो को, भारत के प्राणीयों को जो तेंदुपत्ता विभाग में जब ये तेंदुपत्ता तोड़ते है तो यहां के जंगली ऑवला, फल–मूल, पत्ता

तोड़े जाते है तो आज हमारे जंगल में प्रदूषण आज कंपनी के चलते जो एग्रीकल्चर है किसानों के लिये बना है हमारे ये लोहा खान कुनकुनी पंचायत में यही रूकमणी पॉवर प्लांट शोषड़ कर रहा है जो किसानों के लिये बना है आज ये कंपनी में कोयला और पानी जलाकर विद्युत प्रोडक्ट में उपयोग कर रहे है तो कितने लोगो की आप जान लेंगे कंपनी खोल–खोल कर, कितने लोग मरेंगे। आज जो जयलाल हाईकोर्ट के लिये लड़ रहे थे जिसमें एस.डी.एम. सिविल 170ख और नंदकुमार साय भी जो हमारे पक्ष में थे आज 300 एकड़ जमीन 90 करोड़ का घपला आज तक निर्णय नहीं हुआ और कौन संविधान है कि सार स्टील प्लांट का यहा आगमन है, सार स्टील प्लांट की सुनवाई है, आज ये सुनवाई हम विवश है और आपको ये रद्द करना होगा, ये ढकोसला है, ड्रामा है ये जनसुनवाई का हम विरोध करते है। जो आज हाईकोर्ट में आज जो 300 एकड़, 90 करोड़ का जो घपला था जिसका केस प्रकरण अभी 170ख हाईकोर्ट में क्लेम है आज उनको ना मुआवजा मिला, ना नौकरी मिला, ना पैसा मिला। आज 01 एकड़ लेते थे 10 एकड़ चला जाता था, 02 एकड़ लेते थे 08 एकड़ चला जाता था, लास्ट में भू–अर्जन करके सभी यहा के दलाल लोग 01–02 लाख में खरीदे और 20–40 लाख में बेचे है। आज हमारे क्षेत्र में ये सार स्टील प्लांट जो 11 पंचायत और 22 गांव इसको कहने से हमारा डुमरपाली पंचायत और नवागांव कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे जो राष्ट्रीय पशु–पक्षी है आज उनका जीना मुसकिल हो गया है, आज हमारे इस तालाब और नाला के पानी को हमारे गाय, बैल, भैस पी नहीं सकते आज ये पाईजन बन गया है, इसमें ईंशान भी जो नहाते थे नहीं नहा रहे है और ये टी.बी., कैंसर जैसे असाध्य रोगो से हम ग्रसित हो रहे है। यहा पर इतना बड़ा कंपनी है बायंग चौक में एक कोई आर.टी.ओ. ट्रैफिक पुलिस का कोई सिगनल नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है जिसके कारण 01 सप्ताह में 03 एक्सिडेंट हो रहा है आज इसको कोई नेशनल हाईवे वाले, कोई हमारा डिविजनल विभाग, ये कंपनी को सोचना चाहिये। सभी लोग चाहते है हमारे 11 पंचायत और 22 गांव कि आज इतना दूषित हो चुका है ये गंदी नाली और जल प्रदूषण जिसमें आज हम मरने के लिये मजबुर है और जितना भी हादसा होगा, आज जयलाल को मार दिया गया जिसका हाईकोर्ट में निर्णय होने वाला था। आज यहा जो भी होगा उसका जिम्मेदार शासन, प्रशासन, सार स्टील कंपनी और वेदांता यही कंपनी रहेंगे क्योंकि आज हमार यह मौलिक अधिकार है, प्रजातंत्र है ना तो जमीन हम और देंगे और ना ही जनसुनवाई में समर्थन करेंगे, हम विरोध करते है। और आज हमारे बच्चे खरसिया जायेंगे, चपले जायेंगे, इंग्लिस मिडियम पड़ने जायेंगे। आज इस घटना में कही गोल चक्र नहीं है और हर 02 किलोमीटर पर कंपनी बैठाया जा रहा है। प्रदूषण से मर रहे है, जल प्रदूषण से मर रहे है और हमारा जंगल जो फारेस्ट विभाग है उसमें से तेंदू पत्ते और उसमें से वन्य बीज नहीं मिल पा रहा है जिससे हमारे आदिवासी लोग है पुरा प्रांगण है ये खरसिया विकासखण्ड जिसमें जीवन यापन रोजमर्रा से मर रहे है, सब अस्त, व्यस्त हो रहा है। आज यहा कितना जमीन चला गया, कितने किसानों ने जेले काटे है और यहा सार स्टील का हम विरोध करते है, हमे नौकरी नहीं चाहिये, पैसा भी नहीं चाहिये। हमारा स्वास्थ्य और हमारा

जमीन, शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण हमे चाहिये। जितने लोग है किसी को 25 लाख, किसी को 25 हजार का झुठी मुआवजा देते आ रहे है ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। मैं चाहता हूँ हमारे सम्मानिय एस.डी.एम. साहब और हमारी मैडम ये जो न्याय की देवी है, पीठासीन अधिकारी हमारी महोदया मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी कंपनी के वाहन है ना जाने कितने का जान लेंगे आप तो न्याय की मूर्ति है, इतने सारे हम विरोध कर रहे है, जिसको हमारा जीवन जीना मुसकिल है इसलिये मैं चाहता हूँ आप लोग इस जनसुनवाई को निरस्त करो।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 04:30 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट द्वारा बताया गया कि स्थानिय लोगो को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जायेगा, फ्लाई ऐश को खुले में डंप नहीं किया जायेगा, कच्चे माल का परिवहन अधिक से अधिक रेलमार्ग द्वारा किया जायेगा, कुछ ही मात्रा का परिवहन रोड से किया जायेगा, ग्रामसभा का प्रस्ताव पारित कर अनापत्ति ली गई है जिसकी प्रति उलब्ध है, वायु प्रदूषण को रोकने का प्रयास कंपनी द्वारा किया जायेगा, जल अपशिष्ट को रिसायकल करके प्लांट के अंदर किया जायेगा। सार स्टील के चालु होने के बाद निकलने वाले पानी का उपयोग पेड़–पौधो में डालने के लिये किया जायेगा। ग्रामपंचायत कुनकुनी के विद्यालय में सी.एस.आर. के तहत पानी पिने की व्यवस्था टैंक द्वारा की जायेगी। सार स्टील द्वारा उपचार के लिये समय–समय पर संपूर्ण व्यवस्था की जायेगी। सार स्टील द्वारा आस–पास के गांव में सी.एस.आर. योजना के तहत विकास कार्य किये जायेंगे। सार स्टील ग्रामपंचायत कुनकुनी में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेगी। सार स्टील द्वारा निकलने वाले प्रदूषण के लिये नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। भू–जल के लिये एन.ओ.सी. प्राप्त कर ली गई है, एन.ओ.सी. की वैधता 31 मार्च 2023 तक है। धन्यवाद।

सुनवाई के दौरान 07 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 03 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। लोक सुनवाई में लगभग 800–900 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 56 लोगों ने हस्ताक्षर किये। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई है। लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद! आज की लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की जाती है।

(अंकुर साहू)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(संतन देवी जांगड़े)
अपर कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)